सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)

जनपद – पौड़ी गढ़वाल

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

2002 - 2003

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D - 11909
DOC, No ....
Date 27-06-2003

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

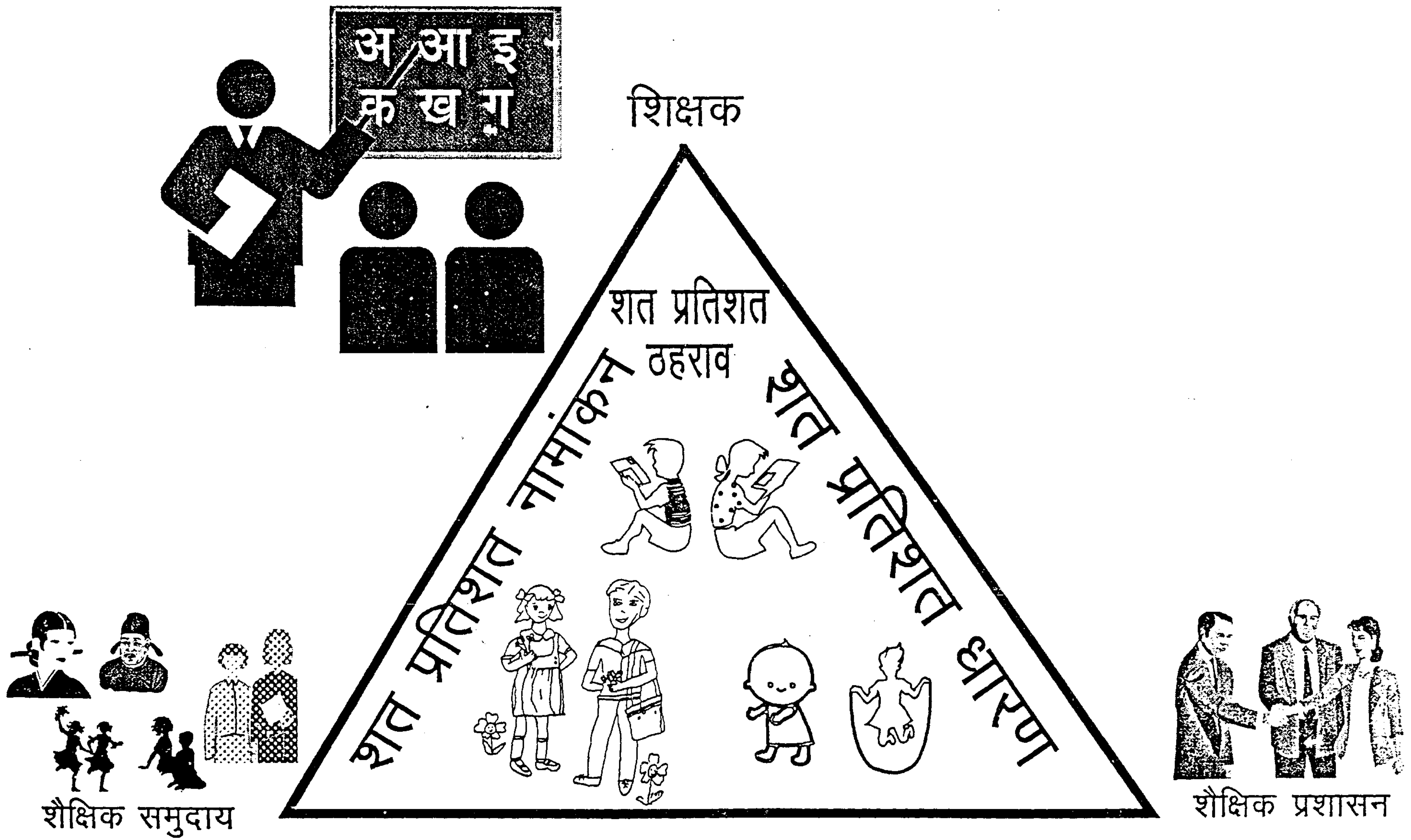

सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)

जनपद पौड़ी गढ़वाल

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

वर्ष 2002-2003

अनुक्रमणिका :

क्र०सं०	अध्याय
१.	परिचय
२.	शैक्षिक परिदृश्य
३.	बे०शि० परियोजना द्वारा किये गये कार्यों का विवरण
४.	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य
५.	नियोजन प्रक्रिया
६.	क्रियान्वयन की कठिनाइंया एवं उनके निराकरण
७.	संगठनात्मक ढांचा–निर्धारण
८.	वार्षिक कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव एवं बजट
९.	सलंग्नक

जनपद पौड़ी गढ़वाल

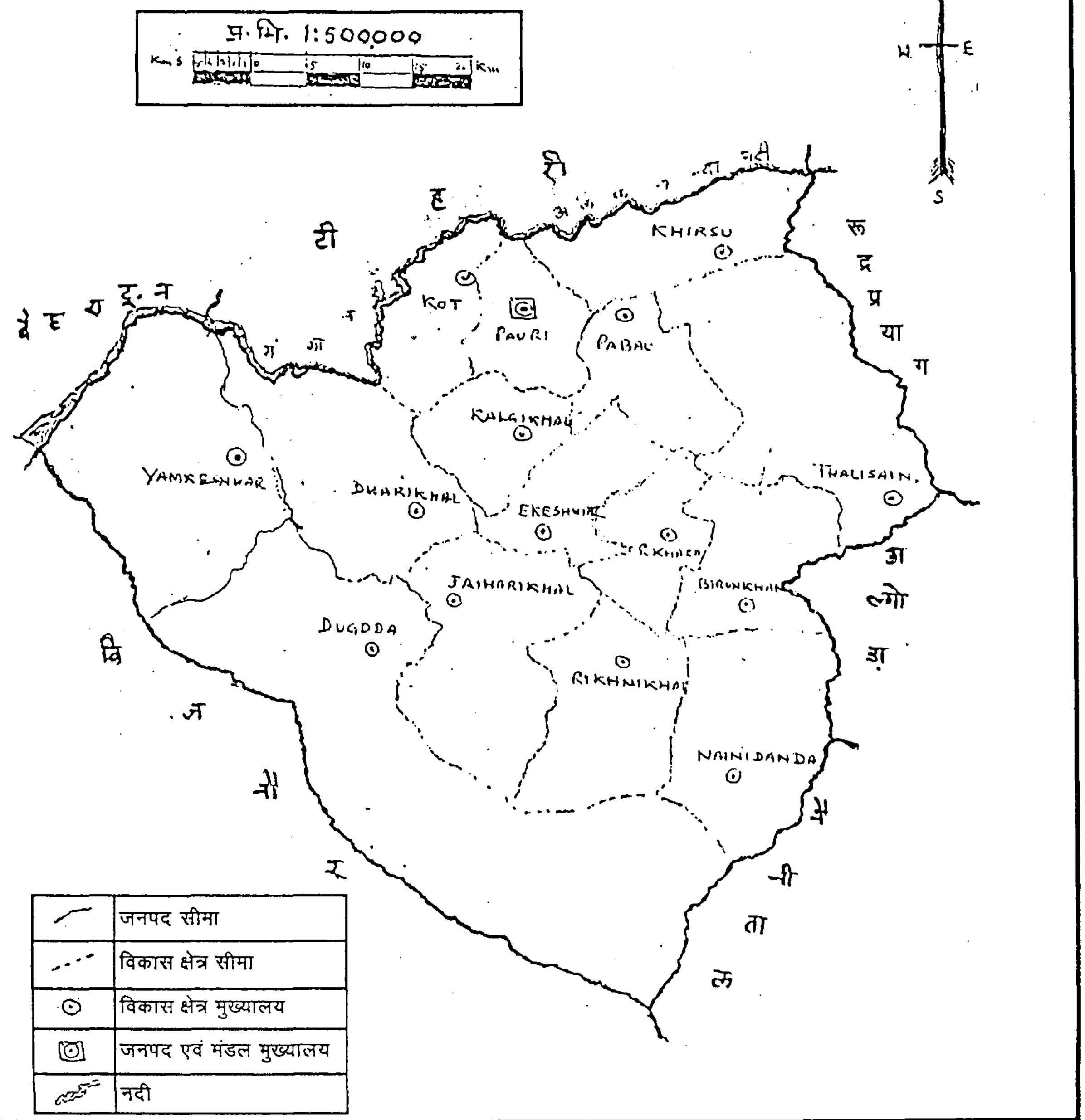

प्र.मि. 1:500000
N
E
W
S
KHIRSU
KOT
PAURI
PABAU
KALJIKHAL
YAMKESHWAR
DWARIKHAL
EKESHWAR
THALISAIN
JAIHARIKHAL
BIRONKHAL
DUGADDA
RIKHNIKHAL
NAINIDANDA
टिहरी
देहरादून
गंगा नदी
रुद्रप्रयाग
अल्मोड़ा
नैनीताल
बिजनौर
जनपद सीमा
विकास क्षेत्र सीमा
विकास क्षेत्र मुख्यालय
जनपद एवं मंडल मुख्यालय
नदी

अध्याय – 1

जनपद पौड़ी गढ़वाल : एक परिचय

1. **भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिचय :–** गढ़वाल जनपद के नाम से प्रसिद्ध जनपद पौड़ी गढ़वाल के उत्तर एक ओर हिमाच्छादित गगनचुम्बी चोटियां व दूसरी दक्षिण में गंगा, यमुना द्वारा निर्मित विशाल मैदान, मध्य हिमालय की पहाड़ियों में स्थित यह जनपद उत्तरी अक्षांश 29.2° से उत्तरी अक्षांश 30° 15° व पूर्वी देशान्तर 78.12° से पूर्वी देशान्तर 79.2° के मध्य स्थित हैं इस जनपद के उत्तर में अलकनन्दा(गंगा नदी) इसे टिहरी से पृथक करती है। जनपद के उत्तर पूर्व में टिहरी एवं रूद्रप्रयाग उत्तर में चमोली पूर्व में अल्मोड़ा, दक्षिण पर्वू में नैनीताल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश दक्षिण पश्चिम में हरिद्वार जनपद, पश्चिम में जनपद देहरादून स्थित हैं। उत्तरांचल के मण्डल गढ़वाल के सम्पूर्ण भाग पर गोरखों ने तत्कालीन पंवार वंश के शासक को अपदस्थ कर आधिपत्य कर लिया था। सन 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों से गढ़वाल को मुक्ति दिलाई और इसके एवज में गढ़वाल के आधे भाग की कंपनी साम्राज्य का एक अंग बना लिया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1962 में इस जनपद को दो भागों में बांटा गया पौड़ी और चमोली में विभाजित किया गया। जनपद का क्षेत्रफल 5440 वर्ग कि.मी. है। भूक्षेत्र की स्थिति के आधार पर जनपद को सामान्य रूप से तीन भागों में वाटते हैं लघु हिमालय जिसमें शीत काल में बर्फ पड़ती रहती है। शिवालिक पहाड़ियाँ तथा पहाड़ो की तलहटी पर भावर क्षेत्र हैं। कोटद्वार से भमोरी तक के भावर की पट्टी शिवालिक श्रंखला के बीच में आ जाने के कारण मैदान से पृथक हो गयी है

2. **जलवायु :–** जनपद में ऊँचाई के अनुसार भिन्न 2 स्थानों की जलवायु भिन्न–भिन्न हैं नदी घाटियों और भाबर की जलवायु जहाँ अत्यधिक गर्म है वहीं दूसरी ओर अधिक ऊँचाई वाले स्थान ठंडे है, यहां का सामान्यतः तापमान 15°C से 35°C तक रहता हैं। मुख्यतः जलवायु को पूरे जनपद में तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है।

ग्रीष्म	:–	मध्य फरवरी से मध्य जून
बरसात	:–	मध्य जून से मध्य अक्टूबर
शीत	:–	मध्य अक्टूबर से मध्य फरवरी

3. **समाज एवं संस्कृति :–** यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवो में निवास करती है अधिकांश संख्या (63.0%) कृषि कार्य करती है कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण जनपद से आजीविका हेतु लोग प्रवजन करते हैं

   विभिन्न धर्मों और जाति के लोग एक दूसरे से जुड़े है और विवाह एवं सास्कृतिक पार्टी आदि में एक दूसरे की उपस्थिति अपरिहाय समझी जाती है। मेले एवं उत्सव लोक जीवन का अभिन्न अंग है जिसमे लोग उत्साह एवं उमंग से भाग लेते हैं।

4. **पर्यटक एवं तीर्थस्थल :–** प्राचीन काल से ही सम्पूर्ण उत्तरांचल केदारखण्ड अथवा उत्तराखण्ड अथवा उत्तरापथ के नाम से ऋषिमुनियों की तपस्थली रही है जिससे यहां पर बहुत से तीर्थस्थल व पर्यटन केन्द्र हैं जिसमें प्रसिद्ध अग्रेजी शिकारी जिम कार्बेट नाम से 1935 में स्थापित कार्वेट नेशनपार्क, जो पशुविहार एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध महर्षि कण्व का सुविख्यात विश्व दिद्यालय से विख्यात तथा शकुन्तला और और भरत जन्म स्था से प्रचलित कण्व आश्रम, कोटद्वार से 1.5 कि.मी. सिद्धवली आश्रम पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर माँ दुर्गा का ज्वाल्पा देवी मन्दिर, श्रीनगर से 12 कि.मी. दूर रिवर्स मार्ग पर राजराजेश्वरी का प्रसिद्ध मन्दिर देवलगठ, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से 15 कि.मी. दूर नीलकण्ठ महादेव का विशाल नीलकण्ठ मन्दिर, ऋष्किेश लक्ष्मण झूला से पार कर स्वर्गाश्रम, जनपद के दूर गामी अल्मोड़ा से जुड़ा क्षेत्र थलसैण में विन्देश्वर मन्दिर, पैठाणी शिवमन्दिर, श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, मार्ग पर धारी देवी मन्दिर, श्रीगनर देहलचौरी रोड़ पर डांडानागुर्जा लैन्सडोउन रिखणी खाल मार्ग पर ताडकेश्वर महादेव जैसे कई दर्शनीय व पर्यटन स्थल है

5. **ऐतिहासिक व्यक्तित्वः—** गढ़ो का जिला पौड़ी में कही गढ़ नरेश हुये जिसमें श्रीनगर राज्य के प्रतापी नरेश फतेशाह (1700ई0) के समय वीरागंना तीलू रौतेली ने गढ़सैना का नेतृत्व किया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई इसीतरह अंग्रेजी के वीर सैनिक वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली तथा गढ़वाल राइफल के मुख्यालय होने के कारण वीर सपूत देश को दिये जनपद पौड़ी के बुघाणी ग्राम में जन्मे स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जिन्होंने उ0प्र0 में मुख्य मंत्री तथा केन्द्र में केन्द्रीय मंत्री के पद को सुशोभित किया।

6. **मौतिक एवं मानवीय संसाधन :—**

1. **वन सम्पद्रा :—** प्रचुर मात्रा में जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी उपलब्ध है। पौड़ी जनपद का 59.24% भाग मात्र वनाच्छादित है। इसके दक्षिणी भाग में जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यहां पर साल, खैर, शीशम, बांज, बुरांस, चीड़ आदि पाये जाते हैं।

2. **जल संसाधन :—** जनपद में अलकनन्दा—गंगा, पं0 राम गंगा पूर्वी और पश्चिमी नयार, खोह मालिनी आदि नदियाँ है। यहां पर रामनगर से 10 कि.मी. कालागढ़ में प0 रामनगर पर कालागढ़ ऋषिकेश से 10 कि.मी. दूर गंगा पर चीला बांध तथा पौड़ी मुख्यालय से 30 कि.मी. दूर कोट ब्लाक में गेठी चोड़ा स्थान पर रादी व सितोन नदी पर गठी चोड़ा बांध बना है जिनसे विद्युत के साथ साथ सिंचाई का कार्य लिया जाता है। यहां की भौगोलिक स्थिति की इन नदियों पर अनेक छोटे—बड़े बँध बनाकर सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

3. **खनिज सम्पदा :—** इस जनपद के कई भागों में लोहा, ताँबा आदि की खाने थी जिनमें खनन कार्य कई वर्षो पूर्व बन्द हो गया हैं।

7. **प्रशासनिक व्यवस्था :—** पौड़ी जनपद में 6 तहसीलें पौड़ी, लैन्सडाउन धूमाकोट, थलीसैंण, कोटद्वार और श्रीनगर तथा 15 विकास खंड—पौड़ी, कोट, खिर्सू, पावों, कल्जीखाल, थलीसैंण, दुगड्डा, यमकेश्वर, द्वारीखाल, जहरी खाल, एकेश्वर, पोखड़ा, रिखणीखाल वीरोंखाल, नैनीडांडा हैं।

जनपद में कुल 118 न्याय पंचायत हैं। सम्पूर्ण जनपद में कुल 1157 ग्राम पंचायतें, 3479 राजस्व ग्राम हैं। 26 वन ग्राम हैं। आबाद ग्रामों की संख्या 3137 व गैर आबाद ग्रामों की संख्या 342 है। जनपद में 04 नगर पालिका परिषद् 01 नगर पंचायत व एक छावनी परिषद है।

तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में महिला जनसंख्या का प्रशित 50.75 है, जो पुरुष जनसंख्या से थोड़ी अधिक हैं। दुगड्डा विकास खण्ड में जनपद की सबसे अधिक जनसंख्या (13.26%) निवास करती है। जबकि पोखड़ा विकास खण्ड में जनपद की सबसे कम जनसंख्या (4.41%) निवास करती है। खिर्सू और कल्जीखाल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। पौड़ी कोट व पावों में भी अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है।

तालिका 1
प्रशासकीय संरचना

जनपद मुख्यालय	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	आबाद	गैर आबाद	वन ग्राम	योग	नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत	छावनी बोर्ड
पौड़ी	06	15	1178	3137	342	26	3505	04	01	01

स्रोत्र जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय

तालिका 1.1

विवरण	पुरूष	महिला	योग
कुल	365713	331138	696851
अनु0 जाति	41568	42941	84509
अनु0जन जाति	859	641	1500

विकास खण्ड स्रोत जनगणना 2001

तालिका 1.2

जनसंख्या

जनसंख्या	पुरूष	महिला	योग
ग्रामीण जनसंख्या	315059	285325	600384
शहरी जनसंख्या	48072	44856	92928
वन क्षेत्र	2582	957	3539
योग	365713	331138	696851

विकास खण्ड स्रोत जनगणना 2001

तालिका 1.3
पौड़ी जनसंख्या एक परिदृश्य
जनगणना 2001

क्र0सं0	विवरण	कुल	प्रतिशत
1.	कुल जनसंख्या	696851	100
क	ग्रामीण जनसंख्या	603923	86.66
ख	नगरीय जनसंख्या	92928	13.33
ग	वन क्षेत्र की जनसंख्या	3539	.51
2	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि	33135	7
3	लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियां	1104	—
4	अनुसूचित जाति की संख्या	93375	13.40
5	जन जाति की संख्या	1508	.22
6.	मुस्लिम जनसंख्या	15495	2.27
7	जनसंख्या की घनत्व प्रति वर्ग कि0मी0	129	8 Rank
8	कुल साक्षरता	507308	72.8
9	महिला जनसंख्या	287880	84.01
10	पुरूष जनसंख्या	219428	60.26

स्रोतः– सहायक बैसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विकास खण्डों से प्राप्त

तालिका 1.4

जनसंख्या का परिदृश्य

जनगणना 2001

वर्ष 2001 अनुमानित						
	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति जनसंख्या		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1 पौड़ी	18151	15679	33830	3150	3400	6550
2 कोट	15919	13984	29930	2830	2968	5798
3 खिसू	11818	9741	21559	2530	2498	5028
4 पावौं	20095	15783	35878	2958	3170	6128
5 कल्जीखाल	19436	17150	36586	3980	4530	8510
6 थलीसैंण	28391	25655	54047	3292	3415	6707
7 दुग्ड्डा	41919	40331	82250	3690	3210	6900
8 यमकेश्वर	20855	18668	39523	2110	2030	4140
9 द्वारीखाल	24707	23334	48041	2325	2280	4605
10 जयहरीख	17767	14430	32197	1480	1395	2875
11 एकेश्वर	18357	14323	32680	2510	2800	5310
12 पोखड़ा	14430	11613	26043	2005	2320	4325
13 रिखणी खाल	17278	16561	33839	2185	2260	4445
14 वीरौंखाल	26081	31535	57616	3042	3805	6847
15 नैनीडांडा	19855	16537	36392	3201	2690	5891
वन ग्राम	2582	957	3539	280	170	450
नगर क्षेत्र	48072	44856	92928	41568	42941	84509

स्रोत – खण्ड विकास अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

तालिका 1.5

जनसंख्या विकास खण्डवार (1991) की जनगणना के अनुसार

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	कुल जनसंख्या	जनपद की जनसंख्या में विकास खण्ड का प्रतिशत	जनपद की कुल जनगणना महिला का प्रतिशत	विकास खण्ड की जनगणना में महिला का प्रतिशत	विकास खण्ड की अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत
1	पौड़ी	35763	5.63	2.90	51.55	18.31
2	कोट	31836	5.01	2.55	50.90	18.21
3	खिर्सू	23492	3.70	1.91	51.52	21.40
4	पावों	37811	5.95	3.21	53.90	16.21
5	कल्जीखाल	38519	6.07	3.10	51.20	22.09
6	थलीसैंण	55980	8.81	4.52	51.23	11.98
7	दुग्ड्डा	84183	13.26	6.65	50.13	08.19
8	यमकेश्वर	41456	6.53	3.33	50.99	9.99
9	द्वारीखाल	49974	7.87	3.94	50.01	9.21
10	जयहरीखाल	34130	5.38	2.84	52.89	8.42
11	एकेश्वर	34613	5.45	2.94	53.86	15.34
12	पोखड़ा	27976	4.41	2.32	52.59	15.46
13	रिखणी खाल	35772	5.63	2.77	49.09	12.43
14	वीरौंरखाल	59549	9.38	4.15	44.28	11.49
15	नैनीडांडा	38325	6.04	3.17	52.55	15.37
	वन ग्राम	5456	0.86	0.45	52.71	8.29
	नगर क्षेत्र	634853	100.00	50.75	50.75	13.31

तालिका 1.6
विकास खण्डवारः जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत ग्राम

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	200 से कम	200 से 499	500 से 999	1000 से 1999	2000 से अधिक	योग
1	पौड़ी	121	40	9	2	—	172
2	कोट	170	38	5	—	—	213
3	खिर्सू	111	29	3	3	—	146
4	पावों	66	65	13	01	—	145
5	कल्जीखाल	178	54	5	—	—	237
6	थलीसैंण	105	76	19	01	—	201
7	दुगड्डा	178	70	26	7	5	286
8	यमकेश्वर	153	64	3	1	1	222
9	द्वारीखाल	145	73	5	1	1	225
10	जहरीखाल	161	46	04	01	—	212
11	एकेश्वर	169	56	04	—	—	229
12	पोखड़ा	88	43	5	1	1	133
13	रिखणी खाल	117	61	5	—	—	133
14	वीरौंरखाल	246	96	17	—	—	163
15	नैनी डांडा	138	29	02	—	—	169
	योग	2146	840	125	18	08	3137

स्रोत – साख्यिकी पत्रिका 1991

8. वर्तमान जनसुविधाऐं :– निम्न सारणियों से स्पष्ट हैं

आर्थिक परिदृश्य

(क) ***व्यवसायिक सरंचना :–*** जनपद की आर्थिकी का मुख्य आधार **कृषि** है। जनपद की कुल कार्यशील जनसंख्या को 63.0% प्रतिशत कृषि कार्यो से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। **कृषि** श्रमिक के रूप में 1.8% व पशुपालन व जंगल लगाना वृक्षारोपण आदि में 21.0% जनसंख्या लगी है। यह निम्नवत् श्रेणी से स्पष्ट है।

तालिका 1.7

कुल मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत

क्र0सं0	जनपद के कर्मकार	प्रतिशत
1.	कृषक	63.0
2.	कृषि श्रमिक	1.8
3.	पशुपालन जंगल लांभाश, वृक्षारोपण	21.0
4.	पारिवारिक उद्योग	.4
5.	गैर पारिवारिक उद्योग	2.1
6.	निर्माण कार्य	2.6
7.	व्यापार एवं वाणिज्य	4.3
8.	यातायात संग्रहण एवं संचार	1.9
9.	अन्य	21.9
		100.0

(ख) *भूमि का उपयोग :–* जनपद का आधे से अधिक भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कुल क्षेत्र का 59.24 प्रतिशत भाग पर वन हैं। मात्र 11.26 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है। 8.36 प्रतिशत भाग उद्यान वृक्षों का है। निम्नांकित तालिका से भूमि का उपयोग स्पष्ट है।

तालिका 1.8
भूमि उपयोगता

क्र0सं0	वर्ग	प्रतिशत कुल क्षेत्रफल
1.	वनक्षेत्र	59.24%
2.	कृषि कार्य	11.26%
3.	उद्यान वृक्षों का क्षेत्र	8.36%
4.	कृषि योग्य बंजर भूमि	5.89%
5.	उद्यान और कृषि अयोग्य	4.64%
6.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग	2.32%
7.	चरागाह	5.33%
8.	परती भूमि	2.96%

स्रोत सांख्यिकी पत्रिका 1999 पौड़ी

(ग) *जनपद में कृषि :–* जनपद का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गेहूँ चावल मडुंवा व जौ यहाँ की मुख्य फसलें हैं। आलू व मक्का, सांवा भी यहाँ उगाया जाता है। दलहन में उड़द गहथ, तोर, लोबिया, सोयाबीन, राजमा, रयांस, सब्जियों में बन्दगोभी, सेम, मूली, टमाटर, मटर, आलू तथा फलों में सेब, अनरूद, नाशपाती तथा आम सामान्य होते है। शुद्ध बोए गये क्षेत्रफल 84000 हैक्टयर की तुलना में 7000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल के अन्तर्गत है।

(घ) *परिवहन एवं संचार सुविधाएं :–* वर्ष 1997–98 में जनपद में कुल 2845 कि.मी. पक्की सड़क उपलब्ध थी। 1948 ग्राम सड़को से जुडे थे। तीन विकास खण्ड मुख्यालय–नैनीडांडा, कोट, रिखणीखाल अभी तक भी कच्चे मार्ग से ही जुडे हैं। रेलवे स्टेशन मात्र कोटद्वार में है। वर्ष 1997–98 तक 426 डाकघर व 10 टेलीग्राफ आफिस थे। टेलीफोन 8400 थे

(ङ.) *विद्युत व्यवस्था:–* जनपद में वर्ष 1997–98 तक कुल 2189 ग्राम व नगर विद्युतीकृत हो चुके थे। अनुसूचित जाति की 1392 बस्तियां विद्युतीकृत हैं

9. विविध विकास योजनाएं :–

1. **समन्वित विकास परियोजना** :– जनपद में विकास खंडो पौड़ी, खिसू, कोट कजलीखाल में समन्वित बाल विकास परियोजना संचालित हैं।

2. **मध्याह्न पोषाहार योजना** :– जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक अध्ययनरत इन सभी छात्रों के लिए यह योजना संचालित है, जिनकी मासिक उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक रहती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह 3 किग्र0 चावल वितरित किया जाता है।

3. **छात्रवृत्ति योजना** :– जनपद के सभी विद्यालयों में अ0जा, अ0जन जा0 व पि0जा. के सभी छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्र के प्रतिमाह रू. 25/– की दर से एक वर्ष की छात्र वृत्ति रू0 300/– मिलती है।

4. **महिला समाख्या** :– जनपद पौड़ी में महिला समाख्या के द्वारा महिलाओं के उत्थान के हेतु विविध कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आधारित है।

5. **आपरेशन ब्लैक बोर्ड** :– जनपद में वर्ष 1990–91 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित है। इस योजना के तहत सभी प्राथमिक विद्यालय लाभान्वित हो रहे है।

6. **उत्तर साक्षरता अभियान** :– जनपद में वर्तमान में गढ़ ज्योति सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता के उपरान्त जनपद में वर्तमान में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहा है।

7. **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण** :– इसके तहत जे.आर.वाई0 एस0आर0वाई0, पी0एम0आर0वाई से भी विद्यालयों के निर्माण एवं नव निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1737 प्राथमिक विद्यालय/मान्यता प्राप्त 446 पू0 मा0 वि0 मान्यता प्राप्त सहित 89 हाईस्कूल 157 इण्टर कॉलेज 07 डिग्री कॉलेज 08 तकनीकी संस्थान 182 आंगनवाड़ी केन्द्र 03 संस्कृत पाठशालायें तथा 01 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। जनपद में 1994 से 2000 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 15 ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवं 120 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी जिनमें से 02 केन्द्र रूद्र प्रयाग मे चले गये हैं, शेष 118 केन्द्र गुणात्मक सुधार हेतु क्रियाशील हैं।

तालिका 2.0
जनपद की शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थायें

		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1629	30	1659	80	40	120	1709	70	1779	32	03	35
2.	मा0वि0से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	04	04	–	–	–	–	04	04	–	–	–
3.	अच्च प्राथमिक विद्यालय	392	05	397	38	11	49	430	16	446	04	0	4
4.	मा0वि0 से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	20	04	24	14	02	16	34	06	40	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	–	02	02	–	–	–	–	02	02	–	–	–
6.	हाईस्कूल	70	02	72	16	01	17	86	03	89	01	03	04
7.	इण्टर कालेज	91	09	100	54	05	59	145	14	159	–	–	–
8.	डिग्री कालेज	04	–	04	–	–	–	04	04	04	–	–	–
9.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	01	01	–	02	02	–	03	03	–	–	–
10.	विश्व विद्यालय	–	01	01	–	01	01	–	01	01	–	–	–
11.	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई/पॉली टे0)	03	04	07	01	–	01	04	04	08	–	–	–
12.	आंगनबाड़ी केन्द्र	333	–	333	–	–	–	333	–	333	–	–	–
13.	मकतब/मदरसे	–	06	06	–	–	–	–	06	06	–	–	–
14.	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	03	01	04	03	01	04	–	–	–
15.	ब्लाक संसाधन केन्द्र	15	–	15	–	–	–	15	–	15	–	–	–
16.	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	118	–	118	–	–	–	118	–	118	–	–	–
17.	जि.शि. एवं प्रशि. संस्थान	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–

तालिका 2.1
छात्र संख्या बार विद्यालयों की संख्या (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	20 से कम	20 से 50	50 से 100	100 से 150	150 से 200	200 से 250	250 से 300	300 से 350	350 से 400
1.	पौड़ी	20	42	25	05	01	–	–	–	–
2.	कोट	39	45	14	04	–	–	–	–	–
3.	खिर्सू	15	39	06	03	–	–	–	–	–
4.	पावों	20	46	36	06	–	–	–	–	–
5.	कलजीखाल	24	58	28	04	–	–	–	–	–
6.	थलीसैंण	17	44	45	24	07	–	–	–	–
7.	दुगड्डा	18	53	40	14	4	1	–	3	1
8.	यमकेश्वर	21	49	37	05	01	–	01	–	–
9.	द्वारीखाल	22	74	26	04	01	–	–	–	–
10.	जयहरीखाल	21	53	19	04	–	–	–	–	–
11.	एकेश्वर	20	61	18	02	01	–	–	–	–
12.	पोखड़ा	21	33	16	03	01	–	–	–	–
13.	रिखणीखाल	14	41	33	12	01	–	–	–	–
14.	वीरौंरखाल	31	62	46	07	–	–	–	–	–
15.	नैनीडांडा	23	60	26	08	–	–	–	–	–
	योग	326	760	415	105	17	01	01	03	01

नोट : नवीन विद्यालयों को 20 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में सम्मिलित किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 46.65 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र संख्या 20 व 50 के बीच है। 25.47 प्रतिशत विद्यालयों में 50 से 100 के बीच है।

2 *साक्षरता:–* किसी भी क्षेत्र का विकासस उसकी साक्षरता पर निर्भर करती हैं। जनपद की साक्षरता जिसमें पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 52.56 है तथा महिला साक्षरता प्रतिशत 41.2 है

तालिका 2.2
जनपद की साक्षरता विभिन्न आयाम

क्र0सं0	विवरण	साक्षरता प्रतिशत
1.	कुल	54.09%
2.	ग्रामीण	52.56%
3.	नगरीय	65.25%
4.	कुल पुरूष	67.7%
5.	कुल महिला	41.2%
6.	ग्रामीण पुरूष	67.43%
7.	ग्रामीण महिला	39.25%
8.	शहरी पुरूष	69.05%
	शहरी महिला	59.85%

1991 के अनुसार स्रोत:– सांख्यिकी पत्रिका, पौड़ी 1991

विकास खण्ड बार साक्षरता दर:– विकास खण्ड बार साक्षरता दर तालिका में दी गयी है। जनपद में थलीसैंण में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। रिखणीखाल, नैनीडांडा, नार्वो, खिर्सू, वीरोंगखाल, कोट, पोखड़ा ता यमकेश्वर में भी महिला साक्षरता दर न्यून है। 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत तालिका 2.3 से स्पष्ट है.

तालिका 2.3

1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत

क्र0 सं0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	पौड़ी	10266	7356	17622	84.6	51.5	66.8
2.	कोट	8900	6060	14960	82.0	45	61.5
3.	खिर्सू	7201	4969	12170	71.0	42.5	69.1
4.	पावों	11455	7468	18923	81.6	42.5	60.6
5.	कल्जीखाल	11078	8548	19726	85.5	52.0	66.7
6.	थलीसैंण	13853	4767	18620	72.4	22.4	46.1
7.	दुगड्डा	29891	19911	49802	87.9	55.0	73.5
8.	यमकेश्वर	13741	8400	22141	84.8	48.2	65.8
9.	द्वारीखाल	14744	10214	24958	85.3	52.0	67.6
10.	जयहरीखाल	11262	7377	19239	87.4	53.8	69.4
11.	एकेश्वर	11379	8714	20093	90.1	54.7	70.9
12.	पोखड़ा	8787	6008	14795	86.9	47.9	64.6
13.	रिखणी खाल	10269	5993	1622	79.3	40.1	58.2
14.	वीरोंरखाल	14112	9576	23688	82.3	42.9	59.5
15.	नैनी डांडा	11267	7218	18485	79.7	42.2	59.6
	योग ग्रामीण	187992	122311	310303	67.43	39.25	52.7
	नगर क्षेत्र	32884	20091	52975	78.8	72.5	76.1
	कुल योग	220876	142402	363278	67.7	41.2	54.9

स्रोत – सांख्यिकी पत्रिका पौड़ी 1999

3. *शैक्षिक संस्थानः–* जनपद में वर्तमान में 07 डिग्री कालेज 159 इण्टर कालेज, 89 हाईस्कूल, 457 उ0प्रा0वि0 तथा 1769 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 182 आंगन बाड़ी केन्द्र भी संचालित हैं।

तालिका 2.4
विकास खण्डवार शैक्षणिक संस्थायें

क्र0 सं0	विकास खण्ड	नगर क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय				उच्च प्राथमिक विद्यालय				माध्यमिक	हाईस्कूल			इण्टर कालेज			डिग्री	आंगबाड़ी
			परिषदीय शासकीय नगर क्षेत्र सहित	मान्यता प्राप्त	गैर मान्यता प्राप्त	कुल	परिषदीय शासकीय	मान्यता प्राप्त	गैर मान्यता प्राप्त	कुल	विद्या से सम्बद्ध उच्च	राजकीय	अर्द्ध शासकीय मान्यता प्राप्त	योग	शासकीय	अर्द्ध शासकीय मान्यता प्राप्त	योग	कालेज एवं स्नातकोत्तर महर्षि	
1.	पौड़ी	15	78	12	02	107	25	02	—	27	—	06	—	06	05	04	09	01	52
2.	कोट		102	03	03	108	28	—	01	29	11	02	—	02	08	02	10	—	50
3.	खिर्सू	2	61	12	—	75	16	07	—	23	—	05	01	06	07	05	12	01	60
4.	पावों		108	08	—	116	32	02	—	33	—	05	—	05	05	03	08	—	—
5.	कल्जीखाल		114	04	02	120	25	—	02	27	—	03	01	04	06	03	09	—	60
6.	थलीसैंण		137	08	—	145	34	04	—	38	16	06	—	06	08	—	08	01	—
7.	दुगड्डा	13	121	30	08	172	38	15	—	53	—	07	03	10	11	02	13	01	111
8.	यमकेश्वर		123	05	03	131	28	04	—	32	04	01	05	04	05	09	—	—	—
9.	द्वारीखाल		136	06	02	135	34	04	01	38	—	10	01	11	10	04	14	—	—
10.	जयहरीखाल		102	08	—	110	25	—	—	23	—	04	—	04	09	04	13	01	—
11.	एकेश्वर		102	04	11	117	22	02	—	23	—	04	02	06	06	06	12	—	—
12.	पोखड़ा		74	05	04	83	18	03	—	20	—	01	01	02	03	06	09	01	—
13.	रिखणी खाल		105	04	—	109	24	—	—	24	—	02	02	04	07	02	09	—	—
14.	वीरोंखाल		149	07	—	156	28	04	—	32	—	09	01	10	08	07	15	01	—
15.	नैनी डांडा		117	04	—	121	29	02	—	28	—	04	04	08	03	06	09	—	—
	कुल योग	30	1629	120	35	1814	406	49	04	450	31	72	17	89	100	59	159	07	333

स्रोत — बे शि0 अ0 पौड़ी

4. *भवनों के आधार पर विद्यालयः–* जनपद के कुल 1659 प्रा0 विद्यालय हैं। जिनमें से 6 भवनहीन हैं। 42.11 प्रतिशत भवनों में तुरन्त अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है।

तालिका 2.5
भवनों के आधार पर विद्यालय

क्र0 सं0	विवरण	विद्यालयों की संख्या	साक्षरता प्रतिशत
1.	भवनहीन विद्यालय	06	0.37
2.	एक कक्षीय विद्यालय	05	0.31
3.	दो कक्षाकक्षीय विद्यालय	672	41.80
4.	तीन कक्षा कक्षीय विद्यालय भवन	537	30.69
5.	चार कक्षा कक्षीय विद्यालय भवन	317	19.33
6.	पांच कक्षा कक्षीय विद्यालय भवन	80	4.91
7.	पाँच कक्षों से अधिक वाले भवन	42	2.57

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

तालिका 2.6
भौतिक सुविधाओं व विद्यालय के अनुसार प्रा0 विद्यालयों की संख्या

क्र0 सं0	विकास खण्ड	भवहीन विद्यालय	एक कक्षीय विद्यालय	दो कक्षीय विद्यालय	तीन कक्षीय विद्यालय	चार कक्षीय विद्यालय	5 कक्षीय कक्षा के वि0	5 से अधिक	योग योग्य वि0	लघु मरम्मत योग्य वि0	वृहत मरम्मत विद्यालय	शौचालय युक्त वि0	शौचालय विहीन वि0	चारदीवारी युक्त	चारदीवारी विहीन वि0	पेय जल
1.	पौड़ी	—	—	69	04	05	—	—	78	10	16	68	10	08	85	15
2.	कोट	—	—	36	20	32	09	05	102	25	03	95	07	33	69	30
3.	खिर्सू	—	—	10	45	06	—	—	61	15	10	56	05	04	59	10
4.	पावौं	—	—	88	17	03	—	—	108	05	20	96	12	04	104	15
5.	कल्जीखाल	—	—	07	58	37	08	04	114	29	13	102	12	20	94	25
6.	थलीसैंण	—	—	49	48	14	21	05	137	21	41	95	42	10	127	10
7.	दुगड्डा	—	—	72	31	12	02	04	121	20	22	102	19	12	122	18
8.	यमकेश्वर	—	04	104	11	04	—	—	123	09	17	119	04	03	111	20
9.	द्वारीखाल	—	—	27	48	50	06	05	136	28	28	110	26	10	117	20
10.	जयहरीखाल	—	01	31	56	13	01	—	102	30	15	90	12	03	94	20
11.	एकेश्वर	—	—	21	26	47	06	02	102	20	38	87	15	09	93	15
12.	पोखड़ा	—	—	47	24	03	—	—	74	03	08	71	03	05	69	12
13.	रिखणी खाल	—	—	04	70	21	07	03	105	11	20	89	16	—	101	17
14.	वीरौंखाल	—	—	08	50	57	20	14	149	41	25	109	40	38	108	13
15.	नैनी डांडा	—	—	87	21	09	—	—	117	15	34	94	23	21	96	14
	योग	—	05	660	529	313	80	42	1629	282	310	1383	246	180	1449	254
	नगर क्षेत्र	06	—	12	08	04	—	—	30	10	10	18	12	04	26	08
	योग	06	05	672	537	317	80	42	1659	294	320	1481	258	184	1475	262

तालिका 2.7 : भवनों के आधार पर विद्यालय (उच्च प्राथमिक)

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	भवनहीन	03	0.75
2.	दो कक्षीय भवन	01	0.25
3.	तीन कक्षीय भवन	35	8.81
4.	चार कक्षीय भवन	211	53.14
5.	पांच कक्षीय भवन	147	37.02

तालिका 2.8 : भवनों के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति (परिषदीय)

क्र.स.	विकासखण्ड	कुल विद्यालय	भवनयुक्त	भवनहीन	जर्जर भवन (नवनिर्माणापेक्षि)	लघु मरम्मत योग्य	बृहत मरम्मत योग्य	दो कक्षीय विद्यालय	तीन कक्षीय योग्य	चार कक्षीय योग्य	पांच कक्षीय योग्य
1	पौड़ी	25	25	—	01	03	03	—	—	25	—
2.	कोट	28	28	—	01	08	02	—	05	05	15
3.	खिर्सू	16	16	—	01	02	01	—	—	16	—
4.	पाबौ	31	31	—	—	01	01	—	—	21	10
5.	कल्जीखाल	25	25	—	01	03	07	01	—	—	24
6.	थलीसैण	34	34	—	—	05	03	—	02	20	12
7.	दुगड्डा	38	36	02	—	04	—	—	09	22	05
8.	यमकेश्वर	28	28	—	—	—	—	—	—	27	01
9.	द्वारीखाल	33	33	—	01	08	05	—	—	06	27
10.	जयहरीखाल	23	23	—	01	07	04	—	—	23	—
11.	एकेश्वर	21	21	—	—	05	03	—	—	04	17
12.	पोखड़ा	17	17	—	—	02	—	—	10	07	—
13.	रिखणीखाल	24	24	—	01	07	—	—	—	13	11
14.	बीरोंखाल	28	28	—	01	05	02	—	—	09	19
15.	नैनी डांडा	26	25	01	01	—	01	—	09	13	03
	योग	397	394	03	09	56	32	01.	35	211	147

5. **जर्जर एवं मरम्मत योग्य विद्यालय :** जनपद में काफी बड़ी संख्या में विद्यालय जर्जर एवं मरम्मत योग्य हैं। जनपद में 39 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ध्वस्त करके नये भवनों का निर्माण किया जाना है। 252 भवनों में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है।

विकासखण्डवार भवन के आधार पर विद्यालय : जनपद में अधिकांश प्राथमिक विद्यालय दो कक्षा कक्षीय हैं। विकासखण्डवार विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है।

तालिका 2.9 : विकासखण्डवार भवन के अनुसार विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	विकास का क्षेत्र का नाम	पुनर्निर्माण योग्य विद्यालय भवनों की सं0					
		भवनहीन		जर्जर		विशेष मरम्मत योग्य विद्यालय भवन	
		प्रा0 वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0 वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0 वि0	उ0प्रा0वि0
1.	पौड़ी	~~06~~	—	16	02	10	15
2.	कोट	—	—	03	02	25	10
3.	खिर्सू	—	—	10	—	15	06
4.	पाबौ	—	—	20	—	05	07
5.	कल्जीखाल	—	—	13	—	29	08
6.	थलीसैण	—	—	41	—	21	10
7.	दुगड्डा	—	—	22	—	20	10
8.	यमकेश्वर	—	—	17	—	09	12
9.	द्वारीखाल	—	—	28	01	28	09
10.	जयहरीखाल	—	—	15	01	30	10
11.	एकेश्वर	—	—	38	—	20	12
12.	पोखड़ा	—	—	08	01	03	10
13.	रिखणीखाल	—	—	20	01	11	09
14.	बीरोंखाल	—	—	25	01	41	13
15.	नैनी डांडा	—	—	34	—	15	12
	नगर क्षेत्र	06	—	10	—	12	03
	योग	06	—	320	09	294	156

तालिका 2.10 : प्राथमिक विद्यालयों का आबादी व दूरी के आधार पर विवरण

		प्राथमिक विद्यालय		
		300 या 300 से ऊपर से अधिक आबादी वाले गांवों बस्तियों की संख्या को उपलब्ध प्राथ0 विद्यालय		
क्र. सं.	विकासखण्ड	1 किमी. से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1 किमी. से 1.5 किमी.	1.5 किमी. से अधिक
1.	पौड़ी	157	—	15
2.	कोट	213	—	—
3.	खिर्सू	146	—	—
4.	पाबौ	114	30	01
5.	कल्जीखाल	237	—	—
6.	थली सैण	201	—	—
7.	दुगड्डा	286	—	—
8.	यमकेश्वर	218	4	—
9.	द्वारीखाल	225	—	—
10.	जयहरीखाल	212	—	—
11.	एकेश्वर	229	—	—
12.	पोखड़ा	133	3	2
13.	रिखणीखाल	172	11	—
14.	बीरोंखाल	359	—	—
15.	नैनी डाँडा	157	12	—
	योग	3059	60	18

तलिका 2.11

छात्र संख्या,कक्षावार/जातिवार

जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्राथमिक विद्यालय – परिषदीय

क्र0सं0	जाति	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5			महायोग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अनु0जाति	1861	2032	3893	1587	1610	3197	1549	1561	3110	1417	1397	2814	1282	1372	2654	5696	7972	15668
2	अनु0जनजाति	3	4	7	6	5	11	2	5	7	3	2	5	1	2	3	15	18	33
3	पि0जाति	38	37	75	22	16	38	28	30	58	16	21	37	23	30	53	127	134	261
4	सामान्य जाति	5715	6331	12046	5314	5813	11127	5406	5732	11138	5337	5458	10795	5351	6270	11621	27123	29604	56727
5	योग	7617	8404	16021	6929	7444	14373	6985	7328	14313	6773	6878	13651	6657	6774	14331	34961	37728	72689

स्रोत – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल

छात्र संख्या कक्षावार/जातिवार

जनपद पौड़ी गढ़वाल

उच्च प्राथमिक विद्यालय -- परिषदीय/माध्यमिक

क्र0सं0	जाति	कक्षा 6			कक्षा 7			कक्षा 8			महायोग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अनु0जाति	1263	1148	2411	988	894	1882	803	758		3054	2800	5854
2	अनु0जनजाति	5	12	17	3	12	15	20	10	30	2834	62	62
3	पि0जाति	58	43	101	34	38	72	52	30	82	144	111	255
4	सामान्य जाति	4088	4615	8703	4013	4406	8419	4285	4712	8997	12386	13733	26119
5	योग	5414	5818	11232	5038	5350	10388	5160	5510	10670	15612	16678	32290

स्रोत – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल

7. **स्कूल के अनुसार गाँव** : जनपद के 3704 आवाद ग्रामों में1659 विद्यालय स्थित हैं। जनपद में 3059 गाँवों में प्राथमिक विद्यालय 1 किमी० की परिधि में उपलब्ध है। 78 गाँवों में प्राथमिक विद्यालय 1 किमी० से अधिक की दूरी पर स्थित है।

8. **छात्र अध्यापक अनुपात :** जनपद में प्रा0वि0 के 1568 प्रधान अध्यापक के पद सृजित हैं। सहायक अध्यापक के 2575 पद सृजित हैं। उ0प्रा0वि0 में 349 प्र0अ0 व 1543 स0अ0 के पद सृजित हैं। शिक्षा मित्र के 259 पद सृजित हैं।

तालिका 2.12

कुल सृजित पद					कुल कार्यरत पद		
प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		प्राथमिक में		उ0 प्राथमिक में कुल शिक्षक
प्र0 अ0	स0अ0	शि0 मि0	प्र0अ0	स0अ0	कुल शिक्षक	शि0मि0	
1568	1702	~~529~~ 169	349	1543	2127	129	1515

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी

तालिका 2.13
शिक्षकों की उपलब्धता

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय					उच्च प्राथमिक विद्यालय		
		सृजित पद	कार्यरत	अतिरिक्त (अधिकता)	रिक्त	चयनित शिक्षा मित्र	सृजत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	पौड़ी	165	164	—	01	—	114	101	13
2.	कोट	201	192	—	09	01	125	103	22
3.	खिर्सू	119	124	—	—	—	65	59	06
4.	पाबौ	215	191	—	24	07	130	110	16
5.	कल्जीखाल	220	211	—	9	4	115	93	22
6.	थलीसैंण	302	229	—	73	17	145	93	52
7.	दुगड्डा	279	304	—	25	—	—	165	173
8.	यमकेश्वर	244	242	—	2	03	136	120	16
9.	द्वारीखाल	264	242	—	22	06	155	134	21
10.	जयहरीखाल	195	189	—	06	07	115	102	13
11.	एकेश्वर	195	176	—	19	09	84	79	05
12.	पोखड़ा	153	123	—	30	18	80	65	15
13.	रिखणीखाल	203	193	—	10	07	105	88	17
14.	बीरोंखाल	286	231	—	55	30	125	100	25
15.	नैनी डाँडा	229	206	—	23	18	115	91	24
	योग	3270	3017	30	283	127	1774	1515	267

स्त्रोत : जि0वे0शि0अ0 पौड़ी

छात्र अध्यापक अनुपात : निम्नांकित तालिका से वि0 ख0 वार छात्र–अध्यापक अनुपात की स्थिति अंकित है। जनपद में यह अनुपात 1:32 है।

		तालिका 2.14 छात्र अध्यापक अनुपात (ग्रामीण क्षेत्र)					
		परिषदीय प्राथमिक विद्यालय			परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय		
क्र0सं0	विकास खण्ड	छात्र संख्या	कार्यरत शिक्षकों की संख्या	PTR छात्र शिक्षक अनुपात	छात्र संख्या	कार्यरत शिक्षकों की संख्या	PTR छात्र शिक्षक अनुपात
1.	पौड़ी	2536	164	15.46	1057	101	10.46
2.	कोट	3083	192	16.05	1688	103	16.38
3.	खिर्सू	3147	124	25.37	871	59	14.76
4.	पाबौ	5219	191	27.32	2496	110	22.69
5.	कल्जीखाल	4583	211	21.72	1336	93	18.66
6.	थलीसैण	8900	229	38.86	3129	93	33.64
7.	दुगड्डा	9261	304	30.46	3030	173	17.51
8.	यमकेश्वर	5546	242	22.91	1457	120	12.14
9.	द्वारीखाल	4961	242	20.5	2140	134	15.97
10.	जयहरीखाल	3518	189	18.6	1436	102	14.07
11.	एकेश्वर	3641	173	20.68	1341	79	16.97
12.	पोखड़ा	2743	123	22.3	1222	65	18.8
13.	रिखणीखाल	5073	193	26.28	2645	88	30.05
14.	बीरोंखाल	5799	231	25.1	2515	100	25.15
15.	नैनीडांडा	4686	206	22.74	1337	91	14.69
	योग	72696	2127	34.17	29101	1515	19.20

स्त्रोत : जि0वे0शि0अ0 पौड़ी

तालिका 2.15 : जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान

क्र0 सं0	पदनाम	पद स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्राचार्य	01	—	01
2	उप प्राचार्य	01	—	01
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	03	03
4	प्रवक्ता	17	15	02
5	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	—
6	सांख्यिकीकार	01	01	—
7	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01
8	तकनीकी विशेषज्ञ	01	—	01
9	कार्यालय अधीक्षक	01	—	01
10	लेखा सहायक	01	01	—
11	आशुलिपिक	01	01	—
12	कनिष्ठ लिपिक	09	09	—
13	प्रयोगशाला सहायक	01	01	—
14	चतुर्थ श्रेणी	05	05	—

वर्तमान समय में डायट में प्राचार्य, उपप्राचार्य, तीन वरिष्ठ प्रवक्ता, दो प्रवक्ताओं की कमी है जिनसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।

तालिका 2.16

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	6–11 वर्ग के बच्चों की संख्या			मान्यता प्राप्त / गैर मान्यता / परिषदीय / राजकीय / प्राथमिक विद्या. में छात्र नामांकन			प्राथमिक में GER	11–14 वर्ग के बच्चे की संख्या			उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन			GER
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	पौड़ी	1920	2228	4148	1920	2226	4146	100	430	627	1057	430	627	1057	100
2.	कोट	1671	1837	3508	1671	1837	3508	100	1621	1285	2896	1612	1285	2897	100
3.	खिर्सू	1775	1923	3698	1775	1923	3698	100	975	971	1946	975	971	1946	100
4.	पावों	2794	2832	5626	2794	2832	5626	100	1406	1445	2851	1406	1445	2851	100
5.	कल्जीखाल	2459	2510	4969	2459	2509	4968	100	1197	1249	2446	697	1249	1946	100
6.	थलीसैंण	4878	4779	9657	4782	4706	9488	98.24	2174	1765	3939	2163	1705	3868	98.19
7.	दुगड्डा	5785	5815	11600	5721	5651	11372	98.03	3191	3088	6279	3191	3088	6279	100
8.	यमकेश्वर	3049	2964	6013	3039	2964	6003	100	1614	1505	3119	1614	1505	3119	100
9.	द्वारीखाल	2836	2767	5603	2835	2767	5602	100	1903	1896	3799	1902	1896	3798	100
10.	जयहरीखाल	2051	2076	4127	2051	2076	4127	100	1316	1382	2098	1316	1382	2698	100
11.	एकेश्वर	1977	2129	4106	1977	2129	4106	100	1057	1100	2157	1057	1100	2157	100
12.	पोखड़ा	1564	1440	3004	1564	1640	3204	100	1023	1082	2105	1023	1282	2305	100
13.	रिखणीखाल	2699	2832	5532	2603	2649	5252	94.93	1739	1773	3512	1646	1500	3146	89.57
14.	वीरौंखाल	3231	3300	6531	3231	3300	6531	100	1906	1912	3818	1906	1912	3818	100
15.	नैनीडांडा	2489	2891	5180	2489	2684	5183	100	1655	1636	3291	1455	1596	3051	100
	योग	41178	42123	83301	40911	41903	82814	99.18	23207	22716	45923	22393	22543	44936	99.4

तालिका 2.17

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन (6–11 वर्ग)

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	परिषदीय विद्यालयों में			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	पौड़ी	1177	1359	2536	743	867	1610	–	–	–	1920	2226	4146
2.	कोट	1455	1628	3083	127	109	236	89	100	189	1671	1837	3508
3.	खिर्सू	1444	1703	3147	331	220	551	–	–	–	1775	1923	3698
4.	पाबों	2404	2815	5219	390	17	407	–	–	–	2794	2832	5626
5.	काल्जीखाल	2210	2373	4583	187	110	297	62	26	88	2459	2509	4968
6.	थलीसैंण	4394	4506	8900	388	200	588	–	–	–	4782	4706	9488
7.	दुगड्डा	4355	4906	9261	833	512	1345	533	233	766	5721	5651	11372
8.	यमकेश्वर	2786	2750	5536	249	211	460	04	03	07	3039	2964	6003
9.	द्वारीखाल	2419	2542	4961	346	176	522	70	49	119	2835	2767	5602
10.	जयहरीखाल	1714	1804	3518	259	213	472	78	59	137	2051	2076	4127
11.	एकेश्वर	1720	1921	3641	136	88	224	121	120	241	1977	2129	4106
12.	पोखड़ा	1294	1449	2743	162	96	258	108	95	203	1564	1640	3204
13.	रिखणीखाल	2492	2581	5073	111	68	179	–	–	–	2603	2649	5252
14.	वीरोंरखाल	2814	2985	5799	375	295	670	42	20	62	3231	3300	6531
15.	नैनीडांडा	2283	2406	4689	206	288	494	–	–	–	2489	2694	5183
	योग	34961	37728	72689	4843	3470	8313	1107	705	1812	40911	41903	82814

स्रोत वि.शि.अ0 पौड़ी

तालिका 2.18
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन (11–14 वर्ग)

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	परिषदीय विद्यालयों में			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	पौड़ी	430	627	1057	–	–	–	–	–	–	430	627	1057
2.	कोट	1503	1185	2688	103	94	197	06	06	12	1612	1285	2897
3.	खिर्सू	376	495	871	599	476	1075	–	–	–	975	971	1946
4.	पाबौं	1199	1297	2496	207	148	355	–	–	–	1406	1445	2851
5.	कल्जीखाल	267	969	1236	383	237	620	47	43	90	697	1249	1946
6.	थलीसैंण	1739	1390	3129	424	315	739	–	–	–	2163	1705	3868
7.	दुगड्डा	1500	1530	3030	1510	1558	3068	181	–	181	3191	3088	6279
8.	यमकेश्वर	767	690	1457	847	815	1662	–	–	–	1614	1505	3119
9.	द्वारीखाल	963	1178	2141	937	716	1653	02	02	04	1902	1896	3798
10.	जयहरीखाल	678	758	1436	520	496	1016	118	128	246	1316	1382	2698
11.	एकेश्वर	641	700	1341	416	400	816	–	–	–	1057	1100	2157
12.	पोखड़ा	559	663	1222	464	619	1083	–	–	–	1023	1282	2305
13.	रिखणीखाल	1387	1258	2645	259	242	501	–	–	–	1646	1500	3146
14.	वीरोंखाल	1215	1300	2515	685	600	1285	06	12	18	1906	1912	3818
15.	नैनीडांडा	446	691	1137	1009	905	1914	–	–	–	1455	1596	3051
	योग	13670	14731	28401	8363	7621	15984	360	191	551	22393	22543	44936

अध्याय – 3
बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद की प्रगति

उ. प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 से वर्ष 2000 तक यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित रहा, परियोजना से पूर्व जनपद में 1435 प्राथमिक विद्यालय एवं 223 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, परियोजना की अवधि में जनपद में 1 डायट, 15 विकास खण्डों में 15 बी.आर.सी. 120 एन.पी.आर.सी., 186 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 264 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई, जनपद रूद्रप्रयाग के सृजन के उपरान्त 2 एन.पी.आर.सी. 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 40 प्राथमिक विद्यालय जनपद रूद्रप्रयाग के सृजन में सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में जनपद पौड़ी में 1 डायट 15 बी.आर.सी. 118 एन.पी. आर.सी. 397 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 1659 प्राथमिक विद्यालय हैं।

तालिका – 3.1

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्रा. वि.	कक्षा–कक्ष	शौचालय	पेयजल सुविधा	अनौ. शिक्षा केन्द्र	सामुदायिक पुस्तकालय	महिला समाख्या	B.R.C.	N.P.R.C.
वी.ई.पी. के पूर्व (वर्ष 1993–94 से पूर्व) जनपद की स्थिति	1435	223	——	——	——	5 विकास खण्ड	——	——	——	——
वी.ई.पी. के किये गये कार्यों का विवरण	264	186	——	1260	828	5 विकास खण्ड	90	03	15	120
रूद्रप्रयाग में गये संस्थायें	40	12	10	40	10	——	——	——	——	2
वर्तमान में	1659	397	371	1220	818	पंद्रह	90	3	15	118

इस बेसिक शिक्षा परियोजना की अवधि में ग्राम शिक्षा समितियों को सुदृढ़ किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों की प्रोत्साहन योजना के तहत 13 ग्राम शिक्षा समितियों को उनके कार्यों के लिये प्रथम पुरस्कार, 12 ग्राम शिक्षा समितियों को द्वितीय पुरस्कार दिया गया, धारण क्षमता में वृद्धि के लिये 1608 विद्यालयों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गयी।

बेसिक शिक्षा परियोजना अवधि में डायट द्वारा संचालित प्रशिक्षण :

गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिये जनपद के सेवारत शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परियोजना अवधि में विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण दिये गये, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ–साथ सन्दर्भ व्यक्तियों, ग्रामशिक्षा, समितियों, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को भी प्रशिक्षण दिया गया जिसकी तालिका निम्नवत् है :–

तालिका – 3.2

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	उद्देश्य
1.	अधिगम प्रशिक्षण	सक्रिय अधिगम, बहुश्रेणी शिक्षण, बालकेंदित शिक्षा गुणवत्ता सन्वर्धन हेतु
2.	सेवारत प्रशिक्षण	
	(1) दक्षता धारित प्रशिक्षण	शिक्षण की दक्षताओं का विकास
	(2) भाषा दक्षता, अनुपूरक, पुनरवोधात्मक प्रशिक्षण	भाषा की दक्षताओं, विद्याओं, नवाचारों, सहा. सामग्री का विकास हेतु
	(3) प्रा.वि. गणित प्रशिक्षण	गणित की दक्षताओं तथा नवाचार विद्याओं हेतु
	(4) उच्च प्रा.वि. गणित	गणित की दक्षताओं तथा नवाचार विद्याओं हेतु
	(5) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों में जूनियर कक्षाओं में गणित पढ़ाने वाले अध्यापक	गणित की दक्षताओं तथा नवाचार विद्याओं हेतु
	(6) प्रा. स्तर पर पर्यावरणीय/सा.मा.अ. प्रशिक्षण	पर्यावरण र्निमूल्य अथवा अल्प मुख्य शिक्षण सामग्री के माध्यन से विज्ञान तथा सामाजिक विषय पढ़ाने की दक्षता का विकास
	(7) उच्च प्रा.वि. विज्ञान/पर्या. प्रशिक्षण	पर्यावरण र्निमूल्य अथवा अल्प मुख्य शिक्षण सामग्री के माध्यन से विज्ञान तथा सामाजिक विषय पढ़ाने की दक्षता का विकास
3.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नव नियुक्त अध्यापकों का विद्यालय अभिलेख, शिक्षण विद्याओं तथा मूल्यांकन,धारण एवं गुणवत्ता की सम्प्राप्ति हेतु
4.	ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण	ग्राम शिक्षा समिति के कार्यो सक्रियता, योगदान तथा अभिभावकों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करना
5	शिशु शिक्षा केन्द्र (आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, सुपरबाजारों का प्रशिक्षण तथा पुर्नवेधात्मक प्रशिक्षण)	प्रभावो तथा नई शिक्षायें, विद्यायें, सहायक सामग्री निर्माण, समस्याओं का निराकरण तथा स्वास्थ्य निरीक्षण प्रशिक्षण शैक्षिक तकनिकियों का बोध
6.	वैकल्पिक शिक्षाधरों, अनौपचारिक अनुदेशकों, वी.एस. समन्वयकों	प्रभावो तथा नई शिक्षण, विद्यायें, सहायक सामग्री निर्माण, समस्याओं का निराकरण तथा स्वास्थ्य निरीक्षण प्रशिक्षण शैक्षिक तकनिकियों का बोध
7.	बिजनिग कार्यशाला	खेल–खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य रूचिपूर्ण बनाना
8.	समर्थन माड्यूल प्रशिक्षण	संस्थागत सम्वर्धन हेतु
9.	कार्यनुभव प्रशिक्षण	क्रियात्मक कार्य, सहायक सामग्री निर्माण एवं कढ़ाई बुनाई आदि की जानकारी

10.	शैक्षिक तकनीकी कार्यशाला	प्राथमिक /उ0प्रा. स्तर पर विज्ञान किट/गणित किट, विभिन्न विषयों की सहायक सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण में प्रयोग
11.	शिक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण कार्यशाला	विद्यालयों को शैक्षिक सर्पोट एवं अनुश्रवण का सुदृढ़ीकरण हेतु, ए.वी.एस.ए., एस.डी.आई. समन्वयक, सहसमन्वयकों से विचार विमर्श
12.	जनप्रतिनिधियां शिक्षाविदों की सार्वभौमिकरण हेतु गोष्ठी –	प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सतप्रतिशत नामांकन हेतु विचार विमर्श एवं सहयोग हेतु
13.	शैक्षिक मुल्यांकन, प्रबन्धन एवं नियोजन पर गोष्ठी	विद्यालयों के प्रबन्धन, नियोजन तथा शैक्षिक मुल्यांकन की जानकारी तथा मार्गदर्शन
14.	क्रियात्मक शोध	विद्यालय के शिक्षण में सुधार हेतु स्वयं अध्यापकों द्वारा समस्याओं का निराकरण
15. से	नामांकन गोष्ठी	समन्वयक सहयक समन्वयक को शतप्रतिशत नामांकन की रूपरेखा, रणनीति तथा क्रियान्वयन सम्बन्धित
16.	आकर्षक विद्यालय, कार्यशाला	विद्यालय का सौन्दर्यीकरण तथा छात्रों का विद्यालय एक आकर्षक का केन्द्र बनें
17.	गढ़वाली भाषा, कार्यशाला	भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार गढ़वाली अनुपूरक साहित्य का निर्माण किया गया, जिसका अनमोदन हेतु निदेशालय को प्रेषित है
		स्त्रोत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगांव पौड़ी गढ़वाल

आधारभूत मूल्यांकन अध्ययन :

बेसिक शिक्षा परियोजना के लक्ष्यों एवं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के पूर्व वर्ष 1994–95 में निम्न कारकों का मूल्यांकन प्रथम बेस लाइन सर्वे द्वारा किया गया।

(1) नामांकन, प्रारंभक शिक्षा की पूर्णता
(2) संस्थागत क्षमता
(3) गुणवत्ता में सुधार
(4) पहुंच (Access)

जनपद के 15 विकास खण्डों में से 4 विकास खण्डों कोट, जयहरीखाल, दुगड्डा, यमकेश्वर एवं नगर क्षेत्र श्रीनगर का चयन यादृच्छया (रेण्डन) किया गया। पुनः उक्त विकास खण्डों में से 43 एवं नगर क्षेत्र में से 2 प्राथमिक विद्यालयों का यादृच्छया चयन किया गया।

इन्हीं विकास खण्डों के उन्हीं विद्यालयों में मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन एवं अन्तिम मूल्यांकन अध्यन किये गये। अन्तिम मूल्यांकन अध्ययन 'डायट द्वारा करवाया गया, इनमें निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया :–

(1) कक्षा एक भाषा तथा गणित उपकरण
(2) कक्षा चार भाषा उपकरण
(3) कक्षा चार गणित उपकरण
(4) कक्षा चार साक्षात्कार (एस.पी.)
(5) अध्यापक साक्षात्कार (एस.टी.)
(6) विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का साक्षात्कार (एस.डी.)
(7) विद्यालय रिकार्ड विवरण (एस.आर.)

तालिका 3.3

आधारभूत मूल्यांकन अध्ययन (BAS) एवं आन्तरिक मूल्यांकन अध्ययन (FAS) की तुलना

कक्षा व विषय	BAS बेस लाइन सर्वेक्षण			FAS अन्तिम मूल्यांकन अध्ययन			माध्य अन्तर	CR- Value
	संख्या N	स. माध्य %	मानक विचलन SD	संख्या N	स. माध्य %	मानक विचलन %		
कक्षा 1 भाषा	421	65	31.25	353	80.95	15.54	15.95	9.20
कक्षा 1 गणित	421	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	353	79.81	14.72	———	———
कक्षा 4 भाषा	349	45.86	16.31	338	77.70	11.04	31.84	30.05
कक्षा 4 गणित	349	33.50	13.25	338	77.09	10.99	43.59	46.99

तालिका 3.4
लिंगानुसार सम्प्राप्ति की तुलना

कक्षा व विषय	सर्वे	बालक			बालिका			मध्य अन्तर	C.R. Value
		संख्या N	स. माध्य %	मानक विचलन SD	संख्या N	स. माध्य %	मानक विचलन SD		
कक्षा 1 भाषा	BAS	226	66.10	30.10	195	63.70	32.56	2.40	0.78
	FAS	164	80.80	15.40	189	81.10	15.70	0.30	0.18
कक्षा 1 गणित	BAS	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	——	——
	FAS	164	80.00	15.10	189	79.60	14.40	0.4	0.25
कक्षा 4 भाषा	BAS	186	49.35	16.03	163	41.86	15.94	7.49	1.53
	FAS	152	.78	11	186	77.4	11.1	0.60	0.07
कक्षा 4 गणित	BAS	186	35.07	13.32	163	31.75	13.05	3.32	0.93
	FAS	152	77.2	9.8	186	77	11.9	0.20	0.02

अध्याय 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदाय आधारित शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने का प्रयास है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित रूप में प्रदान करने का प्रयास है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं –

1. सभी बच्चों का 2003 तक स्कूल शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल में प्रवेश हो।
2. सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे।
3. सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।
4. सन्तोषजनक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित हो जिसमें जीवन के लिए शिक्षा पर बल हो।
5. स्त्री–पुरूष सभी अन्तर तथा सामाजिक ऊँच–नीच के भेदभाव को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर दूर करना।
6. सभी बच्चों की 2010 तक स्कूलों में अनिवार्य रूप से बनाये रखना।

सर्व शिक्षा अभियान की राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके अनुसार जनपद पौड़ी की वर्ष 2002–2003 के अन्त तक 6–11 वय वर्ग के शतप्रतिशत छात्रों का प्राथमिक स्तर पर नामांकन करने का लक्ष्य है। 2003 के अन्त तक प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 110 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि प्राथनिक स्तर में न्यून आयु और अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश की सम्भावना बनी रहती है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यचर्या में सुधार करने तथा बालकेन्द्रित कार्यकलापों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर प्रारम्भिक स्तर तक शिक्षा की उपयोगी औरी प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल देता है। इस अभियान में लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्लॉक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना उनका सुदृढ़ीकरण करना सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालयों के स्तर में वृद्धि, रख रखाव, मरम्मत तथा अध्ययन–अध्यापन उपस्करों तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सम्बन्धी सभी बातें अपनायी जायेंगी। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम विकास नवीन तकनीक आधारित शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुश्रवण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

ठहराव में वृद्धि हेतु विद्यालयों को आकर्षक बनाया जायेगा। विद्यालयों में उचित वातावरण सृजन के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय के जागरूक सदस्यों के सहयोग से विद्यालय के गरीब बच्चो के लिए गणवेश की व्यवस्था की जायेगी जिससे बच्चे आकर्षक लगें और अन्य बच्चे भी उन्हें देखकर विद्यालय जाने के लिए प्रेरित हो सकें।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (A.I.E.) – जो बच्चे अपने घरेलू कार्यो से जुड़े होने के कारण किसी प्राकृतिक बाधा के कारण विद्यालय नहीं जा पाते उनकी शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (A.I.E.) की व्यवस्था की जायेगी।

विशेष वर्ग की शिक्षा :– (समेकित शिक्षा)

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों को विद्यालयों में लाना आवश्यक है। विशेष वर्ग के बच्चों जो विभिन्न विकलांगता से ग्रसित हैं, ऐसे बच्चों को विकलांगता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा यथा श्रवण एवं वाणी विकलांगता, अस्थिविकार विकलांगता, दृष्टि विकलांगता, अधिगम मन्दता आदि। इन बच्चों के लिए समेकित अथवा व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी तथा मेडिकल एसेसमेन्ट कराने के बाद बच्चों को उपस्कर यथा चश्मा, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि दिये जायेंगे।

बालिका शिक्षा :

राष्ट्र का विकास महिला साक्षरता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अतः बालिका शिक्षा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी वर्गों की बालिकाओं के नामांकन के साथ–साथ बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत कराया जाना है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न योजना प्रस्तावित है।

1. प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
2. प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत महिला शिक्षिकाओं की व्यवस्था का प्रयास किया जायेगा।
3. माता शिक्षक संघ तथा महिला प्रेरक समूहों का गठन किया जायेगा।
4. बालिका शिक्षा की देखरेख के लिए जनपद में एक समन्वयक की नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी।
5. बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जायेंगी।
6. ऐसी बालिकायें जो किन्हीं कारणों से विद्यालयों में नहीं जाती हैं उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों (A.I.E.) की व्यवस्था की जायेगी।
7. ग्राम शिक्षा समितियों को बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्याय 5

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय न जाने वाले बच्चों को 2003 तक विद्यालय में पहुचाना है। उसके उपरान्त उनका विद्यालय में ठहराव और ड्रापआउट को शून्य करना तथा गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना को पूर्ण रूपेण लागू करने हेतु ग्राम स्तर पर विकासखण्ड स्तर पर नियोजन कर जिला स्तरीय योजना तैयार की गयी है।

माइक्रो प्लानिंग : जनपद पौड़ी के दिसम्बर 2000 तक वी.ई.पी. के कार्यक्रम संचालित होने के कारण इस जनपद में माइक्रोप्लानिंग की व्यवस्था पूर्व से ही कम्प्यूटरीकृत होती आयी है। इसी के आधार पर जो बच्चे मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाये है उनके लिए निम्न योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं। सर्वेक्षण के आधार पर जनपद में यह पाया गया कि 18 बस्तियों के बच्चे 1.5 किमी. दूर से विद्यालय जाते हैं किन्तु ये बस्तियों विद्यालय खोलने के मानक में न आने के कारण इनके लिए भी निम्न योजना प्रस्तावित की जा रही है –

क) ई.जी. एस.

ख) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

जनपद में बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक विभिन्न क्रिया कलापों का संचालन किया गया।

स्कूल चलो अभियान : जनपद में 1 जुलाई 2001 से 15 जुलाई 2001 तक घर–घर जाकर अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से सम्पर्क कर 6–11 वय वर्ग के बच्चों को स्कूल में लाने का प्रयास किया गया जिसके तहत बाल गणना कर प्रत्येक विद्यालय में बाल गणना पंजिकाएं तैयार की गयी तथा ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर पर गोष्ठियां कर बच्चों के माध्यम से जन जागरण रैली निकाली गयी तथा अभिभावकों में बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु चेतना जागृत की गयी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद स्तर पर बी. एस. ए., ए.बी.एस.ए., डायट में कार्यरत वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता की एक कोर टीम गठित की गयी। जिनके द्वारा निम्नांकित स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया गया। उनके द्वारा विचार विमर्श से जो बिन्दु उभरकर आये उनका विवरण निम्न सारिणी में दिया जा रहा है –

दिनांक	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
5.7.2001–7.7.200	राज्य संसाधन केन्द्र, देहरादून	डायट प्राचार्य, बी.एस.ए., वरिष्ठ प्रवक्ता प्रवक्ता, ए.बी.एस.ए.	क) बच्चों का स्कूल में नामांकन ख) गुणवत्तापरक शिक्षा ग) आकर्षक विद्यालय
1.8.2001	डायट, चड़ीगांव, पौड़ी	डायट प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता जि.बे.शि.अ., स.बे.शि.अ. (7)	क) प्रस्पैक्टिव प्लान के अन्तर्गत घर–घर सर्वेक्षण कार्य ख) अध्यापकों की नियमित उपस्थिति पर विचार–विमर्श

दिनांक	स्थान	प्रतिभागी	विचार विमर्श के बिन्दु
2.08.2001	जि.बे. शिक्षा अधिकारी	स. बे. अ./एस.डी. आई.	क) ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय कराने हेतु ख) बच्चों का नामांकन कराने के लिए
9.08.2001	बे. शि. अ. कार्यालय पौड़ी	जनपदीय कोर ग्रुप के समस्त सदस्य	क) प्रस्पेक्टिव प्लान के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों के सम्बन्ध में विचार विमर्श तथा निर्धन बच्चों के सम्बन्ध में विचार विमर्श ख) बालिकाओं के लिए विशेष व्यवसायिक कार्यक्रम पर विचार विमर्श तथा सिलाई, कढ़ाई। ग) कक्षा 6 से कृषि शिक्षा पर विशेष बल।
10.8.2001	एन.पी. आर. सी. स्तर	एन. पी. आर. सी. के शिक्षक तथा ग्राम पंचायत प्रधान	अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को विद्यालय में लाने के लिए विचार– विमर्श
6.9.2001	वी. आर. सी. स्तर	एन. पी. आर. सी. समन्वयक	ध्वस्त हुये शौचालय मरम्मत योग्य भवनों की जानकारी के लिए
11.9.2001–15.9.2001	एन. एस. डी. ए. आर. टी. मसूरी	बे. शि. अ., स. बे.शि. अ. डायट के वरिष्ट प्रवक्ता, प्रवक्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी	क) प्रस्पेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु प्रशिक्षण
9.4.2002 – 11.4.2002	राज्य परियोजना कार्यालय परेड ग्राउण्ड देहरादून	बे. शि. अ. स. बे. शि. अ डायट के वरिष्ट प्रवक्ता, प्रवक्ता जिला कार्यक्रम अधिकारी	वर्ष 2002–03 के वार्षिक बजट एवं कार्य योजना विषयक

उपर्युक्त गोष्ठियों, कार्यशालाओं के सम्पादन के बाद निम्नलिखित कार्यो को सम्पादित किया जायेगा। जिससे छात्र नामांकन के साथ–साथ गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रयास किया जायेगा।

1. ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
2. माइक्रोप्लानिंग
3. विद्यालय भवनों की स्थिति की जानकारी
4. विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन में समुदाय की सहभागिता
5. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना
6. असेवित बस्तियों में ई. जी. एस. तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्दों की पहचान
7. विद्यालयों में अध्यापक–अभिभावक संघ का गठन।

अध्याय 6

क्रियान्वयन की कठिनाइयाँ एवं उनके निराकरण

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक क्रान्तिकारी कदम है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भले ही अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं किन्तु समुदाय का सहयोग लेकर तथा कारगर रणनीति बनाकर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करें तो निश्चित ही लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

पहुँच

कठिनाइयाँ

1. जनपद में 78 असेवित बस्तियाँ हैं जहाँ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।
2. जनपद में 3 उ.प्रा.वि. भवनहीन हैं और 6 प्राथमिक विद्यालय भवनहीन हैं।
3. जनपद में 30 प्राथमिक विद्यालय एवं 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय ध्वस्त हैं।
4. निरक्षरता के कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं शिक्षा की जरूरत की जानकारी नहीं रखती। फलतः वे अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजती हैं।
5. जनपद में 645 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास कक्षा–कक्षों की कमी है।
6. अधिकांश विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है। जिससे मवेशी आकर विद्यालय की सुन्दरता का नुकसान करते है।
7. गरीबी के कारण कतिपय अभिभावक अपने बच्चों को घरेलू कार्य यथा खेती, जानवर चुगाना आदि में लगा देते हैं।
8. कुछ विद्यालया में शौचालयों की कमी है।
9. बहुत से विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध नहीं है।

निराकरण

1. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गतत असेवित बस्तियों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक/ई.जी.एस. खोले जाने हैं।
2. परियोजना के प्रथम वर्ष में जर्जर व जीर्णशीर्ण विद्यालय भवनों के स्थान पर 50 नवीन विद्यालय भवन, 50 विद्यालय भवनों की हल्की मरम्मत, 5. विद्यालय भवनों की विशेष मरम्मत की जायेगी।
3. वर्ष 2002–2003 में 50 विद्यालयों को शौचालय, 50 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
4. सर्व शिक्षा अभियान के वर्ष 2002–2003 में 50 एक कक्षीय विद्यालय में एक और कक्षा–कक्ष बनाया जायेगा।
5. जनपद में जनगणना अभियान चलाकर समुदाय की सहभागिता से विद्यालय न आने वाले बच्चों को नामांकन कराया जायेगा।
6. गरीबी के कारण जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते उन्हें ड्रेस तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी।
7. जनपद में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम को सुदृढ़कर साक्षरता दर बढ़ायी जायेगी।

नामांकन

कठिनाइयाँ

1. कुछ ग्रामीण बस्तियां जिनमें आबादी बहुत कम है मूल गांव से दूर होती हैं इनके बच्चे पशुपालक, कृषि आदि कार्यो में संलग्न रहते हैं विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाते।
2. कुछ बच्चे जिनकी आयु कुछ अधिक हो जाती है वे विद्यालय में छोटी कक्षा में नामांकित होने में हिचकिचाते हैं।
3. कई अभिभावक अपने बच्चों को घरेलू कार्य करवाते हैं और बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते।
4. पिछडे और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं को विद्यालय में भेजने की प्रति अभिभावक जागरूक नहीं होते।
5. आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चे विद्यालय नहीं भेजे जाते।
6. अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन कम होता है।
7. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को विद्यालय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे विद्यालय में नामांकित नहीं होते।

निराकरण

1. गाँव से दूर बिखरी हुयी छोटी बस्तियों के लिए उन्हीं परिवारों/समुदाय में से पढ़े लिखे पुरूष अथवा महिला को पारिश्रमिक देकर बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी जायेगी।
2. 20 बच्चों वाली बस्ती के लिए ई.जी.एस. या वैकल्पिक शिक्षा घर खोला जायेगा।
3. बड़ी उम्र के बच्चों को नामांकित करने के लिए ब्रिज कैंप आयोजित किये जायेंगे।
4. क) घर–घर सर्वेक्षण कर विद्यालय का नजरी नक्शा तैयार किया जायेगा।
   ख) जिन घरों के बच्चे विद्यालय आते हैं, नहीं आते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं उन घरों को विभिनन रंगों से चिन्हांकित किया जायेगा।
   ग) समुदाय की सहायता से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का नामांकन करवाया जायेगा।
5. ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया जायेगा।
6. ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय किया जायेगा जिससे गाँव में शैक्षणिक वातावरण सृजन किया जा सके।
7. शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए जनपद में एक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

धारण

कठिनाइयाँ

1. विद्यालय बाह्य एवं आन्तरिक रूप से आकर्षक नहीं है।
2. विद्यालयों में शिक्षण रूचिपूर्ण नहीं है।
3. विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, क्रीड़ास्थलों की कमी हैं।
4. अभिभावक बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने में रूचि नहीं रखते।
5. शिक्षक विद्यालयों में प्राप्त प्रशिक्षणों का उपयोग शिक्षण कार्य में नही करते हैं।

निराकरण

1. विद्यालयों को भौतिक रूप से आकर्षक बनाने के लिए प्रतिवर्ष रू. 2,000 दिया जायेगा।
2. शिक्षकों को रूचिपूर्ण शिक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. विद्यालयों में शौचालय, पेयजल तथा क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था की जायेगी।
4. विद्यालयों का निरीक्षण/अनुश्रवण नियमित रूप से किया जायेगा।
5. सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में कुछ शिक्षकों को स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे नवाचार शिक्षण कार्य करने वाले विद्यालयों का भ्रमण कराया जायेगा।
6. विद्यालयों में छात्रों को लिखने के लिए कक्षा–कक्षों में लेखन बही बनवायी जायेगी।
7. विद्यालय का आकर्षण बनाने एवं बनाये रखने हेतु चारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा।
8. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

गुणवत्ता सम्वर्द्धन

कठिनाइयाँ

1. सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना है। किन्तु समुदाय, शिक्षकों, प्रशिक्षकों को बहुआयामी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।
2. छात्र–छात्राओं का न्यूनतम अधिगम स्तर अपेक्षित नहीं है।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को दायित्वों की जानकारी नहीं होती है।
4. शिक्षक के लम्बे अवकाश पर जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है।
5. दूर–दराज के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है।
6. ग्राम शिक्षा समिति तथा समुदाय विद्यालय को शैक्षिक उन्नयन में सक्रिय सहयोग नहीं देते हैं।
7. स्थानीय आधारित एवं बालकेन्द्रित रूचिकर पाठ्यक्रम का अभाव है।
8. विशिष्ठ समूह के बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री का अभाव है।
9. शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है।
10. ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें अभिभावक विद्यालय की समस्यायें को सुलझाने हेतु प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकें।
11. विद्यालयों में बच्चों एवं शिक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।
12. जिन विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था है वहाँ पर पुस्तकालय का नियमित उपयोग नहीं किया जाता।

निराकरण

1. बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों को बहुआयामी प्रशिक्षण दिया जायेगा। शिक्षकों के दृष्टिकोण बदलने के लिए विजिनिंग, विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, ऐक्सन रिसर्च कराया जायेगा।
2. विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट, अनुश्रवण किया जायेगा जिससे बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति हो।
3. शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी।
4. माँ–बेटी मेला, रामलीला मंच, जनजागरण द्वारा ग्राम शिक्षा समिति तथा समुदाय के सदस्यों की सक्रियता बढ़ायी जायेगी।
5. डायट स्तर पर स्थानीय आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा।
6. विशिष्ठ समूह के बच्चों के लिए माड्यूल तैयार किये जायेंगे।
7. शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए शिक्षकों को प्रतिवर्ष रू. 500 दिया जायेगा।
8. विद्यालय में एक अध्यापक–अभिभावक संघ बनाया जायेगा।
9. प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. पर पुस्तकालय खोला जायेगा।
10. जनपद में सचल पुस्तकालय खोला जायेगा जिसको दो मार्शल जीप की सहायता से संचालित किया जायेगा।
11. नव नियुक्त शिक्षकों को 30 दिन का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा।
12. गुणवत्ता सम्बर्द्धन एक व्यापक विषय है यह छात्रों के नामांकन, धारणा तथा गुणवत्तापरक शिक्षा से सम्बन्धित है। अतः इसे कठिनाइयों एवं निराकरण के रूप में बिन्दुवार प्रस्तुत किया जा रहा है –

(क) डायट में प्रशिक्षण :

क्रियान्वयन / कठिनाई

1. डायट में आवासीय व्यवस्था की कठिनाई
2. डायट में व्याख्यान कक्ष, कक्षा कक्षों की कमी।
3. डायट में पेयजल की व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित है। पाइपलाइन बहुत दूर से आने के कारण निरन्तर टूटतो रहती है। पानी बिना फिल्टर आता है जिससे प्रशिक्षणार्थियों का स्वास्थ्य खराब हो जाने से प्रशिक्षण बाधित होता है।
4. पुस्तकालय कक्ष, वाचनालय कक्ष की कमी।

निराकरण

1. महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था उपलब्ध कराना।
2. एक व्याख्यान कक्षा तथा दो कक्षा–कक्ष निर्माण।
3. पेयजन की व्यवस्था के लिए नई पाइप लाईन डलवाकर सुव्यवस्थित करना।
4. पुस्तकालय, वाचनालय कक्ष उपलब्ध कराना।

(ख) सेवारत प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. शिक्षकों का नवीन शिक्षण प्राविधियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण।
2. शिक्षकों की नवीन शिक्षण तकनीकियों की जानकारी की कमी।
3. शिक्षकों में विषयवस्तु की जानकारी की कमी।

निराकरण

1. शिक्षकों के दृष्टिकोण बदलने के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन।
2. प्रा.वि. के शिक्षकों का विभिन्न विषयों का नवीन तकनीकी आधारित प्रशिक्षण।
3. विषयवस्तु की जानकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण।
4. नव नियुक्त शिक्षकों का 30 दिन का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण।
5. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का विभिन्न विषयों में नवीन तकनीकी आधारित प्रशिक्षण।

(ग) ग्राम शिक्षा समिति एवं सामुदायिक सहभागिता :

कठिनाइयाँ

1. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य सक्रिय नहीं हैं।
2. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अध्यापकों तथा पर्यवेक्षक, अधिकारियों के मध्य रचनात्मक सम्बन्ध नहीं रहते।
3. दूरस्थ क्षेत्रों की जनता प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता नहीं समझती।
4. समुदाय विद्यालय के प्रबन्धन में रूचि नहीं रखता।

निराकरण

1. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को सक्रिय बनाने की लिए प्रशिक्षण।
2. ग्राम शिक्षा समिति की मासिक बैठकों का आयोजन।
3. अध्यापक अभिभावक संघ का गठन।
4. जनजागरण अभियान।
5. शिक्षकों अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित किया जायेगा।
6. निरीक्षण/अनुश्रवण पर जाने वाले अधिकारी समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से सम्पर्क करेंगे।

(घ) नवाचार :

कठिनाइयाँ

1. शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का नामांकन नहीं होता तथा उनकी धारणा क्षमता में कठिनाई।
2. 11–14 वय वर्ग वाली अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं में धारणा क्षमता में कमी।

निराकरण

1. जनपद स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए आवश्यकतानुसार सामग्री जैसे श्रवण यन्त्र उपलब्ध कराना।
2. 11–14 वय वर्ग की अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जायेगी।
3. न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय में 11–14 वय वर्ग की बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण।

(ङ) बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों तथा संदर्भदाताओं के लिए उचित साहित्य का न होना।
2. समन्वयकों तथा संदर्भदाताओं का विभिन्न विषयों में तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव।
3. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का अनुश्रवण के लिए 8 किमी. से बाहर न जाने पर यात्रा भत्ता न दिये जाने की कठिनाई।

निराकरण

1. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों तथा संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण के लिए उचित साहित्य की व्यवस्था की जायेगी।
2. विभिन्न विषयों के नवीन शिक्षण विद्यालयों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
3. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को शैक्षिक सर्वेक्षण तथा अनुश्रवण करने सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
4. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को 8 किमी. से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता की व्यवस्था की जायेगी।

(च) ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. को शैक्षणिक सम्बन्धी प्रशिक्षण न दिये जाने से विद्यालयों का सही पर्यवेक्षण न करने सम्बन्धी कठिनाई।
2. शिक्षण की नई विधाओं की जानकारी प्रशिक्षण के अभाव में न होना।

निराकरण

1. ए.बी.एस.ए. / एस.डी.आई. के विद्यालयों का पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
2. शिक्षण की नई विधाओं की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिससे ए.बी.एस.ए. / एस.डी.आई. विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट दे सकें।

(र) प्रधान अध्यापकों का प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. प्रा.वि. तथा उ. प्रा. वि. प्रधान अध्यापकों को नियोजन एवं प्रबन्धन की जानकारी नहीं है।
2. प्रा.वि. तथा उ.प्रा. के प्रधान अध्यापकों में नेतृत्व क्षमता की कमी।

निराकरण

1. प्रा.वि. तथा उच्च प्रा.वि. के प्रधानाध्यापकों को नियोजन एवं प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता सम्वर्द्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ल) शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. शिक्षा मित्रों को शिक्षण सम्बन्धी तकनीक की जानकारी का अभाव।
2. विषयवस्तु की जानकारी की कमी।

निराकरण

1. शिक्षा मित्रों के शिक्षण की नवीन विधाओं का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. शिक्षा मित्रों के विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी बढ़ाने के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(व) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में शैक्षणिक अनुभव नहीं होना।
2. कार्यकत्रियों को कार्यानुभव की जानकारी की कमी।

निराकरण

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को शैक्षणिक अनुभव की जानकारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण।
2. कार्यानुभव की जानकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(ट) शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. शिक्षण अधिगम सामग्री की कमी
2. शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव

निराकरण

1. शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रत्येक शिक्षक को रू. 500 दिया जायेगा।
2. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अधिगम सामग्री का विकास और प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जायेगा।

(ठ) शिक्षकों की कमी :

कठिनाइयाँ

1. जनपद में 161 विद्यालय एकल चल रहे हैं जिससे बच्चों का पठन–पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है।
2. दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों का ठहराव कम रहता है।

निराकरण

1. नये शिक्षकों की भर्ती कर शिक्षकों की कमी को पूरा किया जायेगा।
2. शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी।

अध्याय –7
क्रियान्वन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उत्तरांचल सभी के लिये शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह उपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदयिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, ज्वाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया.स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रवंध तन्त्र तैयार किया हैं, जो निम्नवार दर्शाया जा सकता है–

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू0पी0ई0एफ0ए0पी0बी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0टी0 एस0आई0ई0, सीमैट एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0 आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक	सकुंल संसाधन केन्द्र

संगठानात्मक ढांचा–निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम समिति की स्थापना की गयी है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1. ग्राम पंचायत प्रधान : अध्यक्ष

2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां 1 से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्टतम सदस्य सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा।

3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी :–

(क) बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

(ख) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, की अभिवृद्धि और विकास करना।

(ग) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(घ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(ड़) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपि जायें।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित हैं। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भगीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके। कार्यक्रम में सक्रिय समुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिये पी०टी०ए०, महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जायेगें, जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी योगदान

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। हर बच्चा हो स्कूल में "हर स्कूल हो सुन्दर व हर बच्चा सीख रहा हो" के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करेंगे। अपने संकल्प से अन्य सुविधाओं के लिए करेंगे।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन.पी.आर.सी.) :—

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ—साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनके प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :—

(1) न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण अनुश्रवण/शैक्षिक सपोर्ट करना।
(2) अध्यापकों की मासिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार—विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
(3) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
(4) ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
(5) न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :—

जिले की भांति ही प्रत्येक स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत सतर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है :—

(1) ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
(2) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
(3) क्षेत्रीय समिति नामित एक प्रधान	सदस्य
(4) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक अध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :—

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11909
DOC, No ...
Date 27-09-2002

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षक वे अनुश्रवण करेगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगीं। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकस खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगें। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकार के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :–

(1) सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
(2) विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
(3) ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
(4) ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
(5) ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
(6) सभी प्रकार की छात्रवृतियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
(7) खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
(8) विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
(9) ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
(10) अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.)

इस जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक समन्वयक का पद सृजित किया गया है जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेगें।

कार्य एवं दायित्वः–

1– अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2– विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3– विकास खण्डो की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना,शैक्षणिक आवश्यकताओं का शूक्ष्म नियोजन करना।
4– ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5– न्याय पंचायत केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6– ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7– विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों में बस्ती बार तथा बच्चों का नामबार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना।
8– ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारत एवं रणनितियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, वेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत हैः–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	प्राचार्य डाइट	सदस्य
3–	वरिष्ट प्रवक्ता/प्रवक्ता डायट	सदस्य
4–	उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5–	जिलाधिकारी द्वारा नामित अनु0 जाति का सदस्य	सदस्य
6–	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
7–	स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
8–	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक–एक अध्यापक	सदस्य
9–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

वह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे सभी निर्णय लेके का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध मं इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगो को मानने होंगे।

सभी कार्य इसी सनिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समितिं होगी। जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :–

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है :–

1– जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
3– अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5– जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7– तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	सदस्य
8– विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिशद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी :–

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।
(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।
(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार–सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

प्रशासनिक तन्त्र–जिला परियोजना कार्यालय :–

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर उसमें तैनात की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे :–

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई.जी.एस./ए.आई.ई.)	1
3.	समन्वयक	4
4.	कम्प्यूटर आपरेटर	1
5.	सहायक लेखाधिकारी	1
6.	लेखाकार	1
7.	लिपिक	1
8.	परिचालक	2

उपयुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रतिम उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यक्रम में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम.आई.एस. स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलबध है। आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इस कम्प्यूटर को संचालित करने हेतु एक कम्प्यूटर सहायक की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी।

प्रशिक्षण :–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी.आर.सी. समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई.एम.आई.एस. सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

(1) ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण – जिला स्तर पर।

(2) ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण – ब्लाक स्तर पर।

(3) ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण – न्याय पंचायत स्तर पर।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच :–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र B.E.P. के अन्तर्गत पूर्व से उपलब्ध है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई.एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्पयूटर प्रिन्ट–आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग :–

ई.एम.आई.एस. आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे :– जी.ई.आर., एन.ई.आर., ड्राप–आउट दर, छात्र–अध्यापक अनुपात, एकल अध्यापिकीय आदि विद्यालय प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन् इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्ट्मस में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदानुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के वाहर के वच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या विश्लेषण एक ही स्त्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वंछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ठ होगा। उदाहरण स्वरूप आंकड़ों का उपयोग कातिपय निम्न कार्यों हेतु किया जा सकता है।

(1) नवीन विद्यालयों बस्तियों की पहचान।

(2) शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु वस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

(3) छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

(4) एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

(5) छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

(6) वालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों न्याय पंचायतों निकायों का चिन्हीकरण।

(7) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।

(8) अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।

(9) शिक्षकों का विवरण।

(10) विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टरा।

(11) विकलांगतावर आंकड़ों के अनुसार उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई.एम.आई.एस. से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :-

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होगें :-

(1) विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों की चयनित कर प्रशिक्षित कराना

(2) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा के अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना। जिससे जिले स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके।

(3) ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना ।

(4) जिले स्तर की शिक्षा समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।

(5) जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवाश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

(6) ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलपों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

(7) जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

(8) जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

(9) न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना।

(10) शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

(11) शैक्षिक आंकड़ों (ई.एम.आई.एस. के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

(12) शिक्षकों, समन्वयकों, ई.सी.सी.ई. तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम्स :-

एम.आई.एस. के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने के प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल.ऐ.सी.आई. (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रयोग किया जायेगा। जिसके लिये भी एम.आई.एस. प्रयोग में लाया जायेगा।

निधि का प्रवाह :–

वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायगी। प्रशिक्षण, अकादमिक, पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयंसेवी संस्थाओं, अध्यापक आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है। जिसके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

1. ग्राम शिक्षा समिति
2. बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी.
3. अध्यापक
4. स्वयं सेवी संस्था आदि

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी.

विकास खण्डवार कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र	नवीन विद्यालय खोलना			भवन हीन विद्यालय	ध्वस्त विद्यालयों का पुनर्निर्माण			घेरबाढ़			अतिरिक्त कक्षा कक्ष			शौचालय			पानी की व्यवस्था			मरम्मत
		प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग		प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	
1	पौड़ी	—	—	—	—	7	1	8	22	6	28	4	1	5	5	5	10	5	5	10	10
2	कोट	—	1	1	—	6	1	7	20	6	26	4	1	5	5	5	10	10	5	15	7
3	खिर्सू	—	—	—	—	6	—	6	20	6	26	3	1	4	3	2	5	3	2	5	6
4	पाबौ	—	—	—	—	6	1	7	18	6	24	4	1	5	5	5	10	4	1	5	10
5	कल्जीखाल	—	—	—	—	8	1	9	22	6	28	4	1	5	5	5	10	10	5	15	8
6	थलीसैंण	1	1	2	—	6	2	8	30	7	37	6	2	8	10	5	15	3	3	6	15
7	दुगड्डा	—	—	—	—	7	—	7	30	7	37	6	—	6	4	4	8	4	4	8	8
8	यमकेश्वर	—	—	—	—	6	—	6	25	7	32	5	—	5	3	3	6	10	3	13	8
9	द्वारीखाल	1	—	1	—	6	—	6	30	7	37	6	—	6	5	5	10	10	5	15	8
10	जयहरीखाल	—	—	—	—	7	—	7	26	7	33	6	1	7	5	5	10	10	5	15	10
11	एकेश्वर	—	—	—	—	6	1	7	15	6	21	4	1	5	7	3	10	3	3	6	6
12	पोखड़ा	—	—	—	—	6	—	6	15	6	21	4	2	6	7	2	9	4	2	6	6
13	रिखणीखाल	1	1	2	—	7	—	7	30	6	36	6	1	7	5	4	9	5	4	9	15
14	बीरोंखाल	1	1	2	—	8	2	10	30	8	38	6	1	7	7	3	10	4	3	7	15
15	नैनीडांडा	1	1	2	—	6	1	7	30	6	36	5	1	6	7	2	9	4	2	6	12
16	न0क्षे0 कोटद्वार	—	—	—	—	1	—	1	6	2	8	1	1	2	3	3	6	4	3	7	3
17	न0 क्षे0 पौड़ी	—	—	—	3	1	—	1	6	1	7	1	—	1	2	1	3	1	1	2	3
	योग	**5**	**5**	**10**	**3**	**100**	**10**	**110**	**375**	**100**	**475**	**75**	**15**	**90**	**88**	**62**	**150**	**94**	**56**	**150**	**158**

अध्याय–8

कार्य योजना एवं प्रस्तावित बजट

ACCESS-

1– नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलना:–

जनपद पौड़ी के असेवित बस्तियां जहां पर अभी तक प्राथमिक स्तर के शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, तथा मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोलें जाने है। ऐसे 5 विकास खण्ड थलीसैंण नैनीडांडा, रिखणीखाल, द्वारीखाल बीरोंखाल में एक–एक विद्यालय इस वर्ष की कार्य योजना में प्रस्तावित किया गया है।

2– नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना:–

1– जनपद पौड़ी के असेवित बस्तियां जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता हैं, मानक के अनुसार दो विकास खण्डों में में एक–एक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किया गया है।

2– नगर–क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के तीन ऐसे प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया है, जिन्हें किसी भी मद से भवन नर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं हुयी हैं।

3– अध्यापकों का वेतन:–

सर्व शिक्षा परियोजना के तहद् स्वीकृत 2001–2002 में 91 प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों तथा 91 पैरा अध्यापकों का वेतन एवं वर्ष 2002–2003 में प्रस्तावित पांच प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं पैरा अध्यापकों का 8 माह का वेतन कुल 96 स0अ0 एवं 96 पैरा अध्यापक प्रस्तावित किया गया है।

4– उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन:–

सर्व शिक्षा परियोजना के तहद् 2001–2002 में स्वीकृत 06 सहायक अध्यापक व 2002–2003 के लिए प्रस्तावित पांच उच्च प्राथमिक विद्यालय के 15 अध्यापकों का वेतन प्रस्तावित किया गया हैं।

5– विद्यालयों की साज–सज्जा:–

वर्ष 2002–2003 में जिन विद्यालयों में साज–सज्जा का अभाव है, ऐसे दो प्राथमिक एवं पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

RETANTION-

1— अतिरिक्त कक्षा कक्षः— (प्राथमिक विद्यालय)

जिन प्राथमिक विद्यालयों में दो ही कक्षा कक्ष है तथा छात्र संख्या 100 से अधिक है। ऐसे 20 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु प्रस्तावित किये गये है।

2— अतिरिक्त कक्षा—कक्षः— (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां पर 100 से अधिक छात्र संख्या है जहां प्रर्याप्त मात्रा में कक्ष उपलब्ध नहीं है, ऐसे 15 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा—कक्षों की मांग प्रस्तावित की गयी है।

3— पुनर्निर्माण (प्राथमिक) :—

जनपद में इस कार्य वर्ष के प्रस्ताव में 10 विद्यालय ऐसे प्रस्तावित किये गये है। जिनके भवन जीर्ण—शीर्ण है, अथवा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके है। उनके पुर्न निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

4— पुनर्निर्माण (उच्च प्राथमिक विद्यालय) :—

जनपद में इस वर्ष के प्रस्ताव में 5 ऐसे विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं, जिनके विद्यालय भवन अनुउपयोगी है, तथा शिक्षा के हित में इनका पूनर्निर्माण होना आवश्यक है।

5— पेयजल (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय) :—

जनपद के 25 प्रा0वि0 तथा 30 उच्च प्रा0 ऐसे विद्यालयों में पानी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव रखा गया है जहां पर छात्रों के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथनिक विद्यालयों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है।

6— शौचालय स्थापना (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय) :—

जनपद में ऐसे 25 प्रा0वि0 तथा 30 उ0प्रा0 विद्यालयों में शौचालय हेतु प्रस्ताव रखा गया है, जहां पर बालिकाओं पर बालिकाओं की संख्या अधिक है अथवा बालिका विद्यालय है।

7— भवन मरम्मत (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय) :—

जनपद के कतिपय विद्यालयों में दरवाजे, खिड़कियां, फर्श आदि की सामान्य मरम्मत की आवश्यकता है, अतः इस वर्ष के प्रस्ताव में 150 प्राथमिक एवं 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।

8– विद्यालय अनुदानः–

ठहराव में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि विद्यालय आकर्षक हो और विद्यालयों के समय–समय पर सौन्दर्यकरण होता रहें, इसलिए जनपद में स्थापित (2076) विद्यालय अनुदान हेतु प्रति विद्यालय रु02000.00 का प्रस्ताव रखा गया है।

2324

9– बालिका शिक्षाः–

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 60 विद्यालयों में विभिन्न लाभदायी प्रोग्राम रखे गये है, जिनसे बालिकाओं का शिक्षा के प्रति रूचि बढ़े और विद्यालयों में नामांकन के बृद्वि हो सके।

10– सामुदायिक सहभागिताः–

समुदाय की पूर्ण सहभागिता हेतु तथा इस कार्यक्रम से ग्राम शिक्षा समितियों (M.T.A./P.T.A./S.M.C.) कमेटियों को जोड़ने हेतु यह आवश्यक है कि इन का प्रशिक्षण किया जाय इसलिए इन कमेटियों के प्रशिक्षण का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

11– समेकित शिक्षा :–

जनपद में 5 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जा सकता वर्तमान में इस जिले में 237 विकलांग बच्चे अनुमानित है। बाद में मेडिकल बोर्ड के द्वारा इन्हें विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जायेगा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

CAPACITY D.I.E.T.

1– भौतिक संसाधन :–

संस्थान को सुचारू एवं सुव्यवस्थित चलाने के लिए भौतिक संसाधनों में (फर्नीचर,गाड़ी,पेट्रौल, पुस्तकालय,टेलीफोन,कम्प्यूटर) आदि की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही शिक्षा में गुणत्मक सुधार के लिए शोध कार्यक्रमों संकाय विकास (Faculty Development) आदि का प्रस्ताव भी रखा गया है।

2– ब्लाक संसाधन केन्द्रः–

भौतिक संसाधन एवं समन्वयक/सह समन्वयक का वेतन आदि।

विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु अध्यापक आदि का प्रशिक्षण सुनियोजित ढ़ंग से चलाने के लिए बी0आर0सी0 में विभिन्न भौतिक संसाधनों की मांग समन्वयको का वेतन,यात्राभत्ता,भवन मरम्मत,सामग्री मरम्मत पुस्तकालय तथा शोध आदि कार्य के लिए धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

3– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रः–

कलस्टर स्तर पर न्याय पंचायत संसाधनों का रखरखाव एवं न्याय पंचायत स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के लिए कलस्टर न्याय पंचायत स्तर पर नियुक्त समन्वयक का वेतन,कार्यलय सामग्री तथा भवन के मरम्मत इत्यादि के लिए प्रस्ताव रखा गया है।

नये न्याय पंचायतो को खोलने हेतु प्रस्तावः–

पूर्व में स्वीकृत कुछ न्याय पंचायतों के अर्न्तगत 15 से 20 विद्यालय तक रखे गये हैं। जिससे समस्त विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। इसलिए जनपद में 2 नवीन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

4– जिला परियोजना कार्यालयः–

जनपद में होने वाली समस्त शैक्षिक/निर्माण कार्य/प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला परीयोजना कार्यलय का गठन किया जाना अति अनिवार्य है। इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु निम्नलिखित पदों की मांग का प्रस्ताव रखा गया है।

1– जिला समन्वयक – 4

2– सहायक लेखाधिकारी –1

3– लेखाकार –1

4– लिपिक –1

5– कम्प्यूटर सहायक –1

6– परिचारक –2

इसके अतिरिक्त कार्यलय के संचालन हेतु स्टेशनरी,फर्नीचर,तेल,यात्रा भत्ता,टेलीफोन,अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं का मानदेय का प्रस्ताव भी रखा गया है।

QUALITY

Q- **1– शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षणः–**

परियोजना के तहत खुले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया है।

2–अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण :–

जनपद में कार्यरत समस्त अध्यापक/प्र0 अ0/स0अ0 का 10 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है

5– डायट में कार्यरत अध्यापको का प्रशिक्षण :–

शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं कार्यरत अध्यापकों की नवीन शिक्षा विधियों का ज्ञान हेतु डायट में 5 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

6– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण :–

विद्यालयों मे कम्प्यूटरीकृत शिक्षा के ज्ञानार्जन हेतु जूनियर हाई स्कूलों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसलिए आवश्यक है कि इन विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कराया जाय जिसका प्रस्ताव किया गया है।

7– अध्यापक अनुदान :–

विभिन्न कक्षाओ,कक्षा शिक्षण हेतु पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जनपद में कार्यरत प्राथमिक एवं जूनियर में कार्यरत 5684 अध्यापकों के लिए अध्यापक अनुदान का प्रस्ताव किया गया है। जिससे शिक्षा में गुणत्मक सुधार किया जा सके और अध्यापक अपने स्तर से पाठ्यक्रम के अनुसार सहायक सामग्री का निर्माण व उपयोग कर सके।

8– निःशुल्क पाठ्य पस्तकों का वितरण :–

जनपद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं एवं समस्त प्रकार की बालिकाओं के लिए जिनकी संख्या प्राथमिक विद्यालय में 45439 तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में 19760 है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का प्रस्ताव इस वर्ष के प्रस्ताव में रखा गया है।

वर्श 2002–2003 के लिए प्रमुख हस्तेक्षपवार वार्षिक योजना का वित्तीय लक्ष्य निम्नवत है।

तालिका

(In thousand)

S.No.	Name of Intervention	Civil Work	Management Cost	Programme	Total proposed amount 2002-2003
A	Access	4200.00	---	1080.00	5280.00
R	Retention	11600.00	---	32043.72	43643.72
Q	Quality Improvement	---	---	10851.205	10851.205
C	Capacity	400.00	3728.75	9901.00	14029.75
	Total	**16200.00**	**3728.75**	**53875.925**	**73804.675**
	Percentage%	**21.95%**	**5.05%**	**73.00%**	**100%**

Table-A: Last year Activities Progress Year (2001-02)

Access (In thousand)

S.No.	Head/Sub Head Activity	Phy. Target	Last Year Sanctioned Amount with Spill Over	Re-approprited Amount	Revised Sanctioned Amount	Physical Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Remark
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1(1) (2)	Opening of new Primary School Building for building less P.S.	3	825.00							825.00	Spill over
(3)	New Upper Primary School										
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (3 Months)	91	1638.00							1638.00	
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (3 Months)	9	614.35							614.35	
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (3 Months)	153	3442.5							3442.50	
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools										
(8)	Furniture & Equipment in U.P. S.										
	TOTAL (A1)		**6519.85**							**6519.85**	
A2	**Intervention for out of school children**										
(1)	A.I.E. Primary including all models										
(2)	E.G.S.(12 Months)										
(3)	Back To School Campaign										
	Total (A2)										
	Sub Total A1+A2		**6519.85**							**6519.85**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R(1)	**Retention**										
(1)	Additional Class Room P.S.										
(2)	Additional Class Room U.P.S.										
	Total R(1)										
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	9	2475.00							2475.00	
(2)	Re Construction of old U.P.S	2	800.00							800.00	
	Total R(2)		3275.00							**3275.00**	
R(3)(1)	Toilet in P.S.&U.P.S.	15	225.30							225.30	
(2)	Drinking Water P.S.+U.P.S.										
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	30	150.00							150.00	
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	20	100.00							100.00	
	Total (R3)		**475.00**							**475.00**	
R(4)(1)	Boundary Walls for P.S.	15	600.00							600.00	
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	15	750.00							750.00	
	Total (R4)		**1350.00**							**1350.00**	
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.										
(2)	School Improvement Grant U.P.S.	2065	4130.00							4130.00	
	Total (R5)		**4130.00**							**4130.00**	
R6	**Innovation Programme**										
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education	15	375.00							375.00	
(2)	Summer Camp										
	Total (R6)		**375.00**							**375.00**	
R7	M.C.D.A. Including Gender Sensitization										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education										
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block										
R(10)(1)	Strengthen of I.C.D.S. Center										
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material										
(3)	T.L.M.										
(4)	Additional Honoriam (12 Months)										
(5)	Contingence Grant										
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days										
(7)	Recurring (Per Center)										
	Total R(10)										
R(11)	**Community Mobilization**										
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days	560	11.20							11.20	
(2)	Kala Jatha at Block & District level										
(3)	Development awareness Material	15	75.00							75.00	
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization										
(5)	Award of V.E.C.										
(6)	Award of Best Siksha Mitra										
(7)	Remedial Teaching of ST/SC										
(8)	Provision for Disabled Children	30	36.00							36.00	
(9)	Computer Education for U.P.S.										
(10)	School Health Checkup P.S./U.P.S.										
(11)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.										
	Total (R11)		**122.20**							**122.20**	
	SUBTOTAL OF R(R1-R11)		**9727.20**							**9727.20**	
C1	**D.I.E.T.**										
(1)	Additional Room										
(2)	Furniture										
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)										
(4)	P.O.L.										
(5)	Drinking Water Facility										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
(6)	Educational Support and Monitoring	300	150.00							150.00	
(7)	Research & Action Research										
(8)	Faculty Development										
(9)	Exposure Visit										
(10)	Library										
(11)	Fax & Telephone										
(12)	Computer										
(13)	Consumable Computer Stationary										
(14)	Women Hostel										
	Total C1		**150.00**							**150.00**	
C2	**B.R.C.**										
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (3 Months)	2	45.00							45.00	
(2)	Salary of Assist. coordinator 3 mo.										
(3)	Traveling Allowances										
(4)	Maintenance of Equipment										
(5)	Maintenance of Building										
(6)	Books & Library										
(7)	Monitoring & Supervision	750	225.00							225.00	
(8)	Consumable Material										
(9)	Contingence	15	90.00							90.00	
(10)	Monthly Review of N.P.R.C.										
(11)	Computer										
(12)	Repair & Mantance of B.R.C.										
(13)	Fax And Phone										
(14)	Furniture Grant	15	1500.00							1500.00	
	Total C2		**1860.00**							**1860.00**	
C3	**N.P.R.C./C.R.C.**										
(1)	Construction of new C.R.C.	2	400.00							400.00	
(2)	Salary of coordinator (12 Months)										
(3)	Equipment & Furniture										
(4)	Contingency	118	295.00							295.00	
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.										
(6)	Monitoring and Supervision	1659	331.80							331.80	
(7)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.										
(8)	Fax and Phone										
	Total(C3)		**1026.80**							**1026.80**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C4	D.P.O.										
(1)	Salary Coordinator (3 months)	4	132.00							132.00	
(2)	Salary of Assit.Account Officer (3 months)										
(3)	Salary of Accountant (3 months)										
(4)	Salary of clerk (3 months)										
(5)	Salary of Computer Operator (3 months)	1	21.00							21.00	
(6)	Salary of Peon (3 months)										
(7)	Books and Library										
(8)	Preparation of A.W.P.B.	1	15.00							15.00	
(9)	Traveling Allowance	1	20.00							20.00	
(10)	Consumable	1	30.00							30.00	
(11)	Telephone and Fax										
(12)	Vehicle ment. and Petrol	1	50.00							50.00	
(13)	Honarium of A.E./J.E.	15	180.00							180.00	
(14)	Ment. of Equipment	1	10.00							10.00	
(15)	Contingence	1	25.00							25.00	
(16)	Research and Evaluation										
(17)	Monitoring and supervision	500	200.00							200.00	
(18)	Furniture And Fixture	1	50.00							50.00	
(19)	Consultant Honarium										
	Total C4		**733.00**							**733.00**	
C5	**M.I.S.**										
(1)	Cell Furnishing	1	50.00							50.00	
(2)	Printing and Distribution of Data Formats	1	20.00							20.00	
(3)	Mantanace of Equipment	1	20.00							20.00	
(4)	Computer Consumable	1	25.00							25.00	
(5)	M.I.S. Equipment	1	460.00							460.00	
	Total C5		**575.00**							**575.00**	
	Sub Total C(C1-C5)		**4344.80**							**4344.80**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Q1	**Quality Improvement**										
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)										
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)										
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)	335	234.50							234.50	
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)										
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)										
(6)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	75	52.50							52.50	
(7)	Staff Development Traning of D.I.E.T. (5 days)										
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	18	6.30							6.30	
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)										
(10)	B.R.C. Staff Training for gender sensitization (5 days)	30	12.60							12.60	
(11)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)	120	50.40							50.40	
(12)	Honarium Of Resource Person										
(13)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P.R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)										
	Total Q1		**356.30**							356.30	
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.										
(2)	Teacher's. Grant U.P.S./H.S./Inter.	5041	2520.50							2520.50	
(3)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.	41000	6150.00							6150.00	
(4)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	21543	3231.45							3231.45	
(5)	School award for Best School										
	Total Q2		**11901.95**							**11901.95**	
	Sub Total Q1+Q2		**12258.25**							**12258.25**	
	Grand Total		**32850.10**							**32850.10**	

Table-B Spill Over Work Plan For Coming(Next)Year (2001-02)

Access:-

In Thousand

S.No.	Head/Sub Head Activity	Approximate		Balance Continue (SpillOver) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Contiue Spill Over	Implementation Agency &Time Period	Remark
		Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount					
	A	B	C	D	E	F	G	H
A1(1)	Opening of new Primary School							Spill Over
(2)	Building for building less P.S.	3	825.00	3	275.00	825.00	V.E.C.	
(3)	New Upper Primary School							
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (12 Months)							
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (12 Months)							
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (12 Months)							
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools							
(7)	Furniture & Equipment in U.P. S.							
	TOTAL (A1)		825.00			825.00		
A2	**Intervention for out of school children**							
(1)	A.I.E. Primary including all models							
(2)	E.G.S.(12 Months)							
(3)	Back To School Campaign							
	Total (A2)							
	Sub Total A1+A2		825.00			825.00		

	A	B	C	D	E	F	G	H
R(1)	**Retention**							
(1)	Additional Class Room P.S.							
(2)	Additional Class Room U.P.S.							
	Total R(1)							
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	2	550.00	2	275.00	550.00	V.E.C.	July to dec.2002 Spill Over
(2)	Re Construction of old U.P.S	2	800.00	2	400.00	800.00	V.E.C.	do
	Total R(2)		**1350.00**			**1350.00**		
R(3)(1)	Toilet in P.S.&U.P.S.	15	225.00	15	15.00	225.00	V.E.C.	July -2002 Spill Over
(2)	Drinking Water P.S.+U.P.S.							
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	26	130.00	26	5.00	130.00	V.E.C.	Sep.2002 Spill Over
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	20	100.00	20	5.00	100.00	V.E.C.	do
	Total (R3)		**455.00**			**455.00**		
R(4)(1)	Boundary Walls for P.S.	10	400.00	10	40.00	400.00	V.E.C.	Spil
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	12	600.00	12	50.00	600.00	V.E.C.	do
	Total (R4)		**1000.00**			**1000.00**		
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.	2065.	4130.00		2.0	4130.00		
(2)	School Improvement Grant U.P.S.							
	Total (R5)		4130.00			**4130.00**		
R6	**Innovation Programme**							
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education							
(2)	Summer Camp							
	Total (R6)							
R7	M.C.D.A. Including Gender Sensitization							

	A	B	C	D	E	F	G	H
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education							
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block							
R(10)(1)	Strengthen of I.C.D.S. Center							
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material							
(3)	T.L.M.							
(4)	Additional Honoriam (12 Months)							
(5)	Contingence Grant							
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days							
(7)	Recurring (Per Center)							
	Total R(10)							
R(11)	**Community Mobilization**							
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days							
(2)	Kala Jatha at Block & District level							
(3)	Development awareness Material							
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization							
(5)	Award of V.E.C.							
(6)	Award of Best Siksha Mitra							
(7)	Ramadial Teaching of ST/SC							
(8)	Provision for Disabled Children							
(9)	Computer Education for U.P.S.							
(10)	School Health Checkup P.S./U.P.S.							
(11)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.							
	Total (R11)							
	SUBTOTAL OFR(R1-R11)		**6935.00**			**6935.00**	**V.E.C.**	
C1	**D.I.E.T.**							
(1)	Additional Room							
(2)	Furniture							
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)							
(4)	P.O.L.							
(5)	Drinking Water Facility							

	A	B	C	D	E	F	G	H
(6)	Educational Support and Monitoring	300	150.00					
(7)	Research & Action Research							
(8)	Faculty Development							
(9)	Exposure Visit							
(10)	Library							
(11)	Fax & Telephone							
(12)	Computer							
(13)	Consumable Computer Stationary							
(14)	Women Hostel							
	Total C1		**150.00**					
C2	**B.R.C.**							
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (12 Months)							
(2)	Salary of Assist. coordinator 12 mo.							
(3)	Traveling Allowances							
(4)	Maintenance of Equipment							
(5)	Mantanance of Building							
(6)	Books & Library							
(7)	Monitoring & Supervision							
(8)	Consumable Material							
(9)	Contingence							
(10)	Monthly Review of N.P.R.C.							
(11)	Computer							
(12)	Repair & Mantance of B.R.C.							
(13)	Fax And Phone							
(14)	Furniture Grant	15	750.00	15	50.00	750.00	B.R.C.	July2002 Spill Ov.
	Total C2		**750.00**				**B.R.C.**	
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
C3	**N.P.R.C./C.R.C.**							
(1)	Construction of new C.R.C.	2	400.00	2	200.00	400.00	V.E.C.	July To Sep.02 Spill Over
(2)	Salary of coordinator (12 Months)							
(3)	Equipment & Furniture							
(4)	Contingency							
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.							
(6)	Monitoring and Supervision	1659	57.10					
(7)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.							
(8)	Fax and Phone							
	Total(C3)		**457.10**			**400.00**	**V.E.C.**	

	A	B	C	D	E	F	G	H
C4	D.P.O.							
(1)	Salary Coordinator (3 months)							
(2)	Salary of Assit.Account Officer (3 months)							
(3)	Salary of Accountant (3 months)							
(4)	Salary of clerk (3 months)							
(5)	Salary of Computer Operator (3 months)							
(6)	Salary of Peon (3 months)							
(7)	Books and Library							
(8)	Preparation of A.W.P.B.	1	15.00	1	15.00	15.00	D.P.O.	April 02 Spill Over
(9)	Traveling Allowance							
(10)	Consumable							
(11)	Telephone and Fax	1	30.00	1	30.00	30.00	D.P.O.	Spill Over
(12)	Vehicle ment. and Petrol							
(13)	Honarium of A.E./J.E.							
(14)	Ment. of Equipment							
(15)	Contingence							
(16)	Research and Evaluation							
(17)	Monitoring and supervison	500	200.00					
(18)	Furniture And Fixture	1	50.00			50.00	D.P.O.	July 2002
(19)	Consultant Honarium							
	Total C4		**295.00**			**95.00**		
C5	**M.I.S.**							
(1)	Cell Furnising	1	50.00	1	50.00	50.00		
(2)	Printing and Distribution of Data Formats							
(3)	Mantanace of Equipment							
(4)	Computer Consumable							
(5)	M.I.S. Equipment	1	363.00			363.00		
	Total C5		**413.00**			**413.00**		
	Sub Total C(C1-C5)		**2065.10**			**1658.00**		

	A	B	C	D	E	F	G	H
Q1	**Quality Improvement**							
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)							
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)							
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)							
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)							
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)							
(6)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	75	52.50	75	.07	52.50	D.I.E.T.	July -Aug.02
(7)	Staff Development Traing of D.I.E.T. (5 days)							
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	18	6.30	18	.07	6.30	D.I.E.T.	
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)							
(10)	B.R.C. Staff Training for gender sensitization (5 days)	30	12.60	30	.07	12.60	D.I.E.T.	July -Aug.02
(11)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)	120	50.40	120	.07	50.40	D.I.E.T.	July -Aug.02
(12)	Honarium Of Resource Person							
(13)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P. R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)							
	Total Q1		**121.80**			**121.80**		
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.		2520.50			2520.50		
(2)	Teacher's. Grant U.P.S./H.S./Inter.	5041						
(3)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.	41000	3256.05			3256.05		
(4)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	21543						
(5)	School award for Best School							
	Total Q2		**5776.55**			**5776.55**		
	Grand Total Q1+Q2		**5898.35**			**5898.35**		
	Grand Total (A+R+C+Q)=		**15723.45**			**15316.35**		

Table-C: Plan For The Next Year (2002-03)

Access (Rs. In Thousand)

S.No.	Head/Sub Head Activity	Phy. Target	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remark
	A	B	C	D	E	F
A1(1)	Opening of new Primary School	05	275.00	1375.00	Up to 31 Dec.	
(2)	Building for building less P.S.	03	275.00	825.00	Do	
(3)	New Upper Primary School	05	400.00	2000.00	Do	
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (08 Months)	05	8.5	340.00	Do	
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (08 Months)	05	2.75	110.00	Do	
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (08 Months)	06	10	480.00		
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools	05	10	50.00		
(7)	Furniture & Equipment in U.P. S.	02	50.0	100.00		
	TOTAL (A1)			**5280.00**		
A2	**Intervention for out of school children**					
(1)	A.I.E. Primary including all models					
(2)	E.G.S.(12 Months)					
(3)	Back To School Campaign					
	Total (A2)			**0.00**		
	Sub Total A1+A2			**5280.00**		

	A	B	C	D	E	F
R(1)	**Retention**					
(1)	Additional Class Room P.S.	30	70.00	2100.00	30 Sep. 2002	
(2)	Additional Class Room U.P.S.	15	70.00	1050.00	Do	
	Total R(1)			**3150.00**		
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	10	275.00	2750.00	31 Dec. 2002	
(2)	Re Construction of old U.P.S	5	400.00	2000.00	Do	
	Total R(2)			**4750.00**		
R(3)(1)	Toilet in P.S..	50	15.00	750.00	30 Sep. 2002	
	Toilet in U.P.S.	30	15.00	450.00		
(2)	Drinking Water P.S.	50	20.00	1000.00	Do	
	Drinking Water U.P.S.	30	20.00	600.00		
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	4+146=150	5.00	750.00	Do	
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	30	5.00	150.00	Do	
	Total (R3)			**3700.00**		
R(4)(1)	Boundary Walls for P.S.					
(2)	Boundary Walls for U.P.S.					
	Total (R4)			**0.00**		
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.	1659	2.00	3318.00	Do	
(2)	School Improvement Grant U.P.S. +Aided+H.S.+Inter	665	2.00	1330	Do	
	Total (R5)			**4648.00**		
R6	**Innovation Programme**					
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education	60	25.00	1500.00	31 Dec. 2002	
(2)	Summer Camp					
	Total (R6)			**1500.00**		
R(7)(1)	M.C.D.A. Including Gender Sensitization					
(2)	Salary of Assit.Teacher P.S. (8 Monts)	91	8.5	6188.00		
(3)	Salary of Para Teacher (8 Monts)	91	2.75	2002.00		
(4)	Salary of Assit. Teacher (8 Monts)	153	10.00	12240.00		
	Total (R7)			**20430.00**		

	A	B	C	D	E	F
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education					
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block					
R(10)(1)	Strengthen of I.C.D.S. Center					
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material					
(3)	T.L.M.	182	5.00	910.00	Do	
(4)	Additional Honoriam (8 Months)					
(5)	Contingence Grant	182	1.50	273.00	Do	
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days	182	.07	63.70	Do	
(7)	Recurring (Per Center)	182	1.2	218.40	Do	
	Total R(10)			**1465.10**		
R(11)	**Community Mobilization**					
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days					
(2)	Kala Jatha at Block & District level					
(3)	Development awareness Material					
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization					
(5)	Award of V.E.C. (25.0 First+15.0Second=40.00)					
(6)	Award of Best Siksha Mitra					
(7)	Ramadial Teaching of ST/SC					
(8)	Provision for Disabled Children	30+207=237	1.20	284.40	Do	
(9)	Computer Education for U.P.S.					
(10)	Training of V.E.C.member's(8 Member,2day's)	1659	.03	796.32	Do	
(11)	School Health Checkup P.S./U.P.S.					
(12)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.					
	Total (R11)			**1080.72**		

	A	B	C	D	E	F
R(12)	**R.EM.S.(Research Evaluation Monitoring Supervison)**					
(1)	Educational Support and Monitoring at D.I.E.T.	2086	.50	1043.00		
(2)	Research & Action Research at D.I.E.T.	1	50.00	50.00		
(3)	Faculty Development at D.I.E.T.	1	30.00	30.00		
(4)	Exposure Visit at D.I.E.T.	1	50.00	50.00		
(5)	Monitoring & Supervision	2086	.30	625.80		
(6)	Monitoring and Supervision at N.P.R.C.	2086	.20	417.20		
(7)	Research and Evaluation of D.P.O.	1	50.00	50.00		
(8)	Monitoring and supervison of D.P.O./S.P.O	1123	.40	449.20		
(9)	Printing and Distribution of Data Formats	1	20.00	20.00		
(10)	Computer Consumable	1	25.00	25.00		
(11)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	75	.07	26.25		
(12)	B.R.C.Coordinator's Training in D.I.E.T.(5 days)	45	.07	15.75		
(13)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)D.I.E.T.	122	.07	42.70		
(14)	Honarium Of Resource Person(10 days)	75	.10	75.00		
	Total (R12)			**2919.90**		
	R.E.M.S. at State /Center (No. Of Total Schools*1400)	**2086**	**1400**	**2920.40**		
C1	**D.I.E.T.**					
(1)	Additional Room					
(2)	Furniture					
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)	12	5.00	60.00		
(4)	P.O.L.	1	30.00	30.00		
(5)	Travling Allowence	1	20.00	20.00		
(6)	Drinking Water Facility					
(7)	Library					
(8)	Fax & Telephone					
(9)	Computer					
(10)	Consumable	1	30.00	30.00		
(11)	Women Hostel					
(12)	Audio vidio Equipments					
	Total C1			**140.00**		

	A	B	C	D	E	F
C2	**B.R.C.**					
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (8 Months)	15	12.00	1440.00		
(2)	Salary of Assist. coordinator (8 months)	30	8.5	2040.00		
(3)	Traveling Allowances	15	.50	90.00		
(4)	Maintenance of Equipment					
(5)	Mantanance of Building					
(6)	Books & Library					
(7)	Consumable Material					
(8)	Contingence	15	1.25	18.75		
(9)	Monthly Review of N.P.R.C.					
(10)	Computer					
(11)	Repair & Mantance of B.R.C.					
(12)	Fax And Phone					
(13)	Furniture Grant (for beding Accomo.)					
(14)	T.L.M.	15	5.00	75.00		
	Total C2			**3663.75**		
C3	**N.P.R.C./C.R.C.**					
(1)	Construction of new C.R.C. (for new U.R.C. in Urban Area Pauri,Kotdwara)	02	200.00	400.00	Dec. 2002	
(2)	Salary of coordinator (8 Months)	122	8.50	8296.00		
(3)	Equipment & Furniture					
(4)	Contingency	122	2.50	305.00		
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.					
(6)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.					
(7)	Fax and Phone					
(8)	T.L.M.	122	1	122.00		
	Total(C3)			**9123.00**		

	A	B	C	D	E	F
C4	**D.P.O.**					
(1)	Salary Coordinator (8 months)	4	12.00	384.00		
(2)	Salary of Assit.Account Officer (8 months)	1	12.00	96.00		
(3)	Salary of Accountant (8 months)	1	8.00	64.00		
(4)	Salary of clerk (8 months)	1	7.00	56.00		
(5)	Salary of Computer Operator (8 months)	1	8.50	68.00		
(6)	Salary of Peon (8 months)	2	5.00	80.00		
(7)	Books and Library					
(8)	Preparation of A.W.P.B.	1	20.00	20.00		
(9)	Traveling Allowance	1	20.00	20.00		
(10)	Consumable	1	30.00	30.00		
(11)	Telephone and Fax	1	30.00	30.00		
(12)	Vehicle mentainance					
(13)	P.O.L.	1	20.00	20.00		
(14)	Honarium of A.E./J.E.	30	6.00	180.00		
(15)	Ment. of Equipment	1	10.00	10.00		
(16)	Contingence	1	25.00	25.00		
(19)	Furniture And Fixture					
(20)	Consultant Honarium	2	10.00	20.00		
	Total C4			**1103.00**		
C5	**M.I.S.**					
(1)	Cell Furnising					
(2)						
(3)	Mantanace of Equipment					
(4)						
(5)	M.I.S. Equipment Audio-visual					
	Total C5			**0.00**		
	Sub Total C(C1-C5)			**14029.75**		

	A	B	C	D	E	F
Q1	**Quality Improvement**					
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)	91	.07	191.10		
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)	4592	.07	3214.40		
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)					
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)					
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)					
(6)						
(7)	Staff Development Traing of D.I.E.T. (5 days)					
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	20	.07	7.00		
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)					
(10)						
(11)	B.R.C. Staff Training for gender sensitization (5 days)					
(12)						
(13)						
(14)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P.R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)					
	Total Q1			**3412.50**		
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.	3108	.5	1554.00		
(2)	Teacher's. Grant U.P.S./H.S./Inter.	2576	.5	1288.00		
(3)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.	45439		1751.378		
(4)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	19760		2799.816		
(5)	School award for Best School N.P.R.C.					
(6)	Printing And Distribution of Training Modules					
(7)	Printing And Distribution of Training Guide					
(8)	Books Transportation 10%			45.51		
	Total Q2			**7438.705**		
	Total Q1+Q2			**10851.205**		
Grand Total (A+R+C+Q)				**73804.675**		

Table-D: According To Main Activities Expenses

(Rs. In Thousand)

S.No.	Head/Sub Head Activity ACCESS	A.W.P. B. Last Year	Re-appropriation	Revised Sanctioned Amount	Ex-pressed of the last year till 31March	Approximate Balance Amount	Approximate Saving Amount	Spill Over for Next Year	Fresh Plan for 2002-03	Total H+I	Remark
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1(1)	Opening of new Primary School								1375.00	1375.00	
(2)	Building for building less P.S.	3	825.00				825.00	825.00	825.00	1650.00	
(3)	New Upper Primary School								2000.00	2000.00	
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (8 Months)	91	1638.00				1638.00		340.00	340.00	
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (8 Months)	9	614.35				614.35		110.00	110.00	
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (8 Months)	153	3442.50				3442.50		480.00	480.00	
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools								50.00	50.00	
(7)	Furniture & Equipment in U.P. S.								100.00	100.00	
	TOTAL (A1)		**6519.85**				**6519.85**	**825.00**	**5280.00**	**6105.00**	
A2	**Intervention for out of school children**										
(1)	A.I.E. Primary including all models										
(2)	E.G.S.(12 Months)										
(3)	Back To School Campaign										
	Total (A2)						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	Sub Total A1+A2		**6519.85**				**6519.85**	**825.00**	**5280.00**	**6105.00**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R(1)	**Retention**										
(1)	Additional Class Room P.S.								2100.00	2100.00	
(2)	Additional Class Room U.P.S.								1050.00	1050.00	
	Total R(1)								**3150.00**	**3150.00**	
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	9	2475.00				2475.00	550.00	2750.00	3300.00	
(2)	Re Construction of old U.P.S	2	800.00				800.00	800.00	2000.00	2800.00	
	Total R(2)		**3275.00**				**3275.00**	**1350.00**	**4750.00**	**6100.00**	
R(3)(1)	Toilet in P.S.	10	150.00				150.00	150.00	750.00	900.00	
	Toilet in U.P.S.	05	75.00				75.00	75.00	450.00	525.00	
(2)	Drinking Water P.S.	50							1000.00	1000.00	
	Drinking Water U.P.S.	30							600.00	600.00	
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	30	150.00				150.00	130.00	750.00	880.00	
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	20	100.00				100.00	100.00	150.00	250.00	
	Total (R3)		**475.00**				**475.00**	**455.00**	**3700.00**	**4155.00**	
R4(1)	Boundary Walls for P.S.	15	600.00				600.00	400.00	00.00	400.00	
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	15	750.00				750.00	600.00	0.00	600.00	
	Total (R4)		**1350.00**				**1350.00**	**1000.00**	**0.00**	**1000.00**	
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.	1659	3318.00				3318.00	3318.00	3318.00	6636.00	
(2)	School Improvement Grant U.P.S.	406	812.00				812.00	812.00	1330.00	2142.00	
	Total (R5)		**4130.00**				**4130.00**	**4130.00**	**4648.00**	**8778.00**	
R6	**Innovation Programme**										
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education	15	375				375	0.00	1500.00	1500.00	
(2)	Summer Camp										
	Total (R6)		**375.00**				**375.00**		**1500.00**	**1500.00**	
R7 (1)	M.C.D.A. Including Gender Sensitization										
(2)	Salary of Assit.Teacher P.S. (8 Monts)								6188.00	6188.00	
(3)	Salary of Para Teacher (8 Monts)								2002.00	2002.00	
(4)	Salary of Assit. Teacher (8 Monts)								12240.00	12240.00	
	Total (R7)								**20430.00**	**20430.00**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education										
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block										
R(10)(1	Strengthen of I.C.D.S. Center										
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material										
(3)	T.L.M.								910.00	910.00	
(4)	Additional Honoriam (12 Months)										
(5)	Contingence Grant								273.00	273.00	
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days								63.70	63.70	
(7)	Recurring (Per Center)								218.40	218.40	
	Total R(10)								**1465.10**	**1465.10**	
R(11)	**Community Mobilization**										
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days	560	11.20				11.20				
(2)	Kala Jatha at Block & District level										
(3)	Development awareness Material	15	75.00				75.00				
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization										
(5)	Award of V.E.C.										
(6)	Award of Best Siksha Mitra										
(7)	Ramadial Teaching of ST/SC										
(8)	Provision for Disabled Children	30	36.00				36.00		284.40	284.40	
(9)	Computer Education for U.P.S.										
(10)	School Health Checkup P.S./U.P.S.										
(11)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.										
(12)	Training of V.E.C. Member's(8 member's 2days)								796.39	796.39	
	Total (R11)		**122.20**				**122.20**		**1080.72**	**1080.72**	
R(12)	**R.EM.S.(Research Evaluation Monitoring Supervison)**										
(1)	Educational Support and Monitoring at D.I.E.T.	300	150				150		1043.00	1043.00	
(2)	Research & Action Research at D.I.E.T.								50.00	50.00	
(3)	Faculty Development at D.I.E.T.								30.00	30.00	
(4)	Exposure Visit at D.I.E.T.								50.00	50.00	

(5)	Monitoring & Supervision	750	225.00				225.00		625.80	625.80	
(6)	Monitoring and Supervision at N.P.R.C.	1659	331.80				331.80		417.20	417.20	
(7)	Research and Evaluation of D.P.O.	1	25.00				25.00		50.00	50.00	
(8)	Monitoring and supervison of D.P.O./S.P.O	50	200.00				200.00		449.20	449.20	
(9)	Printing and Distribution of Data Formats	1	20.00				20.00		20.00	20.00	
(10)	Computer Consumable	1	25.00				25.00		25.00	25.00	
(11)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	75	52.50				52.50	52.50	26.25	78.75	
(12)	B.R.C.Coordinator's Training in D.I.E.T.(5 days)	30	12.60				12.60	12.60	15.75	28.35	
(13)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)D.I.E.T.	120	50.40				50.40	50.40	42.70	93.10	
(14)	Honarium Of Resource Person(10 days)								75.00	75.00	
	Total (R12)		**1092.30**				**1092.30**	**115.50**	**2919.90**	**3035.40**	
	Total (R1-R12)		**10819.50**				**10819.50**	**7050.50**	**43643.72**	**50694.22**	
	R.E.M.S. at State /Center (No. Of TotalSchools*1400)	**2086**	**1400**							**2920.40**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C1	**D.I.E.T.**										
(1)	Additional Room										
(2)	Furniture										
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)								60.00	60.00	
(4)	P.O.L.								30.00	30.00	
(5)	Travling Allowence								20.00	20.00	
(6)	Drinking Water Facility										
(7)	Library										
(8)	Fax & Telephone										
(9)	Computer										
(10)	Consumable								30.00	30.00	
(11)	Women Hostel										
(12)	Audio-Visual Equipment										
	Total C1								**140.00**	**140.00**	
C2	**B.R.C.**										
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (8 Months)	2	45.00				45.00		1440.00	1440.00	
(2)	Salary of Assist. coordinator 8 months								2040.00	2040.00	
(3)	Traveling Allowances								90.00	90.00	
(4)	Maintenance of Equipment										
(5)	Mantanance of Building										
(6)	Books & Library										
(7)	Consumable Material										
(8)	Contingence	15	90.00				90.00		18.75	18.75	
(9)	Monthly Review of N.P.R.C.										
(10)	Computer										
(11)	Repair & Mantance of B.R.C.										
(12)	Fax And Phone										
(13)	Furniture Grant	15	1500.00				1500.00	750.00		750.00	
(14)	T.L.M.	15	5.00						75.00	75.00	
	Total C2		**1635.00**				**1635.00**	**750.00**	**3663.75**	**4413.75**	
C3	**N.P.R.C./C.R.C.**										
(1)	Construction of new C.R.C.	2	400.00				400.00	400.00	400.00	800.00	
(2)	Salary of coordinator (8 Months)								8296.00	8296.00	
(3)	Equipment & Furniture										
(4)	Contingency	118	295.00				295.00		305.00	305.00	
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.										
(6)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.										
(7)	Fax and Phone										
(8)	T.L.M.								122.00	122.00	
	Total(C3)		**695.00**				**695.00**	**400.00**	**9123.00**	**9523.00**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C4	D.P.O.										
(1)	Salary Coordinator (8 months)	4	132				132		384.00	384.00	
(2)	Salary of Assit.Account Officer (8 months)								96.00	96.00	
(3)	Salary of Accountant (8 months)								64.00	64.00	
(4)	Salary of clerk (8 months)								56.00	56.00	
(5)	Salary of Computer Operator (8 months)	1	21.00				21.00		68.00	68.00	
(6)	Salary of Peon (8 months)								80.00	80.00	
(7)	Books and Library										
(8)	Preparation of A.W.P.B.	1	15.00				15.00	15.00	20.00	35.00	
(9)	Traveling Allowance	1	20.00				20.00		20.00	20.00	
(10)	Consumable								30.00	30.00	
(11)	Telephone and Fax	1	30.00				30.00	30.00	30.00	60.00	
(12)	Vehicle ment. and Petrol	1	50.00				50.00				
(13)	Honarium of A.E./J.E.	15	180.00				180.00		180.00	180.00	
(14)	Ment. of Equipment	1	10.00				10.00		10.00	10.00	
(15)	Contingence								25.00	25.00	
(16)	Furniture And Fixture	1	50.00				50.00	50.00		50.00	
(17)	Consultant Honarium								20.00	20.00	
(18)	P.O.L.								20.00	20.00	
	Total C4		**508.00**				**508.00**	**95.00**	**1103.00**	**1198.00**	
C5	**M.I.S.**										
(1)	Cell Furnising	1	50.00				50.00	50.00		50.00	
(2)	Mantanace of Equipment	1	20.00				20.00				
(3)	M.I.S. Equipment Audio-Visual	1	460.00				460.00	363.00		363.00	
	Total C5		**530.00**				**530.00**	**413.00**		**413.00**	
	Sub Total C(C1-C5)		**3368.00**				**3368.00**	**1658.00**	**14029.75**	**15687.75**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Q	**Quality Improvement**										
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)								191.10	191.10	
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)								3214.40	3214.40	
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)	335	234.50				234.50				
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)										
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)										
(6)	Staff Development Traing of D.I.E.T. (5 days)										
(7)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	18	6.30				6.30	6.30	7.00	13.30	
(8)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)								14.10	14.10	
(9)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P.R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)										
	Total Q1		**240.80**				**240.80**	**6.3**	**3412.5**	**3418.8**	
Q2 (1)	Teacher's Grant PS	2127	1063.5				1063.5	1063.5	1554.00	2617.50	
	Teacher's Grant U.P.S.	2914	1457				1457	1457	1288.00	2745.00	
(2)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.	41000	6150				6150	2134.46	1751.378	3885.838	
	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	21543	3231.45				3231.45	1121.59	2799.816	3921.406	
(3)	School award for Best School in N.P.R.C. Lavel								3000.00	3000.00	
(4)	Printing & Distribution of Training Module								160.00	160.00	
(5)	Printing & Distribution of Training Guide								160.00	160.00	
(6)	Books Transportation 10%								45.51	45.51	
	Total Q2		**11901.95**				**11901.95**	**5776.55**	**7438.705**	**13215.255**	
	Sub Total Q1+Q2		**12142.75**				**12142.75**	**5782.85**	**10851.205**	**16634.055**	
	Grand Total (A+R+C+Q)		**32850.10**				**32850.10**	**15316.35**	**73804.675**	**89121.025**	

वर्ष २००१-२००२ की वार्षिक कार्य योजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

Table F

(Rs. In Thousand)

S.No.	Head/Sub Head Activity	Approved Amount Last Year	Actual Released	Spill Over	Saving against Actual Released	Remark
	A	B	C	D	E	F
A1(1) (2)	Opening of new Primary School Building for building less P.S.	825.00	825.00	825.00	0.00	
(3)	New Upper Primary School					
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (12 Months)	1638.00			0.00	
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (12 Months)	614.35			0.00	
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (12 Months)	3442.50			0.00	
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools					
(7)	Furniture & Equipment in U.P. S.					
	TOTAL (A1)	**6519.85**	**825.00**	**825.00**	**0.00**	
A2	**Intervention for out of school children**					
(1)	A.I.E. Primary including all models					
(2)	E.G.S.(12 Months)					
(3)	Back To School Campaign					
	Total (A2)					
	Sub Total A1+A2	**6519.85**	**825.00**	**825.00**	**0.00**	

	A	B	C	D	E	F
R(1)	**Retention**					
(1)	Additional Class Room P.S.					
(2)	Additional Class Room U.P.S.					
	Total R(1)					
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	2475.00	550.00	550.00	0.00	
(2)	Re Construction of old U.P.S	800.00	800.00	800.00	0.00	
	Total R(2)	**3275.00**	**1350.00**	**1350.00**	**0.00**	
R(3)(1)	Toilet in P.S.&U.P.S.	225.00	225.00	225.00	0.00	
(2)	Drinking Water P.S.+U.P.S.					
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	150.00	130.00	130.00	0.00	
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	100.00	100.00	100.00	0.00	
	Total (R3)	**475.00**	**455.00**	**455.00**	**0.00**	
R(4)(1)	Boundary Walls for P.S.	600.00	400.00	400.00	0.00	
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	750.00	600.00	600.00	0.00	
	Total (R4)	**1350.00**	**1000.00**	**1000.00**	**0.00**	
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.					
(2)	School Improvement Grant U.P.S.	4130.00	4130.00	4130.00	0.00	
	Total (R5)	**4130.00**	**4130.00**	**4130.00**	0.00	
R6	**Innovation Programme**					
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education	375.00				
(2)	Summer Camp					
	Total (R6)	**375.00**				
R7	M.C.D.A. Including Gender Sensitization					

	A	B	C	D	E	F
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education					
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block					
R(10)(1)	Strengthen of I.C.D.S. Center					
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material					
(3)	T.L.M.					
(4)	Additional Honoriam (12 Months)					
(5)	Contingence Grant					
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days					
(7)	Recurring (Per Center)					
	Total R(10)					
R(11)	**Community Mobilization**					
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days	11.20				
(2)	Kala Jatha at Block & District level					
(3)	Development awareness Material	75.00				
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization					
(5)	Award of V.E.C.					
(6)	Award of Best Siksha Mitra					
(7)	Ramadial Teaching of ST/SC					
(8)	Provision for Disabled Children	36.00				
(9)	Computer Education for U.P.S.					
(10)	School Health Checkup P.S./U.P.S.					
(11)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.					
	Total (R11)	**122.20**				
	SUBTOTAL OF R(R1-R11)	**9727.20**	**6935.00**	**6935.00**	**0.00**	
C1	**D.I.E.T.**					
(1)	Additional Room					
(2)	Furniture					
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)					
(4)	P.O.L.					
(5)	Drinking Water Facility					

	A	B	C	D	E	F
(6)	Educational Support and Monitoring	150.00	150.00		150.00	
(7)	Research & Action Research					
(8)	Faculty Development					
(9)	Exposure Visit					
(10)	Library					
(11)	Fax & Telephone					
(12)	Computer					
(13)	Consumable Computer Stationary					
(14)	Women Hostel					
	Total C1	**150.00**	**150.00**		**150.00**	
C2	**B.R.C.**					
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (12 Months)	45.00				
(2)	Salary of Assist. coordinator (12 month)					
(3)	Traveling Allowances					
(4)	Maintenance of Equipment					
(5)	Mantanance of Building					
(6)	Books & Library					
(7)	Monitoring & Supervision	225.00				
(8)	Consumable Material					
(9)	Contingence	90.00				
(10)	Monthly Review of N.P.R.C.					
(11)	Computer					
(12)	Repair & Mantance of B.R.C.					
(13)	Fax And Phone					
(14)	Furniture Grant	1500.00	750.00	750.00	0.00	
	Total C2	**1860.00**	**750.00**	**750.00**	**0.00**	
C3	**N.P.R.C./C.R.C.**					
(1)	Construction of new C.R.C.	400.00	400.00	400.00		
(2)	Salary of coordinator (12 Months)					
(3)	Equipment & Furniture					
(4)	Contingency	295.00				
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.					
(6)	Monitoring and Supervision	331.80	57.10		57.10	
(7)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.					
(8)	Fax and Phone					
	Total(C3)	**1026.80**	**457.10**	**400.00**	**57.10**	

	A	B	C	D	E	F
C4	D.P.O.					
(1)	Salary Coordinator (12 months)	132.00				
(2)	Salary of Assit.Account Officer (12 months)					
(3)	Salary of Accountant (12 months)					
(4)	Salary of clerk (12 months)					
(5)	Salary of Computer Operator (12 months)	21.00				
(6)	Salary of Peon (12 months)					
(7)	Books and Library					
(8)	Preparation of A.W.P.B.	15.00	15.00	15.00	0.00	
(9)	Traveling Allowance	20.00				
(10)	Consumable					
(11)	Telephone and Fax	30.00	30.00	30.00	0.00	
(12)	Vehicle ment. and Petrol	50.00				
(13)	Honarium of A.E./J.E.	180.00				
(14)	Ment. of Equipment	10.00				
(15)	Contingence	25.00				
(16)	Research and Evaluation					
(17)	Monitoring and supervison	200.00	200.00		200.00	
(18)	Furniture And Fixture	50.00	50.00	50.00	0.00	
(19)	Consultant Honarium					
	Total C4	**733.00**	**295.00**	**95.00**	**200.00**	
C5	**M.I.S.**					
(1)	Cell Furnising	50.00	50.00	50.00	0.00	
(2)	Printing and Distribution of Data Formats	20.00				
(3)	Mantanace of Equipment	20.00				
(4)	Computer Consumable	25.00				
(5)	M.I.S. Equipment	460.00	363.00	363.00	0.00	
	Total C5	**575.00**	**413.00**	**413.00**	**0.00**	
	Sub Total C(C1-C5)	**4344.80**	**2065.10**	**1658.00**	**407.10**	

	A	B	C	D	E	F
Q1	**Quality Improvement**					
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)					
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)					
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)	234.50				
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)					
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)					
(6)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	52.50	52.50	52.50	0.00	
(7)	Staff Development Traing of D.I.E.T. (5 days)					
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	6.30	6.30	6.30	0.00	
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)					
(10)	B.R.C. Staff Training for gender sensitization (5 days)	12.60	12.60	12.60	0.00	
(11)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)	50.40	50.40	50.40	0.00	
(12)	Honarium Of Resource Person					
(13)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P.R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)					
	Total Q1	**356.30**	**121.80**	**121.80**		
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.					
(2)	Teacher's. Grant U.P.S./H.S./Inter.	2520.50	2520.50	2520.50	0.00	
(3)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.	6150.00	3256.05	3256.05	0.00	
(4)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	3231.45				
(5)	School award for Best School					
	Total Q2	**11901.95**	**5776.55**	**5776.55**	**0.00**	
	Sub Total Q1+Q2	**12258.25**	**5898.35**	**5898.35**	**0.00**	
	Grand Total (A+R+C+Q)=	**32850.10**	**15723.45**	**15316.35**	**407.10**	

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11909
DOC, No ......
Date 27-06-2003

सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)

जनपद – पौड़ी गढ़वाल

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

2002 - 2003

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11909
DOC, No ....
Date 27-06-2003

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

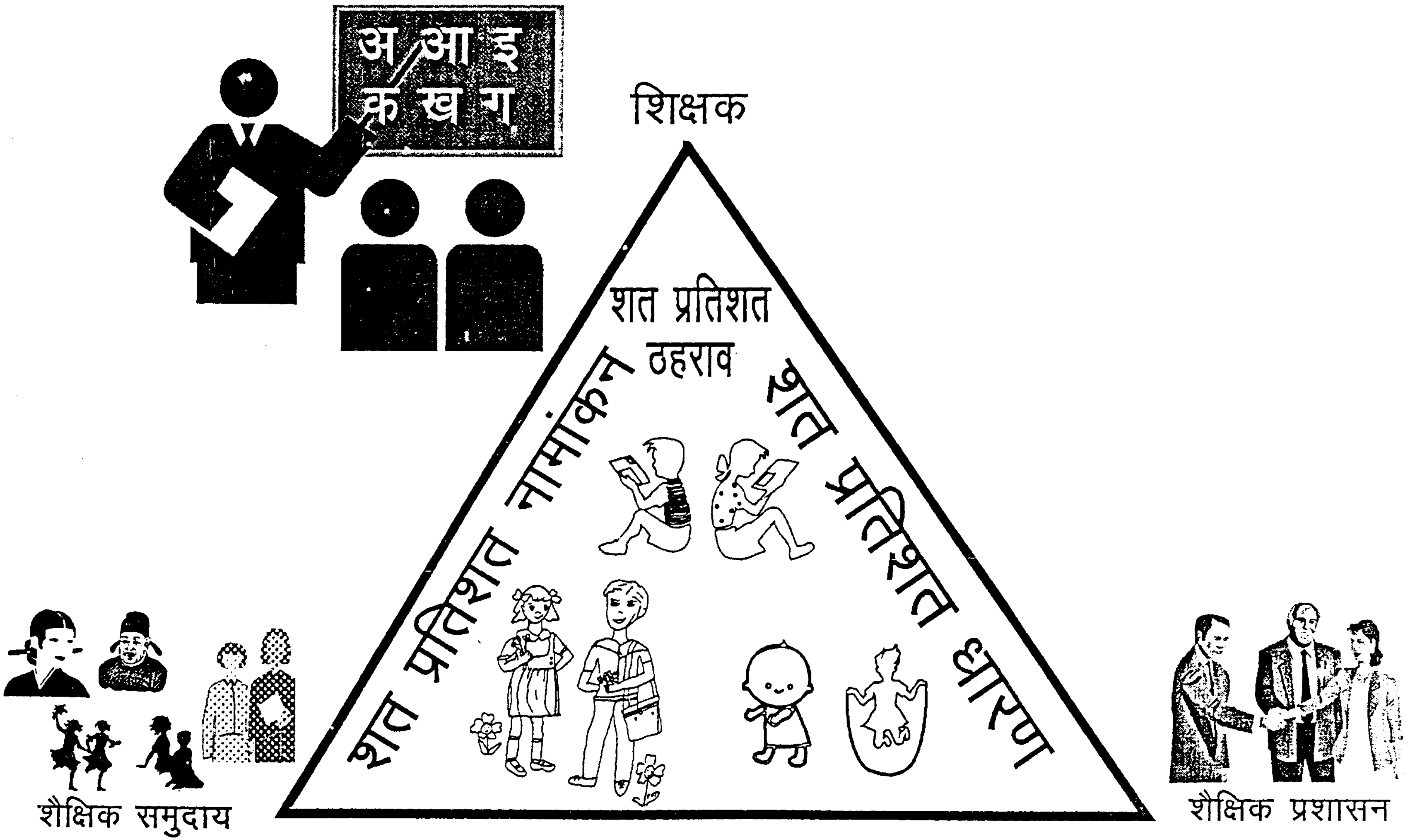

सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)

जनपद पौड़ी गढ़वाल

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

वर्ष 2002-2003

अनुक्रमणिका :

क्र०सं०	अध्याय
१.	परिचय
२.	शैक्षिक परिदृश्य
३.	बे०शि० परियोजना द्वारा किये गये कार्यों का विवरण
४.	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य
५.	नियोजन प्रक्रिया
६.	क्रियान्वयन की कठिनाइंया एवं उनके निराकरण
७.	संगठनात्मक ढांचा-निर्धारण
८.	वार्षिक कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव एवं बजट
९.	सलंग्नक

जनपद पौड़ी गढ़वाल

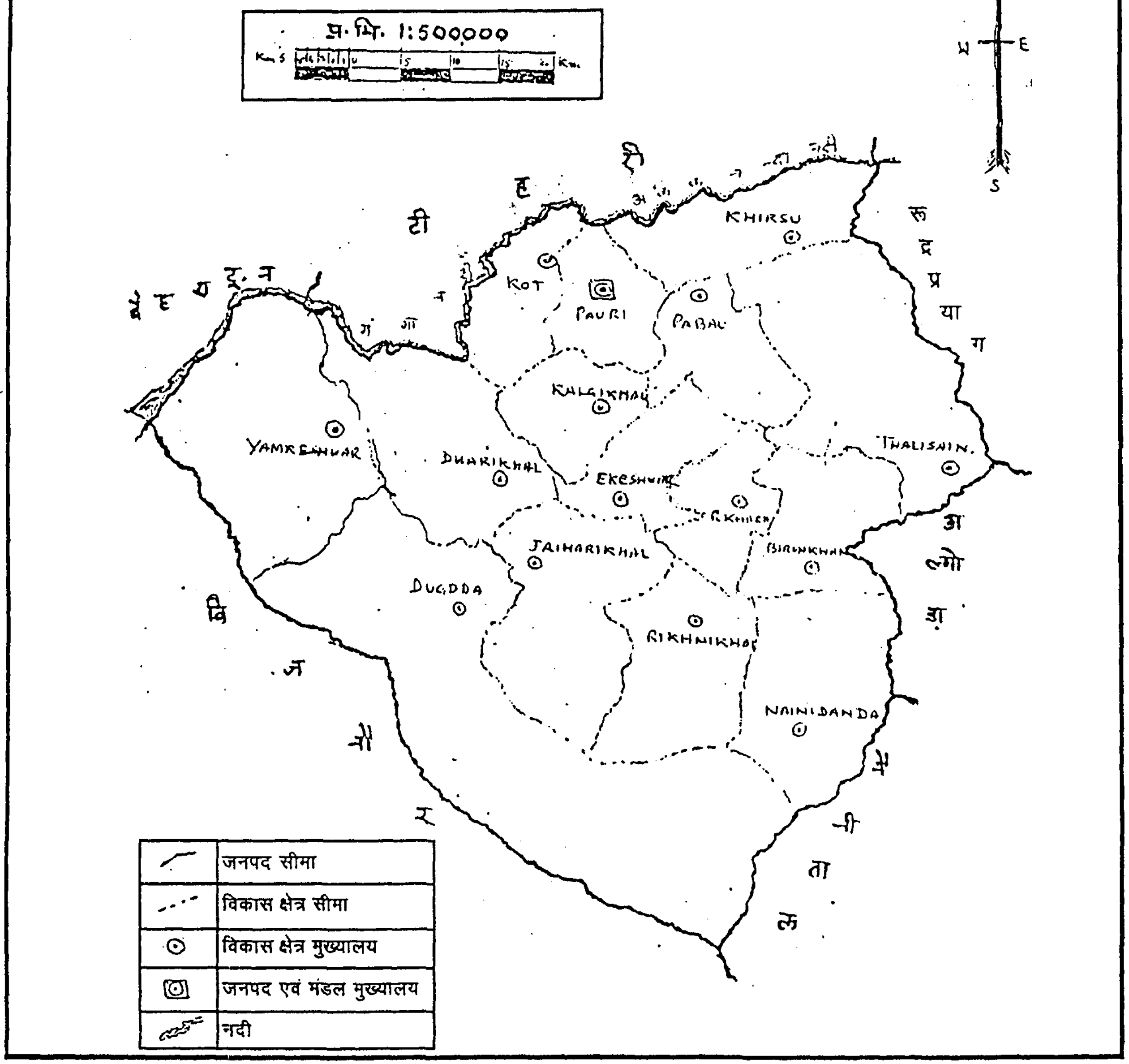
प्र॰ मि॰ 1:500000
KHIRSU
KOT
PAURI
PABAU
KALJIKHAL
YAMKESHWAR
DWARIKHAL
EKESHWAR
THALISAIN
BIRONKHAL
JAIHARIKHAL
DUGADDA
RIKHNIKHAL
NAINIDANDA
N
E
S
जनपद सीमा
विकास क्षेत्र सीमा
विकास क्षेत्र मुख्यालय
जनपद एवं मंडल मुख्यालय
नदी

अध्याय – 1

जनपद पौड़ी गढ़वाल : एक परिचय

1. **भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिचय :–** गढ़वाल जनपद के नाम से प्रसिद्ध जनपद पौड़ी गढ़वाल के उत्तर एक ओर हिमाच्छादित गगनचुम्बी चोटियां है वहीं दक्षिण में गंगा, यमुना द्वारा निर्मित विशाल मैदान, मध्य हिमालय की पहाड़ियों में स्थित यह जनपद उत्तरी अक्षांश 29.2° से उत्तरी अक्षांश 30° 15° व पूर्वी देशान्तर 78.12° से पूर्वी देशान्तर 79.2° के मध्य स्थित हैं इस जनपद के उत्तर में अलकनन्दा(गंगा नदी) इसे टिहरी से पृथक करती है। जनपद के उत्तर पूर्व में टिहरी एवं रूद्रप्रयाग उत्तर में चमोली पूर्व में अल्मोड़ा, दक्षिण पर्वू में नैनीताल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश दक्षिण पश्चिम में हरिद्वार जनपद, पश्चिम में जनपद देहरादून स्थित हैं। उत्तरांचल के मण्डल गढ़वाल के सम्पूर्ण भाग पर गोरखों ने तत्कालीन पंवार वंश के शासक को अपदस्थ कर आधिपत्य कर लिया था। सन 1815 में अंग्रेजों में गोरखों से गढ़वाल को मुक्ति दिलाई और इसके एवज में गढ़वाल के आधे भाग की कंपनी साम्राज्य का एक अंग बना लिया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1962 में इस जनपद को दो भागों में बांटा गया पौड़ी और चमोली में विभाजित किया गया। जनपद का क्षेत्रफल 5440 वर्ग कि.मी. है। भूक्षेत्र की स्थिति के आधार पर जनपद को सामान्य रूप से तीन भागों में बाटते हैं लघु हिमालय जिसमें शीत काल में बर्फ पड़ती रहती हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ तथा पहाड़ो की तलहटी पर भावर क्षेत्र हैं। कोटद्वार से भमोरी तक के भावर की पट्टी शिवालिक श्रंखला के बीच में आ जाने के कारण मैदान से पृथक हो गयी है

2. **जलवायु :–** जनपद में ऊँचाई के अनुसार भिन्न 2 स्थानों की जलवायु भिन्न–भिन्न हैं नदी घाटियों और भाबर की जलवायु जहाँ अत्यधिक गर्म है वहीं दूसरी ओर अधिक ऊँचाई वाले स्थान ठंडे है, यहां का सामान्यतः तापमान 15°C से 35°C तक रहता हैं। मुख्यतः जलवायु को पूरे जनपद में तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है।

ग्रीष्म	:–	मध्य फरवरी से मध्य जून
बरसात	:–	मध्य जून से मध्य अक्टूबर
शीत	:–	मध्य अक्टूबर से मध्य फरवरी

3. **समाज एवं संस्कृति :–** यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवो में निवास करती है अधिकांश संख्या (63.0%) कृषि कार्य करती है कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण जनपद से आजीविका हेतु लोग प्रवजन करते हैं

विभिन्न धर्मो और जाति के लोग एक दूसरे सें जुड़े हैं और विवाह एवं सास्कृतिक पार्टी आदि में एक दूसरे की उपस्थिति अपरिहाय समझी जाती है। मेले एवं उत्सव लोक जीवन का अभिन्न अंग है जिसमे लोग उत्साह एवं उमंग से भाग लेते हैं।

4. **पर्यटक एवं तीर्थस्थल :–** प्राचीन काल से ही सम्पूर्ण उत्तरांचल केदारखण्ड अथवा उत्तराखण्ड अथवा उत्तरापथ के नाम से ऋषिमुनियों की तपस्थली रही है जिससे यहां पर बहुत से तीर्थस्थल व पर्यटन केन्द्र है जिसमें प्रसिद्ध अग्रेजी शिकारी जिम कार्बेट नाम से 1935 में स्थापित कार्बेट नेशनपार्क, जो पशुविहार एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध महर्षि कण्व का सुविख्यात विश्व विद्यालय से विख्यात तथा शकुन्तला और और भरत जन्म स्था से प्रचलित कण्व आश्रम, कोटद्वार से 1.5 कि.मी. सिद्धवली आश्रम, पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर माँ दुर्गा का ज्वाल्पा देवी मन्दिर, श्रीनगर से 12 कि.मी. दूर रिवर्स मार्ग पर राजराजेश्वरी का प्रसिद्ध मन्दिर देवलगढ, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से 15 कि.मी. दूर नीलकण्ठ महादेव का विशाल नीलकण्ठ मन्दिर, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से पार कर स्वर्गाश्रम, जनपद के दूर गामी अल्मोडा से जुड़ा क्षेत्र थलसेण में विन्देश्वर मन्दिर, पैठाणी शिवमन्दिर, श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, मार्ग पर धारी देवी मन्दिर, श्रीगनर देहलचौरी रोड़ पर डांडानागुर्जा लैन्सडोउन रिखणी खाल मार्ग पर ताडकेश्वर महादेव जैसे कई दर्शनीय व पर्यटन स्थल है

5. **ऐतिहासिक व्यक्तित्वः—** गढ़ो का जिला पौड़ी में कही गढ़ नरेश हुये जिसमें श्रीनगर राज्य के प्रतापी नरेश फतेशाह (1700ई0) के समय वीरागंना तीलू रौतेली ने गढ़सैना का नेतृत्व किया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई इसीतरह अंग्रेजी के वीर सैनिक वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली तथा गढ़वाल राइफल के मुख्यालय होने के कारण वीर सपूत देश को दिये जनपद पौड़ी के बुघाणी ग्राम में जन्मे स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जिन्होंने उ0प्र0 में मुख्य मंत्री तथा केन्द्र में केन्द्रीय मंत्री के पद को सुशोभित किया।

6. **भौतिक एवं मानवीय संसाधन :—**

1. **वन सम्पद्रा :—** प्रचुर मात्रा में जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी उपलब्ध है। पौड़ी जनपद का 59.24% भाग मात्र वनाच्छादित है। इसके दक्षिणी भाग में जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यहां पर साल, खैर, शीशम, वांज, बुरांस, चीड़ आदि पाये जाते हैं।

2. **जल संसाधन :—** जनपद में अलकनन्दा—गंगा, पं0 राम गंगा पूर्वी और पश्चिमी नयार, खोह मालिनी आदि नदियाँ है। यहां पर रामनगर से 10 कि.मी. कालागढ़ में प0 रामनगर पर कालागढ़ ऋषिकेश से 10 कि.मी. दूर गंगा पर चीला बांध तथा पौड़ी मुख्यालय से 30 कि.मी. दूर कोट ब्लाक में गेठी चोड़ा स्थान पर रादी व सितोन नदी पर गठी चोड़ा बांध बना है जिनसे विद्युत के साथ साथ सिंचाई का कार्य लिया जाता है। यहां की भौगोलिक स्थिति को इन नदियों पर अनेक छोटे—बड़े बाँध बनाकर सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

3. **खनिज सम्पदा :—** इस जनपद के कई भागों में लोहा, ताँबा आदि की खाने थी जिनमें खनन कार्य कई वर्षों पूर्व बन्द हो गया हैं।

7. **प्रशासनिक व्यवस्था :—** पौड़ी जनपद में 6 तहसीलें पौड़ी, लैन्सडाउन धूमाकोट, थलीसैंण, कोटद्वार और श्रीनगर तथा 15 विकास खंड—पौड़ी, कोट, खिर्सू, पावों, कल्जीखाल, थलीसैण, दुगड़डा, यमकेश्वर, द्वारीखाल, जहरी खाल, एकेश्वर, पोखड़ा, रिखणीखाल वीरोंखाल, नैनीडांडा हैं।

जनपद में कुल 118 न्याय पंचायत हैं। सम्पूर्ण जनपद में कुल 1157 ग्राम पंचायतें, 3479 राजस्व ग्राम हैं। 26 वन ग्राम हैं। आबाद ग्रामों की संख्या 3137 व गैर आबाद ग्रामों की संख्या 342 है। जनपद में 04 नगर पालिका परिषद् 01 नगर पंचायत व एक छावनी परिषद है।

तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में महिला जनसंख्या का प्रशित 50.75 है, जो पुरूष जनसंख्या से थोड़ी अधिक हैं। दुगड्डा विकास खण्ड में जनपद की सबसे अधिक जनसंख्या (13.26%) निवास करती है। जबकि पोखड़ा विकास खण्ड में जनपद की सबसे कम जनसंख्या (4.41%) निवास करती है। खिर्सू और कल्जीखाल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक हैं। पौड़ी कोट व पावों में भी अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है।

तालिका 1

प्रशासकीय संरचना

जनपद मुख्यालय	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	आबाद	गैर आबाद	वन ग्राम	योग	नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत	छावनी बोर्ड
पौड़ी	06	15	1178	3137	342	26	3505	04	01	01

स्रोत्र जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय

तालिका 1.1

विवरण	पुरूष	महिला	योग
कुल	365713	331138	696851
अनु0 जाति	41568	42941	84509
अनु0जन जाति	859	641	1500

विकास खण्ड स्रोत जनगणना 2001

तालिका 1.2

जनसंख्या

जनसंख्या	पुरूष	महिला	योग
ग्रामीण जनसंख्या	315059	285325	600384
शहरी जनसंख्या	48072	44856	92928
वन क्षेत्र	2582	957	3539
योग	365713	331138	696851

विकास खण्ड स्रोत जनगणना 2001

तालिका 1.3
पौड़ी जनसंख्या एक परिदृश्य
जनगणना 2001

क्र0सं0	विवरण	कुल	प्रतिशत
1.	कुल जनसंख्या	696851	100
क	ग्रामीण जनसंख्या	603923	86.66
ख	नगरीय जनसंख्या	92928	13.33
ग	वन क्षेत्र की जनसंख्या	3539	.51
2	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि	33135	7
3	लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियां	1104	–
4	अनुसूचित जाति की संख्या	93375	13.40
5	जन जाति की संख्या	1508	.22
6.	मुस्लिम जनसंख्या	15495	2.27
7	जनसंख्या की घनत्व प्राति वर्ग कि0मी0	129	8 Rank
8	कुल साक्षरता	507308	72.8
9	महिला जनसंख्या	287880	84.01
10	पुरूष जनसंख्या	219428	60.26

स्रोतः– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विकास खण्डों से प्राप्त

तालिका 1.4
जनसंख्या का परिदृश्य
जनगणना 2001

	वर्ष 2001 अनुमानित					
	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति जनसंख्या		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1 पौड़ी	18151	15679	33830	3150	3400	6550
2 कोट	15919	13984	29930	2830	2968	5798
3 खिसू	11818	9741	21559	2530	2498	5028
4 पावों	20095	15783	35878	2958	3170	6128
5 कल्जीखाल	19436	17150	36586	3980	4530	8510
6 थलीसैंण	28391	25655	54047	3292	3415	6707
7 दुग्ड्डा	41919	40331	82250	3690	3210	6900
8 यमकेश्वर	20855	18668	39523	2110	2030	4140
9 द्वारीखाल	24707	23334	48041	2325	2280	4605
10 जयहरीख	17767	14430	32197	1480	1395	2875
11 एकेश्वर	18357	14323	32680	2510	2800	5310
12 पोखड़ा	14430	11613	26043	2005	2320	4325
13 रिखणी खाल	17278	16561	33839	2185	2260	4445
14 वीरौंखाल	26081	31535	57616	3042	3805	6847
15 नैनीडांडा	19855	16537	36392	3201	2690	5891
वन ग्राम	2582	957	3539	280	170	450
नगर क्षेत्र	48072	44856	92928	41568	42941	84509

स्रोत – खण्ड विकास अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

तालिका 1.5

जनसंख्या विकास खण्डवार (1991) की जनगणना के अनुसार

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	कुल जनसंख्या	जनपद की जनसंख्या में विकास खण्ड का प्रतिशत	जनपद की कुल जनगणना महिला का प्रतिशत	विकास खण्ड की जनगणना में महिला का प्रतिशत	विकास खण्ड की अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत
1	पौड़ी	35763	5.63	2.90	51.55	18.31
2	कोट	31836	5.01	2.55	50.90	18.21
3	खिर्सू	23492	3.70	1.91	51.52	21.40
4	पावों	37811	5.95	3.21	53.90	16.21
5	कल्जीखाल	38519	6.07	3.10	51.20	22.09
6	थलीसैंण	55980	8.81	4.52	51.23	11.93
7	दुगड्डा	84183	13.26	6.65	50.13	08.19
8	यमकेश्वर	41456	6.53	3.33	50.99	9.99
9	द्वारीखाल	49974	7.87	3.94	50.01	9.21
10	जयहरीखाल	34130	5.38	2.84	52.89	8.42
11	एकेश्वर	34613	5.45	2.94	53.86	15.34
12	पोखड़ा	27976	4.41	2.32	52.59	15.46
13	रिखणी खाल	35772	5.63	2.77	49.09	12.43
14	वीरोंखाल	59549	9.38	4.15	44.28	11.49
15	नैनीडांडा	38325	6.04	3.17	52.55	15.37
	वन ग्राम	5456	0.86	0.45	52.71	8.29
	नगर क्षेत्र	634853	100.00	50.75	50.75	13.31

तालिका 1.6
विकास खण्डवारः जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत ग्राम

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	200 से कम	200 से 499	500 से 999	1000 से 1999	2000 से अधिक	योग
1	पौड़ी	121	40	9	2	–	172
2	कोट	170	38	5	–	–	213
3	खिर्सू	111	29	3	3	–	146
4	पावों	66	65	13	01	–	145
5	कल्जीखाल	178	54	5	–	–	237
6	थलीसैंण	105	76	19	01	–	201
7	दुगड्डा	178	70	26	7	5	286
8	यमकेश्वर	153	64	3	1	1	222
9	द्वारीखाल	145	73	5	1	1	225
10	जहरीखाल	161	46	04	01	–	212
11	एकेश्वर	169	56	04	–	–	229
12	पांखड़ा	88	43	5	1	1	138
13	रिखणी खाल	117	61	5	–	–	[illegible]
14	वीरोंरखाल	246	96	17	–	–	[illegible]
15	नैनी डांडा	138	29	02	–	–	169
	योग	2146	840	125	18	03	[illegible]

स्रोत – साख्यिकी पत्रिका 1991

8. वर्तमान जनसुविधाऐं :— निम्न सारणियों से स्पष्ट हैं

आर्थिक परिदृश्य

(क) *व्यवसायिक सरंचना :—* जनपद की आर्थिकी का मुख्य आधार कृषि है। जनपद की कुल कार्यशील जनसंख्या को 63.0% प्रतिशत कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। कृषि श्रमिक के रूप में 1.8% व पशुपालन व जंगल लगाना वृक्षारोपण आदि में 21.0% जनसंख्या लगी है। यह निम्नवत् श्रेणी से स्पष्ट है।

तालिका 1.7
कुल मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत

क्र0सं0	जनपद के कर्मकार	प्रतिशत
1.	कृषक	63.0
2.	कृषि श्रमिक	1.8
3.	पशुपालन जंगल लांभाश, वृक्षारोपण	21.0
4.	पारिवारिक उद्योग	.4
5.	गैर पारिवारिक उद्योग	2.1
6.	निर्माण कार्य	2.6
7.	व्यापार एवं वाणिज्य	4.3
8.	यातायात संग्रहण एवं संचार	1.9
9.	अन्य	21.9
		100.0

(ख) *भूमि का उपयोग :–* जनपद का आधे से अधिक भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कुल क्षेत्र का 59.24 प्रतिशत भाग पर वन हैं। मात्र 11.26 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है। 8.36 प्रतिशत भाग उद्यान वृक्षों का है। निम्नांकित तालिका से भूमि का उपयोग स्पष्ट है।

तालिका 1.8

भूमि उपयोगता

क्र0सं0	वर्ग	प्रतिशत कुल क्षेत्रफल
1.	वनक्षेत्र	59.24%
2.	कृषि कार्य	11.26%
3.	उद्यान वृक्षों का क्षेत्र	8.36%
4.	कृषि योग्य बंजर भूमि	5.89%
5.	उद्यान और कृषि अयोग्य	4.64%
6.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग	2.32%
7.	चरागाह	5.33%
8.	परती भूमि	2.96%

स्रोत सांख्यिकी पत्रिका 1999 पौड़ी

(ग) *जनपद में कृषि :–* जनपद का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गेहूँ चावल मडुंवा व जौ यहाँ की मुख्य फसलें हैं। आलू व मक्का, सांवा भी यहाँ उगाया जाता है। दलहन में उड़द गहथ, तोर, लोबिया, सोयाबीन, राजमा, रयांस, सब्जियों में बन्दगोभी, सेम, मूली, टमाटर, मटर, आलू तथा फलों में सेव, अमरूद, नाशपाती तथा आम सामान्य होते है। शुद्ध बोए गये क्षेत्रफल 84000 हैक्टयर की तुलना में 7000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल के अन्तर्गत हैं।

(घ) *परिवहन एवं संचार सुविधाएं :–* वर्ष 1997–98 में जनपद में कुल 2845 कि.मी. पक्की सड़क उपलब्ध थी। 1948 ग्राम सड़कों से जुडे थे। तीन विकास खण्ड मुख्यालय–नैनीडांडा, कोट, रिखणीखाल अभी तक भी कच्चे मार्ग से ही जुडे हैं। रेलवे स्टेशन मात्र कोटद्वार में है। वर्ष 1997–98 तक 426 डाकघर व 10 टेलीग्राफ आफिस थे। टेलीफोन 6400 थे

(ड.) *विद्युत व्यवस्था:–* जनपद में वर्ष 1997–98 तक कुल 2189 ग्राम व नगर विद्युतीकृत हो चुके थे। अनुसूचित जाति की 1392 बस्तियां विद्युतीकृत हैं।

9. विविध विकास योजनाएं :–

1. **समन्वित विकास परियोजना :–** जनपद में विकास खंडो पौड़ी, खिसू, कोट कजलीखाल में समन्वित बाल विकास परियोजना संचालित हैं।

2. **मध्याह्न पोषाहार योजना :–** जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक अध्ययनरत इन सभी छात्रों के लिए यह योजना संचालित है, जिनकी मासिक उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक रहती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह 3 किग्र0 चावल वितरित किया जाता है।

3. **छात्रवृत्ति योजना :–** जनपद के सभी विद्यालयों में अ0जा, अ0जन जा0 व पि0जा. के सभी छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्र के प्रतिमाह रू. 25/– की दर से एक वर्ष की छात्र वृत्ति रू0 300/– मिलती है।

4. **महिला समाख्या :–** जनपद पौड़ी में महिला समाख्या के द्वारा महिलाओं के उत्थान के हेतु विविध कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आधारित है।

5. **आपरेशन ब्लैक बोर्ड :–** जनपद में वर्ष 1990–91 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित हैं। इस योजना के तहत सभी प्राथमिक विद्यालय लाभान्वित हो रहे है।

6. **उत्तर साक्षरता अभियान :–** जनपद में वर्तमान में गढ़ ज्योति सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता के उपरान्त जनपद में वर्तमान में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहा है।

7. **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण :–** इसके तहत जे.आर.वाई0 एस0आर0वाई0, पी0एम0आर0वाई से भी विद्यालयों के निर्माण एवं नव निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1737 प्राथमिक विद्यालय/मान्यता प्राप्त 446 पू0 मा0 वि0 मान्यता प्राप्त सहित 89 हाईस्कूल 157 इण्टर कॉलेज 07 डिग्री कॉलेज 08 तकनीकी संस्थान 182 आंगनवाड़ी केन्द्र 03 संस्कृत पाठशालायें तथा 01 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। जनपद में 1994 से 2000 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 15 ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवं 120 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी जिनमें से 02 केन्द्र रूद्र प्रयाग मे चले गये हैं, शेष 118 केन्द्र गुणात्मक सुधार हेतु क्रियाशील हैं।

तालिका 2.0
जनपद की शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थायें

		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1629	30	1659	80	40	120	1709	70	1779	32	03	35
2.	मा0वि0से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	04	04	–	–	–	–	04	04	–	–	–
3.	अच्च प्राथमिक विद्यालय	392	05	397	38	11	49	430	16	446	04	0	4
4.	मा0वि0 से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	20	04	24	14	02	16	34	06	40	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	–	02	02	–	–	–	–	02	02	–	–	–
6.	हाईस्कूल	70	02	72	16	01	17	86	03	89	01	03	04
7.	इण्टर कालेज	91	09	100	54	05	59	145	14	159	–	–	–
8.	डिग्री कालेज	04	–	04	–	–	–	04	04	04	–	–	–
9.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	01	01	–	02	02	–	03	03	–	–	–
10.	विश्व विद्यालय	–	01	01	–	01	01	–	01	01	–	–	–
11.	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई/पॉली टे0)	03	04	07	01	–	01	04	04	08	–	–	–
12.	आंगनबाड़ी केन्द्र	333	–	333	–	–	–	333	–	333	–	–	–
13.	मकतब/मदरसे	–	06	06	–	–	–	–	06	06	–	–	–
14.	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	03	01	04	03	01	04	–	–	–
15.	ब्लाक संसाधन केन्द्र	15	–	15	–	–	–	15	–	15	–	–	–
16.	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	118	–	118	–	–	–	118	–	118	–	–	–
17.	जि.शि. एवं प्रशि. संस्थान	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–

तालिका 2.1
छात्र संख्या बार विद्यालयों की संख्या (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	20 से कम	20 से 50	50 से 100	100 से 150	150 से 200	200 से 250	250 से 300	300 से 350	350 से 400
1.	पौड़ी	20	42	25	05	01	—	—	—	—
2.	कोट	39	45	14	04	—	—	—	—	—
3.	खिर्सू	15	39	06	03	—	—	—	—	—
4.	पावों	20	46	36	06	—	—	—	—	—
5.	कलजीखाल	24	58	28	04	—	—	—	—	—
6.	थलीसैंण	17	44	45	24	07	—	—	—	—
7.	दुगड्डा	18	53	40	14	4	1	—	3	1
8.	यमकेश्वर	21	49	37	05	01	—	01	—	—
9.	द्वारीखाल	22	74	26	04	01	—	—	—	—
10.	जयहरीखाल	21	53	19	04	—	—	—	—	—
11.	एकेश्वर	20	61	18	02	01	—	—	—	—
12.	पोखड़ा	21	33	16	03	01	—	—	—	—
13.	रिखणीखाल	14	41	33	12	01	—	—	—	—
14.	वीरौंरखाल	31	62	46	07	—	—	—	—	—
15.	नैनीडांडा	23	60	26	08	—	—	—	—	—
	योग	326	760	415	105	17	01	01	03	01

नोट : नवीन विद्यालयों को 20 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में सम्मिलित किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि 46.65 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र संख्या 20 व 50 के बीच है। 25.47 प्रतिशत विद्यालयों में 50 से 100 के बीच है।

2 ***साक्षरता:–*** किसी भी क्षेत्र का विकासस उसकी साक्षरता पर निर्भर करती हैं। जनपद की साक्षरता जिसमें पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 52.56 है तथा महिला साक्षरता प्रतिशत 41.2 है

तालिका 2.2
जनपद की साक्षरता विभिन्न आयाम

क्र0सं0	विवरण	साक्षरता प्रतिशत
1.	कुल	54.09%
2.	ग्रामीण	52.56%
3.	नगरीय	65.25%
4.	कुल पुरूष	67.7%
5.	कुल महिला	41.2%
6.	ग्रामीण पुरूष	67.43%
7.	ग्रामीण महिला	39.25%
8.	शहरी पुरूष	69.05%
	शहरी महिला	59.85%

1991 के अनुसार स्रोत:– सांख्यिकी पत्रिका, पौड़ी 1991

विकास खण्ड बार साक्षरता दर:– विकास खण्ड बार साक्षरता दर तालिका में दी गयी है। जनपद में थलीसैंण में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। रिखणीखाल, नैनीडांडा, नार्वो, खिर्सू, वीरोंगखाल, कोट, पोखड़ा ता यमकेश्वर में भी महिला साक्षरता दर न्यून है। 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत तालिका 2.3 से स्पष्ट है.

तालिका 2.3
1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत

क्र0 सं0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	पौड़ी	10266	7356	17622	84.6	51.5	66.3
2.	कोट	8900	6060	14960	82.0	45	61.5
3.	खिर्सू	7201	4969	12170	71.0	42.5	69.1
4.	पावों	11455	7468	18923	81.6	42.5	60.3
5.	कल्जीखाल	11078	8548	19726	85.5	52.0	66.7
6.	थलीसैंण	13853	4767	18620	72.4	22.4	46.1
7.	दुगड्डा	29891	19911	49802	87.9	55.0	73.5
8.	यमकेश्वर	13741	8400	22141	84.8	48.2	65.3
9.	द्वारीखाल	14744	10214	24958	85.3	52.0	67.6
10.	जयहरीखाल	11262	7377	19239	87.4	53.8	69.4
11.	एकेश्वर	11379	8714	20093	90.1	54.7	70.3
12.	पोखड़ा	8787	6008	14795	86.9	47.9	64.6
13.	रिखणी खाल	10269	5993	1622	79.3	40.1	58.2
14.	वीरौंरखाल	14112	9576	23688	82.3	42.9	59.5
15.	नैनी डांडा	11267	7218	18485	79.7	42.2	59.6
	योग ग्रामीण	187992	122311	310303	67.43	39.25	52.7
	नगर क्षेत्र	32884	20091	52975	78.8	72.5	76.1
	कुल योग	220876	142402	363278	67.7	41.2	54.3

स्रोत – सांख्यिकी पत्रिका पौड़ी 1999

3. ***शैक्षिक संस्थानः–*** जनपद में वर्तमान में 07 डिग्री कालेज 159 इण्टर कालेज, 89 हाईस्कूल. 457 उ0प्रा0वि0 तथा 1769 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनके अतिरिक्त 182 आंगन बाड़ी केन्द्र भी संचालित हैं।

तालिका 2.4
विकास खण्डवार शैक्षणिक संस्थायें

क्र0 सं0	विकास खण्ड	नगर क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय				उच्च प्राथमिक विद्यालय				माध्यमिक	हाईस्कूल			इण्टर कालेज			डिग्री	आंगबाड़ी
			परिषदीय शासकीय नगर क्षेत्र सहित	मान्यता प्राप्त	गैर मान्यता प्राप्त	कुल	परिषदीय शासकीय	मान्यता प्राप्त	गैर मान्यता प्राप्त	कुल	विद्या से सम्बद्ध उच्च	राजकीय	अर्द्ध शासकीय मान्यता प्राप्त	योग	शासकीय	अर्द्ध शासकीय मान्यता प्राप्त	योग	कालेज एवं स्नातकोत्तर महर्षि	
1.	पौड़ी	15	78	12	02	107	25	02	—	27	—	06	—	06	05	04	09	01	52
2.	कोट		102	03	03	108	28	—	01	29	11	02	—	02	08	02	10	—	50
3.	खिर्सू	2	61	12	—	75	16	07	—	23	—	05	01	06	07	05	12	01	60
4.	पावों		108	08	—	116	32	02	—	33	—	05	—	05	05	03	08	—	—
5.	कल्जीखाल		114	04	02	120	25	—	02	27	—	03	01	04	06	03	09	—	60
6.	थलीसैंण		137	08	—	145	34	04	—	38	16	06	—	06	08	—	08	01	—
7.	दुगड्डा	13	121	30	08	172	38	15	—	53	—	07	03	10	11	02	13	01	111
8.	यमकेश्वर		123	05	03	131	28	04	—	32	04	01	05	04	05	09	—	—	—
9.	द्वारीखाल		136	06	02	135	34	04	01	38	—	10	01	11	10	04	14	—	—
10.	जयहरीखाल		102	08	—	110	25	—	—	23	—	04	—	04	09	04	13	01	—
11.	एकेश्वर		102	04	11	117	22	02	—	23	—	04	02	06	06	06	12	—	—
12.	पोखड़ा		74	05	04	83	18	03	—	20	—	01	01	02	03	06	09	01	—
13.	रिखणी खाल		105	04	—	109	24	—	—	24	—	02	02	04	07	02	09	—	—
14.	वीरोंखाल		149	07	—	156	28	04	—	32	—	09	01	10	08	07	15	01	—
15.	नैनी डांडा		117	04	—	121	29	02	—	28	—	04	04	08	03	06	09	—	—
	कुल योग	30	1629	120	35	1814	406	49	04	450	31	72	17	89	100	59	159	07	333

स्रोत – बे शि0 अ0 पौड़ी

4. ***भवनों के आधार पर विद्यालयः–*** जनपद के कुल 1659 प्रा0 विद्यालय हैं। जिनमें से 6 भवनहीन हैं। 42.11 प्रतिशत भवनों में तुरन्त अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है।

तालिका 2.5
भवनों के आधार पर विद्यालय

क्र0 सं0	विवरण	विद्यालयों की संख्या	साक्षरता प्रतिशत
1.	भवनहीन विद्यालय	06	0.37
2.	एक कक्षीय विद्यालय	06	0.31
3.	दो कक्षाकक्षीय विद्यालय	672	41.80
4.	तीन कक्षा कक्षीय विद्यालय भवन	537	30.69
5.	चार कक्षा कक्षीय विद्यालय भवन	317	19.33
6.	पांच कक्षा कक्षीय विद्यालय भवन	80	4.91
7.	पाँच कक्षों से अधिक वाले भवन	42	2.57

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

तालिका 2.6
भौतिक सुविधाओं व विद्यालय के अनुसार प्रा0 विद्यालयों की संख्या

क्र0 सं0	विकास खण्ड	भवहीन विद्यालय	एक कक्षीय विद्यालय	दो कक्षीय विद्यालय	तीन कक्षीय विद्यालय	चार कक्षीय विद्यालय	5 कक्षीय कक्षा के वि0	5 से अधिक	योग योग्य वि0	लघु मरम्मत योग्य वि0	वृहत मरम्मत विद्यालय	शौचालय युक्त वि0	शौचालय विहीन वि0	चारदीवारी युक्त	चारदीवारी विहीन वि0	पेय जल
1.	पौड़ी	–	–	69	04	05	–	–	78	10	16	68	10	08	85	15
2.	कोट	–	–	36	20	32	09	05	102	25	03	95	07	33	69	30
3.	खिर्सू	–	–	10	45	06	–	–	61	15	10	56	05	04	59	10
4.	पावौं	–	–	88	17	03	–	–	108	05	20	96	12	04	104	15
5.	कल्जीखाल	–	–	07	58	37	08	04	114	29	13	102	12	20	94	25
6.	थलीसैंण	–	–	49	48	14	21	05	137	21	41	95	42	10	127	10
7.	दुगड्डा	–	–	72	31	12	02	04	121	20	22	102	19	12	122	18
8.	यमकेश्वर	–	04	104	11	04	–	–	123	09	17	119	04	03	111	20
9.	द्वारीखाल	–	–	27	48	50	06	05	136	28	28	110	26	10	117	20
10.	जयहरीखाल	–	01	31	56	13	01	–	102	30	15	90	12	03	94	20
11.	एकेश्वर	–	–	21	26	47	06	02	102	20	38	87	15	09	93	15
12.	पोखड़ा	–	–	47	24	03	–	–	74	03	08	71	03	05	69	12
13.	रिखणी खाल	–	–	04	70	21	07	03	105	11	20	89	16	–	101	17
14.	वीरौंरखाल	–	–	08	50	57	20	14	149	41	25	109	40	38	108	13
15.	नैनी डांडा	–	–	87	21	09	–	–	117	15	34	94	23	21	96	14
	योग	–	05	660	529	313	80	42	1629	282	310	1383	246	180	1449	254
	नगर क्षेत्र	06	–	12	08	04	–	–	30	10	10	18	12	04	26	08
	योग	06	05	672	537	317	80	42	1659	294	320	1481	258	184	1475	262

तालिका 2.7 : भवनों के आधार पर विद्यालय (उच्च प्राथमिक)

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	भवनहीन	03	0.75
2.	दो कक्षीय भवन	01	0.25
3.	तीन कक्षीय भवन	35	8.81
4.	चार कक्षीय भवन	211	53.14
5.	पांच कक्षीय भवन	147	37.02

तालिका 2.8 : भवनों के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति (परिषदीय)

क्र.स.	विकासखण्ड	कुल विद्यालय	भवनयुक्त	भवनहीन	जर्जर भवन (नवनिर्माणापेक्षि)	लघु मरम्मत योग्य	बृहत मरम्मत योग्य	दो कक्षीय विद्यालय	तीन कक्षीय योग्य	चार कक्षीय योग्य	पांच कक्षीय योग्य
1	पौड़ी	25	25	—	01	03	03	—	—	25	—
2.	कोट	28	28	—	01	08	02	—	05	05	18
3.	खिर्सू	16	16	—	01	02	01	—	—	16	—
4.	पाबौ	31	31	—	—	01	01	—	—	21	10
5.	कल्जीखाल	25	25	—	01	03	07	01	—	—	24
6.	थलीसैण	34	34	—	—	05	03	—	02	20	12
7.	दुगड्डा	38	36	02	—	04	—	—	09	22	05
8.	यनकेश्वर	28	28	—	—	—	—	—	—	27	01
9.	द्वारीखाल	33	33	—	01	08	05	—	—	06	27
10.	जयहरीखाल	23+2	23+2	—	01	07	04	—	—	23	—
11.	एकेश्वर	21	21	—	—	05	03	—	—	04	17
12.	पोखड़ा	17	17	—	—	02	—	—	10	07	—
13.	रिखणीखाल	24	24	—	01	07	—	—	—	13	11
14.	बीरोंखाल	28	28	—	01	05	02	—	—	09	19
15.	नैनी डांडा	20	25	01	01	—	01	—	09	13	03
	योग	397-2	394+	03	09	56	32	01.	35	211	147

5. **जर्जर एवं मरम्मत योग्य विद्यालय :** जनपद में काफी बड़ी संख्या में विद्यालय जर्जर एवं मरम्मत योग्य हैं। जनपद में 39 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ध्वस्त करके नये भवनों का निर्माण किया जाना है। 252 भवनों में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है।

विकासखण्डवार भवन के आधार पर विद्यालय : जनपद में अधिकांश प्राथमिक विद्यालय दो कक्षा कक्षीय हैं। विकासखण्डवार विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है।

तालिका 2.9 : विकासखण्डवार भवन के अनुसार विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	विकास का क्षेत्र का नाम	पुनर्निर्माण योग्य विद्यालय भवनों की सं0					
		भवनहीन		जर्जर		विशेष मरम्मत योग्य विद्यालय भवन	
		प्रा0 वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0 वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0 वि0	उ0प्रा0वि0
1.	पौड़ी	06	–	16	02	10	15
2.	कोट	–	–	03	02	25	10
3.	खिर्सू	–	–	10	–	15	06
4.	पाबौ	–	–	20	–	05	07
5.	कल्जीखाल	–	–	13	–	29	08
6.	थलीसैण	–	–	41	–	21	10
7.	दुगड्डा	–	–	22	–	20	10
8.	यमकेश्वर	–	–	17	–	09	12
9.	द्वारीखाल	–	–	28	01	28	09
10.	जयहरीखाल	–	–	15	01	30	10
11.	एकेश्वर	–	–	38	–	20	12
12.	पोखड़ा	–	–	08	01	03	10
13.	रिखणीखाल	–	–	20	01	11	09
14.	बीरोंखाल	–	–	25	01	41	13
15.	नैनी डांडा	–	–	34	–	15	12
	नगर क्षेत्र	06	–	10	–	12	03
	योग	06	–	320	09	294	156

तालिका 2.10 : प्राथमिक विद्यालयों का आबादी व दूरी के आधार पर विवरण

प्राथमिक विद्यालय				
300 या 300 से ऊपर से अधिक आबादी वाले गांवों बस्तियों की संख्या को उपलब्ध प्राथ0 विद्यालय				
क्र. सं.	विकासखण्ड	1 किमी. से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1 किमी. से 1.5 किमी.	1.5 किमी से अधिक
1.	पौड़ी	157	—	15
2.	कोट	213	—	—
3.	खिर्सू	146	—	—
4.	पाबौ	114	30	01
5.	कल्जीखाल	237	—	—
6.	थली सैण	201	—	—
7.	दुगड्डा	286	—	—
8.	यमकेश्वर	218	4	—
9.	द्वारीखाल	225	—	—
10.	जयहरीखाल	212	—	—
11.	एकेश्वर	229	—	—
12.	पोखड़ा	133	3	2
13.	रिखणीखाल	172	11	—
14.	बीरोंखाल	359	—	—
15.	नैनी डाँडा	157	12	—
	योग	3059	60	18

तलिका 2.11

छात्र संख्या;कक्षावार/जातिवार

जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्राथमिक विद्यालय – परिषदीय

क्र0सं0	जाति	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5			महायोग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अनु0जाति	1861	2032	3893	1587	1610	3197	1549	1561	3110	1417	1397	2814	1282	1372	2654	5696	7972	15668
2	अनु0जनजाति	3	4	7	6	5	11	2	5	7	3	2	5	1	2	3	15	18	33
3	पि0जाति	38	37	75	22	16	38	28	30	58	16	21	37	23	30	53	127	134	261
4	सामान्य जाति	5715	6331	12046	5314	5813	11127	5406	5732	11138	5337	5458	10795	5351	6270	11621	27123	29604	56727
5	योग	7617	8404	16021	6929	7444	14373	6985	7328	14313	6773	6878	13651	6657	6774	14331	34961	37728	72689

स्रोत – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल

छात्र संख्या कक्षावार/जातिवार

जनपद पौड़ी गढ़वाल

उच्च प्राथमिक विद्यालय – परिषदीय/माध्यमिक

क्र0सं0	जाति	कक्षा 6			कक्षा 7			कक्षा 8			महायोग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अनु0जाति	1263	1148	2411	988	894	1882	803	758		3054	2800	5854
2	अनु0जनजाति	5	12	17	3	12	15	20	10	30	2834	62	62
3	पि0जाति	58	43	101	34	38	72	52	30	82	144	111	255
4	सामान्य जाति	4088	4615	8703	4013	4406	8419	4285	4712	8997	12386	13733	26119
5	योग	5414	5818	11232	5038	5350	10388	5160	5510	10670	15612	16678	32290

स्रोत – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल

7. स्कूल के अनुसार गाँव : जनपद के 3704 आवाद ग्रामों में1659 विद्यालय स्थित हैं। जनपद में 3059 गाँवों में प्राथमिक विद्यालय 1 किमी० की परिधि में उपलब्ध है। 78 गाँवों में प्राथमिक विद्यालय 1 किमी० से अधिक की दूरी पर स्थित है।

8. **छात्र अध्यापक अनुपात :** जनपद में प्रा0वि0 के 1568 प्रधान अध्यापक के पद सृजित हैं। सहायक अध्यापक के 2575 पद सृजित हैं। उ0प्रा0वि0 में 349 प्र0अ0 व 1543 स0अ0 के पद सृजित हैं। शिक्षा मित्र के 259 पद सृजित हैं।

तालिका 2.12

कुल सृजित पद					कुल कार्यरत पद		
प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		प्राथमिक में		उ0 प्राथमिक में कुल शिक्षक
प्र0 अ0	स0अ0	शि0 मि0	प्र0अ0	स0अ0	कुल शिक्षक	शि0मि0	
1568	1702	529	349	1543	2127	129	1515

स्त्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी

तालिका 2.13

शिक्षकों की उपलब्धता

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय					उच्च प्राथमिक विद्यालय		
		सृजित पद	कार्यरत	अतिरिक्त (अधिकता)	रिक्त	चयनित शिक्षा मित्र	सृजत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	पौड़ी	165	164	—	01	—	114	101	13
2.	कोट	201	192	—	09	01	125	103	22
3.	खिर्सू	119	124	—	—	—	65	59	06
4.	पाबौ	215	191	—	24	07	130	110	16
5.	कल्जीखाल	220	211	—	9	4	115	93	22
6.	थलीसैण	302	229	—	73	17	145	93	52
7.	दुगड्डा	279	304	—	25	—	—	165	173
8.	यमकेश्वर	244	242	—	2	03	136	120	16
9.	द्वारीखाल	264	242	—	22	06	155	134	21
10.	जयहरीखाल	195	189	—	06	07	115	102	13
11.	एकेश्वर	195	176	—	19	09	84	79	05
12.	पोखड़ा	153	123	—	30	18	80	65	15
13.	रिखणीखाल	203	193	—	10	07	105	88	17
14.	बीरोंखाल	286	231	—	55	30	125	100	25
15.	नैनी डाँडा	229	206	—	23	18	115	91	24
	योग	3270	3017	30	283	127	1774	1515	267

स्त्रोत : जि0वे0शि0अ0 पौड़ी

छात्र अध्यापक अनुपात : निम्नांकित तालिका से वि0 ख0 वार छात्र–अध्यापक अनुपात की स्थिति अंकित है। जनपद में यह अनुपात 1:32 है।

तालिका 2.14 छात्र अध्यापक अनुपात (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र0सं0	विकास खण्ड	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय छात्र संख्या	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय कार्यरत शिक्षकों की संख्या	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय PTR छात्र शिक्षक अनुपात	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र संख्या	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत शिक्षकों की संख्या	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय PTR छात्र शिक्षक अनुपात
1.	पौड़ी	2536	164	15.46	1057	101	10.46
2.	कोट	3083	192	16.05	1688	103	16.38
3.	खिर्सू	3147	124	25.37	871	59	14.76
4.	पाबौ	5219	191	27.32	2496	110	22.69
5.	कल्जीखाल	4583	211	21.72	1336	93	18.66
6.	थलीसैण	8900	229	38.86	3129	93	33.64
7.	दुगड्डा	9261	304	30.46	3030	173	17.51
8.	यमकेश्वर	5546	242	22.91	1457	120	12.14
9.	द्वारीखाल	4961	242	20.5	2140	134	15.97
10.	जयहरीखाल	3518	189	18.6	1436	102	14.07
11.	एकेश्वर	3641	173	20.68	1341	79	16.97
12.	पोखड़ा	2743	123	22.3	1222	65	18.8
13.	रिखणीखाल	5073	193	26.28	2645	88	30.05
14.	बीरोंखाल	5799	231	25.1	2515	100	25.15
15.	नैनीडांडा	4686	206	22.74	1337	91	14.69
	योग	72696	2127	34.17	29101	1515	19.20

स्त्रोत : जि0वे0शि0अ0 पौड़ी

तालिका 2.15 : जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान

क्र0 सं0	पदनाम	पद स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्राचार्य	01	–	01
2	उप प्राचार्य	01	–	01
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	03	03
4	प्रवक्ता	17	15	02
5	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	–
6	सांख्यिकीकार	01	01	–
7	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	–	01
8	तकनीकी विशेषज्ञ	01	–	01
9	कार्यालय अधीक्षक	01	–	01
10	लेखा सहायक	01	01	–
11	आशुलिपिक	01	01	–
12	कनिष्ठ लिपिक	09	09	–
13	प्रयोगशाला सहायक	01	01	–
14	चतुर्थ श्रेणी	05	05	–

वर्तमान सत्र में डायट में प्राचार्य, उपप्राचार्य, तीन वरिष्ठ प्रवक्ता, दो प्रवक्ताओं की कमी है जिनसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।

तालिका 2.16

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	6–11 वर्ग के वच्चों की संख्या			मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता/परिषदीय/राजकीय/प्राथमिक विद्या. में छात्र नामंकन			प्राथमिक में GER	11–14 वर्ग के वच्चे की संख्या			उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन			GER
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	पौड़ी	1920	2228	4148	1920	2226	4146	100	430	627	1057	430	627	1057	100
2.	कोट	1671	1837	3508	1671	1837	3508	100	1621	1285	2896	1612	1285	2897	100
3.	खिर्सू	1775	1923	3698	1775	1923	3698	100	975	971	1946	975	971	1946	100
4.	पावों	2794	2832	5626	2794	2832	5626	100	1406	1445	2851	1406	1445	2851	100
5.	कल्जीखाल	2459	2510	4969	2459	2509	4968	100	1197	1249	2446	697	1249	1946	100
6.	थलीसैंण	4878	4779	9657	4782	4706	9488	98.24	2174	1765	3939	2163	1705	3868	98.19
7.	दुगड्डा	5785	5815	11600	5721	5651	11372	98.03	3191	3088	6279	3191	3088	6279	100
8.	यमकेश्वर	3049	2964	6013	3039	2964	6003	100	1614	1505	3119	1614	1505	3119	100
9.	द्वारीखाल	2836	2767	5603	2835	2767	5602	100	1903	1896	3799	1902	1896	3798	100
10.	जयहरीखाल	2051	2076	4127	2051	2076	4127	100	1316	1382	2698	1316	1382	2698	100
11.	एकेश्वर	1977	2129	4106	1977	2129	4106	100	1057	1100	2157	1057	1100	2157	100
12.	पोखड़ा	1564	1440	3004	1564	1640	3204	100	1023	1082	2105	1023	1282	2305	100
13.	रिखणीखाल	2699	2832	5532	2603	2649	5252	94.93	1739	1773	3512	1646	1500	3146	89.57
14.	वीरौंखाल	3231	3300	6531	3231	3300	6531	100	1906	1912	3818	1906	1912	3818	100
15.	नैनीडांडा	2489	2891	5180	2489	2684	5183	100	1655	1636	3291	1455	1596	3051	100
	योग	41178	42123	83301	40911	41903	82814	99.18	23207	22716	45923	22393	22543	44936	99.4

तालिका 2.17

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन (6–11 वर्ग)

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	परिषदीय विद्यालयों में			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	पौड़ी	1177	1359	2536	743	867	1610	—	—	—	1920	2226	4146
2.	कोट	1455	1628	3083	127	109	236	89	100	189	1671	1837	3508
3.	खिर्सू	1444	1703	3147	331	220	551	—	—	—	1775	1923	3698
4.	पाबों	2404	2815	5219	390	17	407	—	—	—	2794	2832	5626
5.	काल्जीखाल	2210	2373	4583	187	110	297	62	26	88	2459	2509	4968
6.	थलीसैंण	4394	4506	8900	388	200	588	—	—	—	4782	4706	9488
7.	दुगड्डा	4355	4906	9261	833	512	1345	533	233	766	5721	5651	11372
8.	यमकेश्वर	2786	2750	5536	249	211	460	04	03	07	3039	2964	6003
9.	द्वारीखाल	2419	2542	4961	346	176	522	70	49	119	2835	2767	5602
10.	जयहरीखाल	1714	1804	3518	259	213	472	78	59	137	2051	2076	4127
11.	एकेश्वर	1720	1921	3641	136	88	224	121	120	241	1977	2129	4106
12.	पोखड़ा	1294	1449	2743	162	96	258	108	95	203	1564	1640	3204
13.	रिखणीखाल	2492	2581	5073	111	68	179	—	—	—	2603	2649	5252
14.	वीरौंरखाल	2814	2985	5799	375	295	670	42	20	62	3231	3300	6531
15.	नैनीडांडा	2283	2406	4689	206	288	494	—	—	—	2489	2694	5183
	योग	34961	37728	72689	4843	3470	8313	1107	705	1812	40911	41903	82814

स्रोत दि.शि.अ0 पौड़ी

तालिका 2.18
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन (11–14 वर्ग)

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	परिषदीय विद्यालयों में			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों			कुल योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	पौड़ी	430	627	1057	–	–	–	–	–	–	430	627	1057
2.	कोट	1503	1185	2688	103	94	197	06	06	12	1612	1285	2897
3.	खिर्सू	376	495	871	599	476	1075	–	–	–	975	971	1946
4.	पाबौ	1199	1297	2496	207	148	355	–	–	–	1406	1445	2851
5.	कल्जीखाल	267	969	1236	383	237	620	47	43	90	697	1249	1946
6.	थलीसैंण	1739	1390	3129	424	315	739	–	–	–	2163	1705	3868
7.	दुगड्डा	1500	1530	3030	1510	1558	3068	181	–	181	3191	3088	6279
8.	यमकेश्वर	767	690	1457	847	815	1662	–	–	–	1614	1505	3119
9.	द्वारीखाल	963	1178	2141	937	716	1653	02	02	04	1902	1896	3798
10.	जयहरीखाल	678	758	1436	520	496	1016	118	128	246	1316	1382	2698
11.	एकेश्वर	641	700	1341	416	400	816	–	–	–	1057	1100	2157
12.	पोखड़ा	559	663	1222	464	619	1083	–	–	–	1023	1282	2305
13.	रिखणीखाल	1387	1258	2645	259	242	501	–	–	–	1646	1500	3146
14.	बीरोंखाल	1215	1300	2515	685	600	1285	06	12	18	1906	1912	3818
15.	नैनीडांडा	446	691	1137	1009	905	1914	–	–	–	1455	1596	3051
	योग	13670	14731	28401	8363	7621	15984	360	191	551	22393	22543	44936

अध्याय – 3
बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद की प्रगति

उ. प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 से वर्ष 2000 तक यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित रहा, परियोजना से पूर्व जनपद में 1435 प्राथमिक विद्यालय एवं 223 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, परियोजना की अवधि में जनपद में 1 डायट, 15 विकास खण्डों में 15 बी.आर.सी. 120 एन.पी.आर.सी., 186 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 264 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई, जनपद रूद्रप्रयाग के सृजन के उपरान्त 2 एन.पी.आर.सी. 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 40 प्राथमिक विद्यालय जनपद रूद्रप्रयाग के सृजन में सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में जनपद पौड़ी में 1 डायट 15 बी.आर.सी. 118 एन.पी. आर.सी. 397 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 1659 प्राथमिक विद्यालय हैं।

तालिका – 3.1

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्रा. वि.	कक्षा–कक्ष	शौचालय	पेयजल सुविधा	अनौ. शिक्षा केन्द्र	सामुदायिक पुस्तकालय	महिला समाख्या	B.R.C.	N.P.R.C.
बी.ई.पी. के पूर्व (वर्ष 1993–94 से पूर्व) जनपद की स्थिति	1435	223	——	——	——	5 विकास खण्ड	——	——	——	——
बी.ई.पी. के किये गये कार्यों का विवरण	264	186	——	1260	828	5 विकास खण्ड	90	03	15	120
रूद्रप्रयाग में गये संस्थायें	40	12	10	40	10	——	——	——	——	2
वर्तमान में	1659	397	371	1220	818	पंद्रह	90	3	15	118

इस बेसिक शिक्षा परियोजना की अवधि में ग्राम शिक्षा समितियों को सुदृढ़ किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों की प्रोत्साहन योजना के तहत 13 ग्राम शिक्षा समितियों को उनके कार्यों के लिये प्रथम पुरस्कार, 12 ग्राम शिक्षा समितियों की द्वितीय पुरस्कार दिया गया, धारण क्षमता में वृद्धि के लिये 1608 विद्यालयों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गयी।

बेसिक शिक्षा परियोजना अवधि में डायट द्वारा संचालित प्रशिक्षण :

गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिये जनपद के सेवारत शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परियोजना अवधि में विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण दिये गये, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ–साथ सन्दर्भ व्यक्तियों, ग्रामशिक्षा, समितियों, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को भी प्रशिक्षण दिया गया जिसकी तालिका निम्नवत् है :–

तालिका – 3.2

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	उद्देश्य
1.	अधिगम प्रशिक्षण	सक्रिय अधिगम, बहुश्रेणी शिक्षण, बालकेंदित शिक्षा गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु
2.	सेवारत प्रशिक्षण	
	(1) दक्षता धारित प्रशिक्षण	शिक्षण की दक्षताओं का विकास
	(2) भाषा दक्षता, अनुपूरक, पुनरवोधात्मक प्रशिक्षण	भाषा की दक्षताओं, विद्याओं, नवाचारों, सहा. सामग्री का विकास हेतु
	(3) प्रा.वि. गणित प्रशिक्षण	गणित की दक्षताओं तथा नवाचार विद्याओं हेतु
	(4) उच्च प्रा.वि. गणित	गणित की दक्षताओं तथा नवाचार विद्याओं हेतु
	(5) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों में जूनियर कक्षाओं में गणित पढ़ाने वाले अध्यापक	गणित की दक्षताओं तथा नवाचार विद्याओं हेतु
	(6) प्रा. स्तर पर पर्यावरणीय/सा.मा.अ. प्रशिक्षण	पर्यावरण र्निमूल्य अथवा अल्प मुख्य शिक्षण सामग्री के माध्यम से विज्ञान तथा सामाजिक विषय पढ़ाने की दक्षता का विकास
	(7) उच्च प्रा.वि. विज्ञान/पर्या. प्रशिक्षण	पर्यावरण र्निमूल्य अथवा अल्प मुख्य शिक्षण सामग्री के माध्यम से विज्ञान तथा सामाजिक विषय पढ़ाने की दक्षता का विकास
3.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नव नियुक्त अध्यापकों का विद्यालय अभिलेख, शिक्षण विद्याओं तथा नामांकन,धारण एवं गुणवत्ता की सम्प्राप्ति हेतु
4.	ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण	ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों सक्रियता, योगदान तथा अभिभावकों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करना
5.	शिशु शिक्षा केन्द्र (आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, सुपरबाजारों का प्रशिक्षण तथा पुर्नवेधात्मक प्रशिक्षण)	प्रभावी तथा नई शिक्षायें, विद्यायें, सहायक सामग्री निर्माण, समस्याओं का निराकरण तथा स्वास्थय निरीक्षण प्रशिक्षण शैक्षिक तकनिकियों का बोध
6.	वैकल्पिक शिक्षाधरों, अनोपचारिक अनुदेशकों, वी.एस. समन्वयकों	प्रभावी तथा नई शिक्षण, विद्यायें, सहायक सामग्री निर्माण, समस्याओं का निराकरण तथा स्वास्थय निरीक्षण प्रशिक्षण शैक्षिक तकनिकियों का बोध
7.	बिजनिग कार्यशाला	खेल–खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य रूचिपूर्ण बनाना
8.	समर्थन माड्यूल प्रशिक्षण	संस्थागत सम्वर्धन हेतु
9.	कार्यनुभव प्रशिक्षण	क्रियात्मक कार्य, सहायक सामग्री निर्माण एवं कढ़ाई बुनाई आदि की जानकारी

10.	शैक्षिक तकनीकी कार्यशाला	प्राथमिक /उ0प्रा. स्तर पर विज्ञान किट/गणित किट, विभिन्न विषयों की सहायक सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण में प्रयोग
11.	शिक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण कार्यशाला	विद्यालयों को शैक्षिक सर्पोट एवं अनुश्रवण का सुदृढ़ीकरण हेतु, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. समन्वयक, सहसमन्वयकों से विचार विमर्श
12.	जनप्रतिनिधियां शिक्षाविदों की सार्वभौमिकरण हेतु गोष्ठी —	प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सतप्रतिशत नामांकन हेतु विचार विमर्श एवं सहयोग हेतु
13.	शैक्षिक मुल्यांकन, प्रबन्धन एवं नियोजन पर गोष्ठी	विद्यालयों के प्रबन्धन, नियोजन तथा शैक्षिक मुल्यांकन की जानकारी तथा मार्गदर्शन
14.	क्रियात्मक शोध	विद्यालय के शिक्षण में सुधार हेतु स्वयं अध्यापकों द्वारा समस्याओं का निराकरण
15. से	नामांकन गोष्ठी	समन्वयक सहयक समन्वयक को शतप्रतिशत नामांकन की रूपरेखा, रणनीति तथा क्रियान्वयन सम्बन्धित
16.	आकर्षक विद्यालय, कार्यशाला	विद्यालय का सौन्दर्यीकरण तथा छात्रों का विद्यालय एक आकर्षक का केन्द्र बने
17.	गढ़वाली भाषा, कार्यशाला	भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार गढ़वाली अनुपूरक साहित्य का निर्माण किया गया, जिसका अनमोदन हेतु निदेशालय को प्रेषित है
		स्त्रोत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगांव पौड़ी गढ़वाल

आधारभूत मूल्यांकन अध्ययन :

बेसिक शिक्षा परियोजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के पूर्व वर्ष 1994–95 में निम्न कारकों का मूल्यांकन प्रथम बेस लाइन सर्वे द्वारा किया गया।

(1) नामांकन, प्रारंभक शिक्षा की पूर्णता
(2) संस्थागत क्षमता
(3) गुणवत्ता में सुधार
(4) पहुंच (Access)

जनपद के 15 विकास खण्डों में से 4 विकास खण्डों कोट, जयहरीखाल, दुगड्डा, यमकेश्वर एवं नगर क्षेत्र श्रीनगर का चयन यादृच्छया (रेण्डम) किया गया। पुनः उक्त विकास खण्डों में से 43 एवं नगर क्षेत्र में से 2 प्राथमिक विद्यालयों का यादृच्छया चयन किया गया।

इन्हीं विकास खण्डों के उन्हीं विद्यालयों में मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन एवं अन्तिम मूल्यांकन अध्यन किये गये। अन्तिम मूल्यांकन अध्ययन डायट द्वारा करवाया गया, इनमें निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया :—

(1) कक्षा एक भाषा तथा गणित उपकरण
(2) कक्षा चार भाषा उपकरण
(3) कक्षा चार गणित उपकरण
(4) कक्षा चार साक्षात्कार (एस.पी.)
(5) अध्यापक साक्षात्कार (एस.टी.)
(6) विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का साक्षात्कार (एस.डी.)
(7) विद्यालय रिकार्ड विवरण (एस.आर.)
(8) फील्ड नोट (एफ.आई. द्वारा)

तालिका 3.3

आधारभूत मूल्यांकन अध्ययन (BAS) एवं आन्तरिक मूल्यांकन अध्ययन (FAS) की तुलना

कक्षा व विषय	BAS बेस लाइन सर्वेक्षण			FAS अन्तिम मूल्यांकन अध्ययन			माध्य अन्तर	CR- Value
	संख्या N	स. माध्य %	मानक विचलन SD	संख्या N	स. माध्य %	मानक विचलन %		
कक्षा 1 भाषा	421	65	31.25	353	80.95	15.54	15.95	9.20
कक्षा 1 गणित	421	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	353	79.81	14.72	———	———
कक्षा 4 भाषा	349	45.86	16.31	338	77.70	11.04	31.84	30.05
कक्षा 4 गणित	349	33.50	13.25	338	77.09	10.99	43.59	46.99

तालिका 3.4
लिंगानुसार सम्प्राप्ति की तुलना

कक्षा व विषय	सर्वे	बालक			बालिका			मध्य अन्तर	C.R. Value
		संख्या N	स. माध्य %	मानक विचलन SD	संख्या N	स. माध्य %	मानक विचलन SD		
कक्षा 1 भाषा	BAS	226	66.10	30.10	195	63.70	32.56	2.40	0.78
	FAS	164	80.80	15.40	189	81.10	15.70	0.30	0.18
कक्षा 1 गणित	BAS	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	——	——
	FAS	164	80.00	15.10	189	79.60	14.40	0.4	0.25
कक्षा 4 भाषा	BAS	186	49.35	16.03	163	41.86	15.94	7.49	1.53
	FAS	152	.78	11	186	77.4	11.1	0.60	0.07
कक्षा 4 गणित	BAS	186	35.07	13.32	163	31.75	13.05	3.32	0.93
	FAS	152	77.2	9.8	186	77	11.9	0.20	0.02

अध्याय 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदाय आधारित शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने का प्रयास है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित रूप में प्रदान करने का प्रयास है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं –

1. सभी बच्चों का 2003 तक स्कूल शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल में प्रवेश हो।
2. सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे।
3. सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।
4. सन्तोषजनक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित हो जिसमें जीवन के लिए शिक्षा पर बल हो।
5. स्त्री–पुरूष सभी अन्तर तथा सामाजिक ऊँच–नीच के भेदभाव को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर दूर करना।
6. सभी बच्चों को 2010 तक स्कूलों में अनिवार्य रूप से बनाये रखना।

सर्व शिक्षा अभियान की राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके अनुसार जनपद पौड़ी की वर्ष 2002–2003 के अन्त तक 6–11 वय वर्ग के शतप्रतिशत छात्रों का प्राथमिक स्तर पर नामांकन करने का लक्ष्य हैं। 2003 के अन्त तक प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 110 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि प्राथमिक स्तर में न्यून आयु और अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश की सम्भावना बनी रहती है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यचर्या में सुधार करने तथा बालकेन्द्रित कार्यकलापों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर प्रारम्भिक स्तर तक शिक्षा की उपयोगी औरी प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल देता है। इस अभियान में लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्लॉक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना उनका सुदृढ़ीकरण करना सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालयों के स्तर में वृद्धि, रख रखाव, मरम्मत तथा अध्ययन–अध्यापन उपस्करों तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सम्बन्धी सभी बातें अपनायी जायेंगी। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम विकास नवीन तकनीक आधारित शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुश्रवण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

ठहराव में वृद्धि हेतु विद्यालयों को आकर्षक बनाया जायेगा। विद्यालयों में उचित वातावरण सृजन के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय के जागरूक सदस्यों के सहयोग से विद्यालय के गरीब बच्चो के लिए गणवेश की व्यवस्था की जायेगी जिससे बच्चे आकर्षक लगें और अन्य बच्चे भी उन्हें देखकर विद्यालय जाने के लिए प्रेरित हो सकें।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (A.I.E.) – जो बच्चे अपने घरेलू कार्यो से जुड़े होने के कारण किसी प्राकृतिक बाधा के कारण विद्यालय नहीं जा पाते उनकी शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (A.I.E.) की व्यवस्था की जायेगी।

विशेष वर्ग की शिक्षा :– (समेकित शिक्षा)

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों को विद्यालयों में लाना आवश्यक है। विशेष वर्ग के बच्चों जो विभिन्न विकलांगता से ग्रसित हैं, ऐसे बच्चों को विकलांगता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा यथा श्रवण एवं वाणी विकलांगता, अस्थिविकार विकलांगता, दृष्टि विकलांगता, अधिगम मन्दता आदि। इन बच्चों के लिए समेकित अथवा व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी तथा मेडिकल एसेसमेन्ट कराने के बाद बच्चों को उपस्कर यथा चश्मा, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि दिये जायेंगे।

बालिका शिक्षा :

राष्ट्र का विकास महिला साक्षरता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अतः बालिका शिक्षा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी वर्गों की बालिकाओं के नामांकन के साथ–साथ बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत कराया जाना है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न योजना प्रस्तावित है।

1. प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
2. प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत महिला शिक्षिकाओं की व्यवस्था का प्रयास किया जायेगा।
3. माता शिक्षक संघ तथा महिला प्रेरक समूहों का गठन किया जायेगा।
4. बालिका शिक्षा की देखरेख के लिए जनपद में एक समन्वयक की नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी।
5. बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जायेंगी।
6. ऐसी बालिकायें जो किन्हीं कारणों से विद्यालयों में नहीं जाती हैं उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों (A.I.E.) की व्यवस्था की जायेगी।
7. ग्राम शिक्षा समितियों को बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National ... Educational
Pl... ...ation.
D-11909
Date 27/6/03

अध्याय 5

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय न जाने वाले बच्चों को 2003 तक विद्यालय में पहुचाना है। उसके उपरान्त उनका विद्यालय में ठहराव और ड्रापआउट को शून्य करना तथा गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना को पूर्ण रूपेण लागू करने हेतु ग्राम स्तर पर विकासखण्ड स्तर पर नियोजन कर जिला स्तरीय योजना तैयार की गयी है।

माइक्रो प्लानिंग : जनपद पौड़ी कें दिसम्बर 2000 तक वी.ई.पी. के कार्यक्रम संचालित होने के कारण इस जनपद में माइक्रोप्लानिंग की व्यवस्था पूर्व से ही कम्प्यूटरीकृत होती आयी है। इसी के आधार पर जो बच्चे मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाये है उनके लिए निम्न योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं। सर्वेक्षण के आधार पर जनपद में यह पाया गया कि 18 बस्तियों के बच्चे 1.5 किमी. दूर से विद्यालय जाते हैं किन्तु ये बस्तियों विद्यालय खोलने के मानक में न आने के कारण इनके लिए भी निम्न योजना प्रस्तावित की जा रही है –

क) ई.जी. एस.

ख) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

जनपद में बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक विभिन्न क्रिया कलापों का संचालन किया गया।

स्कूल चलो अभियान : जनपद में 1 जुलाई 2001 से 15 जुलाई 2001 तक घर–घर जाकर अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से सम्पर्क कर 6–11 वय वर्ग के बच्चों को स्कूल में लाने का प्रयास किया गया जिसके तहत बाल गणना कर प्रत्येक विद्यालय में बाल गणना पंजिकाएं तैयार की गयी तथा ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर पर गोष्ठियां कर बच्चों के माध्यम से जन जागरण रैली निकाली गयी तथा अभिभावकों में बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु चेतना जागृत की गयी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद स्तर पर बी. एस. ए., ए.बी.एस.ए., डायट में कार्यरत वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता की एक कोर टीम गठित की गयी। जिनके द्वारा निम्नांकित स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया गया। उनके द्वारा विचार विमर्श से जो बिन्दु उभरकर आये उनका विवरण निम्न सारिणी में दिया जा रहा है –

दिनांक	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचार विमर्श के बिन्दु
5.7.2001–7.7.200	राज्य संसाधन केन्द्र, देहरादून	डायट प्राचार्य, बी.एस.ए., वरिष्ठ प्रवक्ता प्रवक्ता, ए.बी.एस.ए.	क) बच्चों का स्कूल में नामांकन ख) गुणवत्तापरक शिक्षा ग) आकर्षक विद्यालय
1.8.2001	डायट, चड़ीगांव, पौडो	डायट प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता जि.बे.शि.अ., स.बे.शि.अ. (7)	क) प्रस्पैक्टिव प्लान के अन्तर्गत घर–घर सर्वेक्षण कार्य ख) अध्यापकों की नियमित उपस्थिति पर विचार–विमर्श

दिनांक	स्थान	प्रतिभागी	विचार विमर्श के बिन्दु
2.08.2001	जि.बे. शिक्षा अधिकारी	स. बे. अ./एस.डी. आई.	क) ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय कराने हेतु ख) बच्चों का नामांकन कराने के लिए
9.08.2001	बे. शि. अ. कार्यालय पौड़ी	जनपदीय कोर ग्रुप के समस्त सदस्य	क) प्रस्पेक्टिव प्लान के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों के सम्बन्ध में विचार विमर्श तथा निर्धन बच्चों के सम्बन्ध में विचार विमर्श ख) बालिकाओं के लिए विशेष व्यवसायिक कार्यक्रम पर विचार विमर्श तथा सिलाई, कढ़ाई। ग) कक्षा 6 से कृषि शिक्षा पर विशेष बल।
10.8.2001	एन.पी. आर. सी. स्तर	एन. पी. आर. सी. के शिक्षक तथा ग्राम पंचायत प्रधान	अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को विद्यालय में लाने के लिए विचार– विमर्श
6.9.2001	बी. आर. सी. स्तर	एन. पी. आर. सी. समन्वयक	ध्वस्त हुये शौचालय मरम्मत योग्य भवनों की जानकारी के लिए
11.9.2001–15.9.2001	एन. एस. डी. ए. आर. टी. मसूरी	बे. शि. अ., स. बे.शि. अ. डायट के वरिष्ट प्रवक्ता, प्रवक्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी	क) प्रस्पेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु प्रशिक्षण
9.4.2002 – 11.4.2002	राज्य परियोजना कार्यालय परेड ग्राउण्ड देहरादून	बे. शि. अ. स. बे. शि. अ डायट के वरिष्ट प्रवक्ता, प्रवक्ता जिला कार्यक्रम अधिकारी	वर्ष 2002–03 के वार्षिक बजट एवं कार्य योजना विषयक

उपर्युक्त गोष्ठियों, कार्यशालाओं के सम्पादन के बाद निम्नलिखित कार्यो को सम्पादित किया जायेगा। जिससे छात्र नामांकन के साथ–साथ गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रयास किया जायेगा।

1 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
2. माइक्रोप्लानिंग
3. विद्यालय भवनों की स्थिति की जानकारी
4. विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन में समुदाय की सहभागिता
5. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना
6. असेवित बस्तियों में ई. जी. एस. तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्दों की पहचान
7. विद्यालयों में अध्यापक–अभिभावक संघ का गठन।

अध्याय 6

क्रियान्वयन की कठिनाइयाँ एवं उनके निराकरण

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक क्रान्तिकारी कदम है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भले ही अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं किन्तु समुदाय का सहयोग लेकर तथा कारगर रणनीति बनाकर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करें तो निश्चित ही लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

पहुँच

कठिनाइयाँ

1. जनपद में 78 असेवित बस्तियाँ हैं जहाँ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।
2. जनपद में 3 उ.प्रा.वि. भवनहीन हैं और 6 प्राथमिक विद्यालय भवनहीन हैं।
3. जनपद में 30 प्राथमिक विद्यालय एवं 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय ध्वस्त हैं।
4. निरक्षरता के कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं शिक्षा की जरूरत की जानकारी नहीं रखती। फलतः वे अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजती हैं।
5. जनपद में 645 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास कक्षा–कक्षों की कमी है।
6. अधिकांश विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है। जिससे मवेशी आकर विद्यालय की सुन्दरता का नुकसान करते है।
7. गरीबी के कारण कतिपय अभिभावक अपने बच्चों को घरेलू कार्य यथा खेती, जानवर चुगाना आदि में लगा देते हैं।
8. कुछ विद्यालया में शौचालयों की कमी है।
9. बहुत से विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध नहीं है।

निराकरण

1. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गतत असेवित बस्तियों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक/ई.जी.एस. खोले जाने हैं।
2. परियोजना के प्रथम वर्ष में जर्जर व जीर्णशीर्ण विद्यालय भवनों के स्थान पर 50 नवीन विद्यालय भवन, 50 विद्यालय भवनों की हल्की मरम्मत, 5. विद्यालय भवनों की विशेष मरम्मरत की जायेगी।
3. वर्ष 2002–2003 में 50 विद्यालयों को शौचालय, 50 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
4. सर्व शिक्षा अभियान के वर्ष 2002–2003 में 50 एक कक्षीय विद्यालय में एक और कक्षा–कक्ष बनाया जायेगा।
5. जनपद में जनगणना अभियान चलाकर समुदाय की सहभागिता से विद्यालय न आने वाले बच्चों को नामांकन कराया जायेगा।
6. गरीबी के कारण जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते उन्हें ड्रेस तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी।
7. जनपद में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सुदृढ़कर साक्षरता दर बढ़ायी जायेगी।

नामांकन

कठिनाइयाँ

1. कुछ ग्रामीण वस्तियां जिनमें आवादी बहुत कम है मूल गांव से दूर होती हैं इनके बच्चे पशुपालक, कृषि आदि कार्यो में संलग्न रहते हैं विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाते।
2. कुछ वच्चे जिनकी आयु कुछ अधिक हो जाती है वे विद्यालय में छोटी कक्षा में नामांकित होने में हिचकिचाते हैं।
3. कई अभिभावक अपने बच्चों को घरेलू कार्य करवाते हैं और बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते।
4. पिछडे और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं को विद्यालय में भेजने की प्रति अभिभावक जागरूक नहीं होते।
5. आर्थिक कठिनाइयों के कारण वच्चे विद्यालय नहीं भेजे जाते।
6. अनुसूचित जाति के वच्चों का नामांकन कम होता है।
7. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को विद्यालय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे विद्यालय में नामांकित नहीं होते।

निराकरण

1. गाँव से दूर बिखरी हुयी छोटी बस्तियों के लिए उन्हीं परिवारों/समुदाय में से पढ़े लिखे पुरूष अथवा महिला को पारिश्रमिक देकर बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी जायेगी।
2. 20 वच्चों वाली वस्ती के लिए ई.जी.एस. या वैकल्पिक शिक्षा घर खोला जायेगा।
3. बड़ी उम्र के बच्चों को नामांकित करने के लिए ब्रिज कैंप आयोजित किये जायेंगे।
4. क) घर–घर सर्वेक्षण कर विद्यालय का नजरी नक्शा तैयार किया जायेगा।
   ख) जिन घरों के बच्चे विद्यालय आते हैं, नहीं आते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं उन घरों को विभिनन रंगों से चिन्हांकित किया जायेगा।
   ग) समुदाय की सहायता से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का नामांकन करवाया जायेगा।
5. ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया जायेगा।
6. ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय किया जायेगा जिससे गाँव में शैक्षणिक वातावरण सृजन किया जा सके।
7. शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए जनपद में एक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

धारण

कठिनाइयाँ

1. विद्यालय बाह्य एवं आन्तरिक रूप से आकर्षक नहीं है।
2. विद्यालयों में शिक्षण रूचिपूर्ण नहीं है।
3. विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, क्रीड़ास्थलों की कमी है।
4. अभिभावक बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने में रूचि नहीं रखते।
5. शिक्षक विद्यालयों में प्राप्त प्रशिक्षणों का उपयोग शिक्षण कार्य में नहीं करते हैं।
6. शिक्षण बाल केन्द्रित नहीं होता है।

निराकरण

1. विद्यालयों को भौतिक रूप से आकर्षक बनाने के लिए प्रतिवर्ष रू. 2,000 दिया जायेगा।
2. शिक्षकों को रूचिपूर्ण शिक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. विद्यालयों में शौचालय, पेयजल तथा क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था की जायेगी।
4. विद्यालयों का निरीक्षण/अनुश्रवण नियमित रूप से किया जायेगा।
5. सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में कुछ शिक्षकों को स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे नवाचार शिक्षण कार्य करने वाले विद्यालयों का भ्रमण कराया जायेगा।
6. विद्यालयों में छात्रों को लिखने के लिए कक्षा–कक्षों में लेखन बही बनवायी जायेगी।
7. विद्यालय का आकर्षण बनाने एवं बनाये रखने हेतु चारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा।
8. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

गुणवत्ता सम्वर्द्धन

कठिनाइयाँ

1. सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना है। किन्तु समुदाय, शिक्षकों, प्रशिक्षकों को बहुआयामी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है
2. छात्र–छात्राओं का न्यूनतम अधिगम स्तर अपेक्षित नहीं है।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को दायित्वों की जानकारी नहीं होती है।
4. शिक्षक के लम्बे अवकाश पर जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है।
5. दूर–दराज के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है।
6. ग्राम शिक्षा समिति तथा समुदाय विद्यालय को शैक्षिक उन्नयन में सक्रिय सहयोग नहीं देते हैं।
7. स्थानीय आधारित एवं बालकेन्द्रित रूचिकर पाठ्यक्रम का अभाव है।
8. विशिष्ट समूह के बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री का अभाव है।
9. शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है।
10. ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें अभिभावक विद्यालय की समस्यायें को सुलझाने हेतु प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकें।
11. विद्यालयों में बच्चों एवं शिक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।
12. जिन विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था है वहाँ पर पुस्तकालय का नियमित उपयोग नहीं किया जाता।

निराकरण

1. बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों को बहुआयामी प्रशिक्षण दिया जायेगा। शिक्षकों के दृष्टिकोण बदलने के लिए विजिनिंग, विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, ऐक्सन रिसर्च कराया जायेगा।
2. विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट, अनुश्रवण किया जायेगा जिससे बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति हो।
3. शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी।
4. माँ–बेटी मेला, रामलीला मंच, जनजागरण द्वारा ग्राम शिक्षा समिति तथा समुदाय के सदस्यों की सक्रियता बढ़ायी जायेगी।
5. डायट स्तर पर स्थानीय आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा।
6. विशिष्ठ समूह के बच्चों के लिए माड्यूल तैयार किये जायेंगे।
7. शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए शिक्षकों को प्रतिवर्ष रू. 500 दिया जायेगा।
8. विद्यालय में एक अध्यापक–अभिभावक संघ बनाया जायेगा।
9. प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. पर पुस्तकालय खोला जायेगा।
10. जनपद में सचल पुस्तकालय खोला जायेगा जिसको दो मार्शल जीप की सहायता से संचालित किया जायेगा।
11. नव नियुक्त शिक्षकों को 30 दिन का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा।
12. गुणवत्ता सम्बर्द्धन एक व्यापक विषय है यह छात्रों के नामांकन, धारणा तथा गुणवत्तापरक शिक्षा से सम्बन्धित है। अतः इसे कठिनाइयों एवं निराकरण के रूप में बिन्दुवार प्रस्तुत किया जा रहा है –

(क) डायट में प्रशिक्षण :

क्रियान्वयन / कठिनाई

1. डायट में आवासीय व्यवस्था की कठिनाई
2. डायट में व्याख्यान कक्ष, कक्षा कक्षों की कमी।
3. डायट में पेयजल की व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित है। पाइपलाइन बहुत दूर से आने के कारण निरन्तर टूटती रहती है। पानी बिना फिल्टर आता है जिससे प्रशिक्षणार्थियों का स्वास्थ्य खराब हो जाने से प्रशिक्षण बाधित होता है।
4. पुस्तकालय कक्ष, वाचनालय कक्ष की कमी।

निराकरण

1. महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था उपलब्ध कराना।
2. एक व्याख्यान कक्षा तथा दो कक्षा–कक्ष निर्माण।
3. पेयजन की व्यवस्था के लिए नई पाइप लाईन डलवाकर सुव्यवस्थित करना।
4. पुस्तकालय, वाचनालय कक्ष उपलब्ध कराना।

(ख) सेवारत प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. शिक्षकों का नवीन शिक्षण प्राविधियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण।
2. शिक्षकों को नवीन शिक्षण तकनीकियों की जानकारी की कमी।
3. शिक्षकों में विषयवस्तु की जानकारी की कमी।

निराकरण

1. शिक्षकों के दृष्टिकोण बदलने के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन।
2. प्रा.वि. के शिक्षकों का विभिन्न विषयों का नवीन तकनीकी आधारित प्रशिक्षण।
3. विषयवस्तु की जानकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण।
4. नव नियुक्त शिक्षकों का 30 दिन का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण।
5. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का विभिन्न विषयों में नवीन तकनीकी आधारित प्रशिक्षण।

(ग) ग्राम शिक्षा समिति एवं सामुदायिक सहभागिता :

कठिनाइयाँ

1. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य सक्रिय नहीं हैं।
2. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अध्यापकों तथा पर्यवेक्षक, अधिकारियों के मध्य रचनात्मक सम्बन्ध नहीं रहते।
3. दूरस्थ क्षेत्रों की जनता प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता नहीं समझती।
4. समुदाय विद्यालय के प्रबन्धन में रूचि नहीं रखता।

निराकरण

1. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को सक्रिय बनाने की लिए प्रशिक्षण।
2. ग्राम शिक्षा समिति की मासिक बैठकों का आयोजन।
3. अध्यापक अभिभावक संघ का गठन।
4. जनजागरण अभियान।
5. शिक्षकों अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित किया जायेगा।
6. निरीक्षण/अनुश्रवण पर जाने वाले अधिकारी समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से सम्पर्क करेंगे।

(घ) नवाचार :

कठिनाइयाँ

1. शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का नामांकन नहीं होता तथा उनकी धारणा क्षमता में कठिनाई।
2. 11–14 वय वर्ग वाली अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं में धारणा क्षमता में कमी।

निराकरण

1. जनपद स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए आवश्यकतानुसार सामग्री जैसे श्रवण यन्त्र उपलब्ध कराना।
2. 11–14 वय वर्ग को अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जायेगी।
3. न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय में 11–14 वय वर्ग की बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण।

(ङ) बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों तथा संदर्भदाताओं के लिए उचित साहित्य का न होना।
2. समन्वयकों तथा संदर्भदाताओं का विभिन्न विषयों में तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव।
3. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का अनुश्रवण के लिए 8 किमी. से बाहर न जाने पर यात्रा भत्ता न दिये जाने की कठिनाई।

निराकरण

1. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों तथा संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण के लिए उचित साहित्य की व्यवस्था की जायेगी।
2. विभिन्न विषयों के नवीन शिक्षण विद्यालयों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
3. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण करने सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
4. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को 8 किमी. से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता की व्यवस्था की जायेगी।

(य) ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. को शैक्षणिक सम्बन्धी प्रशिक्षण न दिये जाने से विद्यालयों का सही पर्यवेक्षण न करने सम्बन्धी कठिनाई।
2. शिक्षण की नई विद्यालयों की जानकारी प्रशिक्षण के अभाव में न होना।

निराकरण

1. ए.बी.एस.ए / एस.डी.आई. के विद्यालयों का पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
2. शिक्षण की नई विधाओं की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिससे ए.बी.एस.ए. / एस.डी.आई. विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट दे सकें।

(र) प्रधान अध्यापकों का प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. प्रा.वि. तथा उ. प्रा. वि. प्रधान अध्यापकों को नियोजन एवं प्रबन्धन की जानकारी नहीं है।
2. प्रा.वि. तथा उ.प्रा. के प्रधान अध्यापकों में नेतृत्व क्षमता की कमी।

निराकरण

1. प्रा.वि. तथा उच्च प्रा.वि. के प्रधानाध्यापकों को नियोजन एवं प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता सम्वर्द्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ल) शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. शिक्षा मित्रों को शिक्षण सम्बन्धी तकनीक की जानकारी का अभाव।
2. विषयवस्तु की जानकारी की कमी।

निराकरण

1. शिक्षा मित्रों के शिक्षण की नवीन विधाओं का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. शिक्षा मित्रों के विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी बढ़ाने के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(व) आंगनवाड़ी प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को शैक्षणिक अनुभव न्यून होना।
2. [illegible]

निराकरण

1. आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को शैक्षणिक अनुभव की जानकारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण।
2. कार्यानुभव की जानकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(ट) शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण :

कठिनाइयाँ

1. शिक्षण अधिगम सामग्री की कमी।
2. शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव।

निराकरण

1. शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रत्येक शिक्षक को रू. 500 दिया जायेगा।
2. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अधिगम सामग्री का विकास और प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जायेगा।

(ठ) शिक्षकों की कमी :

कठिनाइयाँ

1. जनपद में 161 विद्यालय एकल चल रहे हैं जिससे बच्चों का पठन–पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है।
2. दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों का ठहराव कम रहता है।

निराकरण

1. नये शिक्षकों की भर्ती कर शिक्षकों की कमी को पूरा किया जायेगा।
2. शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी।

अध्याय –7

क्रियान्वन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उत्तरांचल सभी के लिये शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह उपेक्षा होगी कि वह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदयिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, ज्वाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत दर्शाया जा सकता है–

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थाएं
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू0पी0ई0एफ0ए0पी0बी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0टी0 एस0आई0ई0, सीमैट एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0 आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र

संगठानात्मक ढांचा–निर्धारण

ग्रान शिक्षा समिति :

ग्रान स्तर पर वेसिक शिक्षा सन्दन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम समिति की स्थापना की गयी है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

सनिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1. ग्राम पंचायत प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्रान पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां 1 से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्टतम सदस्य सचिव ग्राम शिक्षा सनिति होगा।
3. वेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

ग्रान शिक्षा सनिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :–

(क) वेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

(ख) पंचायत क्षेत्र में वेसिक शिक्षा, की अभिवृद्धि और विकास करना।

(ग) वेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(घ) ऐसे समस्त आवश्यक कदन उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक सनझें जायें।

(ड़) पंचायत क्षेत्र की सीनाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दम्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपि जायें।

वेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ--साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित हैं। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भगीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके। कार्यक्रम में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रभावशाली स्वरूप प्रदान करने के लिये पी0टी0ए0, महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जायेगें, जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी संगठन

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। हर बच्चा हो स्कूल में "हर स्कूल हो सुन्दर व हर बच्चा सीख रहा हो" के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करेंगे। अपने संकल्प से अन्य सुविधाओं के लिए करेंगे।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन.पी.आर.सी.) :-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :-

(1) न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण अनुश्रवण/शैक्षिक सपोर्ट करना।
(2) अध्यापकों की मासिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
(3) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
(4) ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
(5) न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

जिले की भांति ही प्रत्येक स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत सतर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है :-

(1)	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
(2)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
(3)	क्षेत्रीय समिति नामित एक प्रधान	सदस्य
(4)	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक अध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षक वे अनुश्रवण करेंगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगें। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकस खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगें। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकार के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :–

(1) सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(2) विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

(3) ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

(4) ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

(5) ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

(6) सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

(7) खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

(8) विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

(9) ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

(10) अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.)

इस जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक समन्वयक का पद सृजित किया गया है जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना का एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेगें।

कार्य एवं दायित्वः–

1– अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2– विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3– विकास खण्डो की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना,शैक्षणिक आवश्यकताओं का शूक्ष्म नियोजन करना।
4– ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5– न्याय पंचायत केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6– ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7– विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों में बस्ती बार तथा बच्चों का नामबार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना
8– ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारत एवं रणनितियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत हैः–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	प्राचार्य डाइट	सदस्य
3–	वरिष्ट प्रवक्ता/प्रवक्ता डायट	सदस्य
4–	उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5–	जिलाधिकारी द्वारा नामित अनु0 जाति का सदस्य	सदस्य
6–	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
7–	स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
8–	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक–एक अध्यापक	सदस्य
9–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

वह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे सभी निर्णय लेके का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध मं इनके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगो को मानने होंगे।

सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :–

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है :–

1– जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
3– अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5– जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7– तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	सदस्य
8– विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिशद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी :–

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।
(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।
(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार–सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

प्रशासनिक तन्त्र–जिला परियोजना कार्यालय :–

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर उसमें तैनात की जायेंगो।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे :–

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई.जी.एस./ए.आई.ई.)	1
3.	समन्वयक	4
4.	कम्प्यूटर आपरेटर	1
5.	सहायक लेखाधिकारी	1
6.	लेखाकार	1
7.	लिपिक	1
8.	परिचालक	2

उपयुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति म उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यक्रम में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम.आई.एस. स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलबध है। आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इस कम्प्यूटर को संचालित करने हेतु एक कम्प्यूटर सहायक की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी।

प्रशिक्षण :–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी.आर.सी. समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई.एम.आई.एस. सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

(1) ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण – जिला स्तर पर।
(2) ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण – ब्लाक स्तर पर।
(3) ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण – न्याय पंचायत स्तर पर।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच :–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र B.E.P. के अन्तर्गत पूर्व से उपलब्ध है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई.एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट–आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग :–

ई.एम.आई.एस. आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे :– जी.ई.आर., एन.ई.आर., ड्राप–आउट दर, छात्र–अध्यापक अनुपात, एकल अध्यापिकीय आदि विद्यालय प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन, इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्ट्मस में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदानुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या विश्लेषण एक ही स्त्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वंछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ठ होगा। उदाहरण स्वरूप आंकड़ों का उपयोग कातिपय निम्न कार्यों हेतु किया जा सकता है।

(1) नवीन विद्यालयों बस्तियों की पहचान।
(2) शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
(3) छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
(4) एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
(5) छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
(6) बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों न्याय पंचायतों निकायों का चिन्हीकरण।
(7) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
(8) अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
(9) शिक्षकों का विवरण।

(10) विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टरा।

(11) विकलांगतावर आंकड़ों के अनुसार उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई.एम.आई.एस. से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :–

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होगें :–

(1) विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना

(2) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा के अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना। जिससे जिले स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके।

(3) ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना है।

(4) जिले स्तर की शिक्षा समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।

(5) जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवाश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

(6) ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया–कलपों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

(7) जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

(8) जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

(9) न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना।

(10) शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

(11) शैक्षिक आंकड़ों (ई.एम.आई.एस. के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

(12) शिक्षकों, समन्वयकों, ई.सी.सी.ई. तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम्स :–

एम.आई.एस. के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल.ऐ.सी.आई. (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रयोग किया जायेगा। जिसके लिये भी एम.आई.एस. प्रयोग में लाया जायेगा।

निधि का प्रवाह :–

जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक, पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयंसेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है। जिसके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

1. ग्राम शिक्षा समिति
2. बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी.
3. अध्यापक
4. स्वयं सेवी संस्था आदि

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी.

विकास खण्डवार कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र	नवीन विद्यालय खोलना			भवन हीन विद्यालय	ध्वस्त विद्यालयों का पुनर्निर्माण			घेरबाड़			अतिरिक्त कक्षा कक्ष			शौचालय			पानी की व्यवस्था			मरम्मत
		प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग		प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0	योग	
1	पौड़ी	—	—	—	—	7	1	8	22	6	28	4	1	5	5	5	10	5	5	10	10
2	कोट	—	1	1	—	6	1	7	20	6	26	4	1	5	5	5	10	10	5	15	7
3	खिर्सू	—	—	—	—	6	—	6	20	6	26	3	1	4	3	2	5	3	2	5	6
4	पाबौ	—	—	—	—	6	1	7	18	6	24	4	1	5	5	5	10	4	1	5	10
5	कल्जीखाल	—	—	—	—	8	1	9	22	6	28	4	1	5	5	5	10	10	5	15	8
6	थलीसैण	1	1	2	—	6	2	8	30	7	37	6	2	8	10	5	15	3	3	6	15
7	दुगड्डा	—	—	—	—	7	—	7	30	7	37	6	—	6	4	4	8	4	4	8	8
8	यमकेश्वर	—	—	—	—	6	—	6	25	7	32	5	—	5	3	3	6	10	3	13	8
9	द्वारीखाल	1	—	1	—	6	—	6	30	7	37	6	—	6	5	5	10	10	5	15	8
10	जयहरीखाल	—	—	—	—	7	—	7	26	7	33	6	1	7	5	5	10	10	5	15	10
11	एकेश्वर	—	—	—	—	6	1	7	15	6	21	4	1	5	7	3	10	3	3	6	6
12	पोखड़ा	—	—	—	—	6	—	6	15	6	21	4	2	6	7	2	9	4	2	6	6
13	रिखणीखाल	1	1	2	—	7	—	7	30	6	36	6	1	7	5	4	9	5	4	9	15
14	बीरोंखाल	1	1	2	—	8	2	10	30	8	38	6	1	7	7	3	10	4	3	7	15
15	नैनीडांडा	1	1	2	—	6	1	7	30	6	36	5	1	6	7	2	9	4	2	6	12
16	न0क्षे0 कोटद्वार	—	—	—	—	1	—	1	6	2	8	1	1	2	3	3	6	4	3	7	3
17	न0 क्षे0 पौड़ी	—	—	—	3	1	—	1	6	1	7	1	—	1	2	1	3	1	1	2	3
	योग	**5**	**5**	**10**	**3**	**100**	**10**	**110**	**375**	**100**	**475**	**75**	**15**	**90**	**88**	**62**	**150**	**94**	**56**	**150**	**150**

अध्याय–8

कार्य योजना एवं प्रस्तावित बजट

ACCESS-

1– नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलना:–

जनपद पौडी के असेवित बस्तियां जहां पर अभी तक प्राथमिक स्तर के शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध नहीं है, तथा मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोलें जाने है। ऐसे 5 विकास खण्ड थलीसेंण नैनीडांडा, रिखणीखाल, द्वारीखाल बीरोंखाल में एक–एक विद्यालय इस वर्ष की कार्य योजना में प्रस्तावित किया गया है।

2– नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना:–

1– जनपद पौड़ी के असेवित बस्तियां जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता हैं, मानक के अनुसार पांच विकास खण्डों में कोट,द्वारीखाल, रिखणीखाल, थलीसैंण,बीरोंखाल में एक–एक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किया गया है।

2– नगर–क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के तीन ऐसे प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया है, जिन्हें किसी भी मद से भवन नर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं हुयी हैं।

3– अध्यापकों का वेतन:–

सर्व शिक्षा परियोजना के तहद् स्वीकृत 2001–2002 में 91 प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों तथा 91 पैरा अध्यापकों का वेतन एवं वर्ष 2002–2003 में प्रस्तावित पांच प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं पैरा अध्यापकों का वेतन कुल 96 स0अ0 एवं 96 पैरा अध्यापक प्रस्तावित किया गया है।

5– उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन:–

सर्व शिक्षा परियोजना के तहद् 2001–2002 में स्वीकृत 153 सहायक अध्यापक व 2002–2003 के लिए प्रस्तावित पांच उच्च प्राथमिक विद्यालय के 15 अध्यापकों (153+15=168) का वेतन प्रस्तावित किया गया हैं।

6– विद्यालयों की साज–सज्जा:–

वर्ष 2002–2003 में जिन विद्यालयों में साज–सज्जा का अभाव है, ऐसे पांच प्राथमिक एवं पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

1– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र:– (A.I.E.)

जनपद में कुल 1178 ऐसे छात्र/छात्रायें है जिनके लिए मानक के अनुसार पूर्ण कालिक विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का प्रस्ताव रखा गया है।

2– शिक्षा गारन्टी योजना (E.G. S) :-

जनपद के ऐसे पांच स्थानों पर E.G S खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। जहां पर 20 से अधिक छात्र उपलब्ध हैं परन्तु मानक के अनुसार विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है

3– विद्यालय में पुन: प्रवेश :– (Back To School Champain)

जिन बच्चों के द्वारा किसी कारण वश बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया गया हैं, ऐसे 1474 बच्चों के लिए उक्त प्रस्ताव रखा गया है।

RETANTION-

1– अतिरिक्त कक्षा कक्ष:– (प्राथमिक विद्यालय)

जिन प्राथमिक विद्यालयों में दो ही कक्षा कक्ष है तथा छात्र संख्या 100 से अधिक है। ऐसे 75 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।

2– अतिरिक्त कक्षा–कक्ष:– (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां पर 100 से अधिक छात्र संख्या है जहां प्रर्याप्त मात्रा में कक्ष उपलब्ध नहीं है, ऐसे 15 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की मांग प्रस्तावित की गयी हैं।

3– पुनर्निर्माण (प्राथमिक) :–

जनपद में इस कार्य वर्ष के प्रस्ताव में 100 विद्यालय ऐसे प्रस्तावित किये गये है। जिनके भवन जीर्ण–शीर्ण है, अथवा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके है। उनके पुर्न निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

4– पुनर्निर्माण (उच्च प्राथमिक विद्यालय) :–

जनपद में इस वर्ष के प्रस्ताव में दस ऐसे विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं, जिनके विद्यालय भवन अनुउपयोगी है, तथा शिक्षा के हित में इनका पूनर्निर्माण होना आवश्यक है।

5– पेयजल (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय) :–

जनपद के 105 ऐसे विद्यालयों में पानी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव रखा गया है जहां पर छात्रों के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है।

6– शौचालय स्थापना (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय) :–

जनपद में ऐसे 150 विद्यालयों में शौचालय हेतु प्रस्ताव रखा गया है, जहां पर बालिकाओं पर बालिकाओं की संख्या अधिक है अथवा बालिका विद्यालय है।

7– भवन मरम्मत (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय) :–

जनपद के कतिपय विद्यालयों में दरवाजे, खिड़कियां, फर्श आदि की सामान्य मरम्मत की आवश्यकता है, अत: इस वर्ष के प्रस्ताव में 105 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।

8– घेर–वाड (प्राथमिक) :–

विद्यालय भवनों के निर्माण के बाद विद्यालय की घेर बाड न होने के कारण विद्यालय सौन्दर्यकरण (पुष्प बाटिका,बागवानी) आदि विना घेर–वाड के सुरक्षित नहीं रह पाती हैं, अस्तु इस वर्ष के प्रस्ताव के 375 विद्यालय घेर–वाड हेतु प्रस्तावित किये गये है।

9– घेर–वाड (उच्च प्राथमिक विद्यालय) :–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भूमि की व्यवस्था होने के वावजूद भी घेर–वाड की व्यवस्था न होने के कारण कृषि सम्बन्धी कार्य एंव फुलवारी तथा अन्य सौन्दर्यकरण सम्बन्धी व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं रहती है। जिससे विद्यालय की घेर–वाड़ की अत्यधिक आवश्यकता है। इस वर्ष के प्रस्ताव में 100 उ0प्रा0वि0 में घेर–बाड़ प्रस्तावित है।

10– विद्यालय अनुदान:–

ठहराव में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि विद्यालय आर्कषक हो और विद्यालयों के समय–समय पर सौन्दर्यकरण होता रहें, इसलिए जनपद में स्थापित 2075 विद्यालय अनुदान हेतु प्रति विद्यालय रु02000.00 का प्रस्ताव रखा गया है।

11– बालिका शिक्षा:–

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 100 विद्यालयों में विभिन्न लाभदायी प्रोग्राम रखे गये है, जिनसे बालिकाओं का शिक्षा के प्रति रूचि बढ़े और विद्यालयों में नामांकन के बृद्वि हो सके।

12– समर–कोर्स:–

जिन छात्र/छात्राओं के द्वारा बीच में ही किसी कारण वश बीच में विद्यालय छोड़ा जाता है, उन बच्चों का पुनः विद्यालय की मूल धारा से जोड़ने के लिए 30 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर चलाया जायेगा, इस प्रकार के कोर्सो की संख्या 60 प्रास्तावित किया गया है।

13– बालिका शिक्षा (लिंगभेद):–

जनपद के ऐसे स्थानों पर जहां पर बालिकाओं को कोई महत्व न देते हुये विद्यालयों के नहीं भेजा जाता है, तथा घर में छोटे–छोटे भाई–बहिनों की देख–रेख के लिए बालिकाओं के घर के कार्य में लगाया जाता है। इन परस्थितियों को देखते हुये, लिंग–कोड की समस्या दूर करने के लिए योजना 100 स्थानों पर प्रस्तावित की गयी है।

14– कम्प्यूटर शिक्षा:–

जो बालिकायें अध्यनरत है उनकी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने हेतु ऐसे 30 विद्यालयों के कम्प्यूटर शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कम्प्यूटरों की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है।

15– बाल विकास केन्द्र खोलना (I. C. D. S.):–

जनपद के जिन विकास खण्डों में बाल विकास कार्यालय द्वारा (I.C .D .S) केन्द्र नही खोले गये है, ऐसे विकास खण्डों के 500 (I. C . D. S.) केन्द्रो की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
साथ ही बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित 182 केन्दों को सुदृढ़ करने हेतु मानदेय (T.L.M) कन्टीजेन्सी तथा कार्य कर्तीयों के प्रशिक्षण का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है।

16– सामुदायिक सहभागिता:–

समुदाय की पूर्ण सहभागिता हेतु तथा इस कार्यक्रम से ग्राम शिक्षा समितियां (M.T.A./P.T.A.) कमेटियों की जोड़ने हेतु यह आवश्यक है कि इन का प्रशिक्षण किया जाय इसलिए इन कमेटियों के प्रशिक्षण का प्राव्धान प्रस्तावित किया गया है।

17– जन जागरण अभियान:–

जनता में शिक्षा के प्रति तथा 6 से 14 वय वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कला जत्था आदि कार्यक्रम की व्यवस्था इस परियोजना में प्रस्तावित की गयी है।

18– शिक्षा उपयोगी सामग्री का निर्माण:–

छात्रों में आत्मनिर्भरता को लाने के लिए विभिन्न अनुपयोगी सामग्री से शिक्षा उपयोगी सामग्री बनाने का प्रयास विद्यालय में किया जायेगा जिसके लिए प्रत्येक विकास खण्ड में एक–एक विद्यालय को चयनित किया गया है।

19– स्वयं सेवी संस्थाओं का प्रयोग :–

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में बालिका शिक्षा तथा नामांकन वृद्वि हेतु और सामुदायिक सहभागिता का समावेश करने हेतु स्वयं सेवी संस्थओं की सहायता ली जायेगी इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है।

20– प्रोत्साहन व्यवस्था:–

सामुदायिक सहभागिता के अर्न्तगत शैक्षिक कार्यक्रम को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जायेगा उन ग्राम शिक्षा समितियों का पुरूस्कृत करने का प्रस्ताद रखा गया है। इसी प्रकार अच्छे कार्य करने के लिए वर्तमान व्यवस्था के अर्न्तगत शिक्षा मित्रों को भी पुरूस्कृत करने का प्रस्ताव रखा गया है।

21– समेकित शिक्षा :–

जनपद में 5 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जा सकता वर्तमान में इस जिले में 237 विकलांग बच्चे अनुमानित है। बाद में मेडिकल बोर्ड के द्वारा इन्हें विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुसार श्रेणीवद्ध किया जायेगा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

22– कम्प्यूटर शिक्षा :–

विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा से जोडने के लिए 30 विद्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित किया गया है।

23– स्वास्थ्य परीक्षण :–

जनपद के 2075 विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

24– विद्यालय बुक बैंक :–

छात्रों के अच्छे ज्ञान के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के रोचक पुस्तकों का होना आवश्यक है इसलिए जनपद के 1500 विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।

CAPACITY D.I.E.T.

1– अतिरिक्त कक्षा कक्ष :–

प्रशिक्षण के लिए प्रर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो अतिरिक्त कक्षा कक्षों के मांग का प्रस्ताव रखा गया है।

2– भौतिक संसाधन :–

संस्थान को सुचारू एवं सुव्यवस्थित चलाने के लिए भौतिक संसाधनों में (फर्नीचर,गाड़ी,पेट्रौल, पुस्तकालय,टेलीफोन,कम्प्यूटर) आदि की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही शिक्षा में गुणत्मक सुधार के लिए शोध कार्यक्रमों संकाय विकास (Faculty Development) आदि का प्रस्ताव भी रखा गया है।

2– ब्लाक संसाधन केन्द्र:–

भौतिक संसाधन एवं समन्वयक/सह समन्वयक का वेतन आदि।

विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु अध्यापक आदि का प्रशिक्षण सुनियोजित ढ़ंग से चलाने के लिए बी0आर0सी0 में विभिन्न भौतिक संसाधनों की मांग समन्वयको का वेतन,यात्राभत्ता,भवन मरम्मत,सामग्री मरम्मत पुस्तकालय तथा शोध आदि कार्य के लिए धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

3– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र:–

कलस्टर स्तर पर न्याय पंचायत संसाधनों का रखरखाव एवं न्याय पंचायत स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के लिए कलस्टर न्याय पंचायत स्तर पर नियुक्त समन्वयक का वेतन,कार्यलय सामग्री तथा भवन के मरम्मत इत्यादि के लिए प्रस्ताव रखा गया है।

नये न्याय पंचायतो को खोलने हेतु प्रस्ताव:–

पूर्व में स्वीकृत कुछ न्याय पंचायतों के अर्न्तगत 15 से 20 विद्यालय तक रखे गये हैं। जिससे समस्त विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। इसलिए जनपद में 2 नवीन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

4– जिला परियोजना कार्यालय:–

जनपद में होने वाली समस्त शैक्षिक/निर्माण कार्य/प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला परीयोजना कार्यलय का गठन किया जाना अति अनिवार्य है। इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु निम्नलिखित पदों की मांग का प्रस्ताव रखा गया है।

1– जिला समन्वयक – 4
2– सहायक लेखाधिकारी –1
3– लेखाकार –1
4– लिपिक –1
5– कम्प्यूटर सहायक –1
6– परिचारक –2

इसके अतिरिक्त कार्यलय के संचालन हेतु स्टेशनरी,फर्नीचर,तेल,यात्रा भत्ता,टेलीफोन,अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं का मानदेय का प्रस्ताव भी रखा गया है।

QUALITY

Q- 1– शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण:–

परियोजना के तहत खुले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित

2–अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण :–

जनपद में कार्यरत समस्त अध्यापक/प्र0 अ0/स0अ0 का 20 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम

3–अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण :–

मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों का 60 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा करवाने का प्रस्ताव किया गया है।

4– नवनियुक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण :–

जिन अध्यापकों की नियुक्ति अभी की गयी है उनका पुनरावृत्ति प्रशिक्षण 30 दिन के लिए प्र

5– शिक्षा गांरटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में नियुक्त अनुदेशकों का

जनपद में 5 शिक्षा गांरटी योजना 1178 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

6– डायट में कार्यरत अध्यापको का प्रशिक्षण :–

शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं कार्यरत अध्यापकों की नवीन शिक्षा विधियों का ज्ञान हेतु डायट की गयी है।

7– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण :–

विद्यालयों मे कम्प्यूटरीकृत शिक्षा के ज्ञानार्जन हेतु जूनियर हाई स्कूलों में कम्प्यूटरों की आवश्यक है कि इन विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों को 20 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्ष प्रस्ताव किया गया है।

8– अध्यापक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/बी0आर0सी0/एन0 का लिंगभेद प्रशिक्षण (Gender Sansallization) :–

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए तथा समाज से लिंगभेद व्यवस्था को समाप्त क सुधरात्मक कार्यक्रम रखे गये हैं। जिनके सुचारू संचालन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों का प्रं 3 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

9– अध्यापक अनुदान :–

विभिन्न कक्षाओ,कक्षा शिक्षण हेतु पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जनपद में कार्यरत प्राथमिक एवं जूनियर में कार्यरत 5584 अध्यापकों के लिए अध्यापक अनुदान का प्रस्ताव किया गया है। जिससे शिक्षा में गुणत्मक सुधार किया जा सके और अध्यापक अपने स्तर से पाठ्यक्रम के अनुसार सहायक सामग्री का निर्माण व उपयोग कर सके।

10– निःशुल्क पाठ्य पस्तकों का वितरण :–

जनपद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं एवं समस्त प्रकार की बालिकाओं के लिए जिनकी संख्या प्राथमिक विद्यालय में 45439 तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में 14760 है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का प्रस्ताव इस वर्ष के प्रस्ताव में रखा गया है।

11– अच्छे विद्यालयों के लिए पुरूस्कार की योजना :–

जनपद में कतिपय अध्यापकों द्वारा अपने विद्यालयों में सौन्दर्यीकरण ,शैक्षिक सहगामी क्रियकलापों एवं अन्य जन उपयोगी कार्यक्रमों को कराया जाता है जिसके लिए इस प्रकार के विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाना अतिआवश्यक है। जिससे अन्य विद्यालयों में भी इसी प्रकार के सुधरात्मक कार्यक्रम संचालित हो सके। इस वर्ष के प्रस्ताव प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक–एक विद्यालय का प्रस्ताव (15) रखे गये हैं।

12– स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग :–

स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जनपद में प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता की विकसित कराने का प्रस्ताव रखा गया है।

वर्ष २००२-२००३ के लिए प्रमुख हस्तेक्षपवार वार्षिक योजना का वित्तीय लक्ष्य निम्नवत है।

तालिका

(In thousand)

S.No.	Name of Intervention	Civil Work	Management Cost	Programme	Total proposed amount 2002-2003
A	Access	4200.00	---	31389.30	35589.30
R	Retention	49919.00	---	44052.25	93971.25
Q	Quality Improvement	---	---	20304.05	20304.05
C	Capacity	2445.00	10391.00	17924.00	30760.00
	Total	**56564.00**	**10391.00**	**113669.60**	**180624.60**
	Percentage%	**31.32%**	5.75%	**62.93%**	**100%**

Table-A: Last year Activities Progress Year (2001-02)

Access (In thousand)

S.No.	Head/Sub Head Activity	Phy. Target	Last Year Sanctioned Amount with Spill Over	Re-appropriated Amount	Revised Sanctioned Amount	Physical Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Remark
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1(1) (2)	Opening of new Primary School Building for building less P.S.	3	825.00							825.00	Spill over
(3)	New Upper Primary School										
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (3 Months)	91	1638.00							1638.00	
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (3 Months)	9	614.35							614.35	
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (3 Months)	153	3442.5							3442.50	
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools										
(8)	Furniture & Equipment in U.P. S.										
	TOTAL (A1)		6519.85							6519.85	
A2	**Intervention for out of school children**										
(1)	A.I.E. Primary including all models										
(2)	E.G.S.(12 Months)										
(3)	Back To School Campaign										
	Total (A2)										
	Sub Total A1+A2		6519.85							6519.85	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R(1)	**Retention**										
(1)	Additional Class Room P.S.										
(2)	Additional Class Room U.P.S.										
	Total R(1)										
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	9	2475.00							2475.00	
(2)	Re Construction of old U.P.S	2	800.00							800.00	
	Total R(2)		**3275.00**							**3275.00**	
R(3)(1)	Toilet in P.S.&U.P.S.	15	225.30							225.30	
(2)	Drinking Water P.S.+U.P.S.										
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	30	150.00							150.00	
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	20	100.00							100.00	
	Total (R3)		**475.00**							**475.00**	
R(4)(1)	Boundary Walls for P.S.	15	600.00							600.00	
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	15	750.00							750.00	
	Total (R4)		**1350.00**							**1350.00**	
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.										
(2)	School Improvement Grant U.P.S.	2065	4130.00							4130.00	
	Total (R5)		**4130.00**							**4130.00**	
R6	**Innovation Programme**										
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education	15	375.00							375.00	
(2)	Summer Camp										
	Total (R6)		375.00							375.00	
R7	M.C.D.A. Including Gender Sensitization										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education										
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block										
R(10)(1)	Strengthen of I.C.D.S. Center										
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material										
(3)	T.L.M.										
(4)	Additional Honoriam (12 Months)										
(5)	Contingence Grant										
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days										
(7)	Recurring (Per Center)										
	Total R(10)										
R(11)	**Community Mobilization**										
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days	560	11.20							11.20	
(2)	Kala Jatha at Block & District level										
(3)	Development awareness Material	15	75.00							75.00	
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization										
(5)	Award of V.E.C.										
(6)	Award of Best Siksha Mitra										
(7)	Remedial Teaching of ST/SC										
(8)	Provision for Disabled Children	30	36.00							36.00	
(9)	Computer Education for U.P.S.										
(10)	School Health Checkup P.S./U.P.S.										
(11)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.										
	Total (R11)		**122.20**							**122.20**	
	SUBTOTAL OF R(R1-R11)		**9727.20**							**9727.20**	
C1	**D.I.E.T.**										
(1)	Additional Room										
(2)	Furniture										
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)										
(4)	P.O.L.										
(5)	Drinking Water Facility										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
(6)	Educational Support and Monitoring	300	150.00							150.00	
(7)	Research & Action Research										
(8)	Faculty Development										
(9)	Exposure Visit										
(10)	Library										
(11)	Fax & Telephone										
(12)	Computer										
(13)	Consumable Computer Stationary										
(14)	Women Hostel										
	Total C1		**150.00**							**150.00**	
C2	**B.R.C.**										
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (3 Months)	2	45.00							45.00	
(2)	Salary of Assist. coordinator 3 mo.										
(3)	Traveling Allowances										
(4)	Maintenance of Equipment										
(5)	Maintenance of Building										
(6)	Books & Library										
(7)	Monitoring & Supervision	750	225.00							225.00	
(8)	Consumable Material										
(9)	Contingence	15	90.00							90.00	
(10)	Monthly Review of N.P.R.C.										
(11)	Computer										
(12)	Repair & Mantance of B.R.C.										
(13)	Fax And Phone										
(14)	Furniture Grant	15	1500.00							1500.00	
	Total C2		**1860.00**							**1860.00**	
C3	**N.P.R.C./C.R.C.**										
(1)	Construction of new C.R.C.	2	400.00							400.00	
(2)	Salary of coordinator (12 Months)										
(3)	Equipment & Furniture										
(4)	Contingency	118	295.00							295.00	
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.										
(6)	Monitoring and Supervision	1659	331.80							331.80	
(7)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.										
(8)	Fax and Phone										
	Total(C3)		**1026.80**							**1026.80**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C4	**D.P.O.**										
(1)	Salary Coordinator (3 months)	4	132.00							132.00	
(2)	Salary of Assit.Account Officer (3 months)										
(3)	Salary of Accountant (3 months)										
(4)	Salary of clerk (3 months)										
(5)	Salary of Computer Operator (3 months)	1	21.00							21.00	
(6)	Salary of Peon (3 months)										
(7)	Books and Library										
(8)	Preparation of A.W.P.B.	1	15.00							15.00	
(9)	Traveling Allowance	1	20.00							20.00	
(10)	Consumable	1	30.00							30.00	
(11)	Telephone and Fax										
(12)	Vehicle ment. and Petrol	1	50.00							50.00	
(13)	Honarium of A.E./J.E.	15	180.00							180.00	
(14)	Ment. of Equipment	1	10.00							10.00	
(15)	Contingence	1	25.00							25.00	
(16)	Research and Evaluation										
(17)	Monitoring and supervision	500	200.00							200.00	
(18)	Furniture And Fixture	1	50.00							50.00	
(19)	Consultant Honarium										
	Total C4		**733.00**							**733.00**	
C5	**M.I.S.**										
(1)	Cell Furnishing	1	50.00							50.00	
(2)	Printing and Distribution of Data Formats	1	20.00							20.00	
(3)	Mantanace of Equipment	1	20.00							20.00	
(4)	Computer Consumable	1	25.00							25.00	
(5)	M.I.S. Equipment	1	460.00							460.00	
	Total C5		**575.00**							**575.00**	
	Sub Total C(C1-C5)		**4344.80**							**4344.80**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Q1	**Quality Improvement**										
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)										
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)										
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)	335	234.50							234.50	
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)										
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)										
(6)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	75	52.50							52.50	
(7)	Staff Development Traning of D.I.E.T. (5 days)										
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	18	6.30							6.30	
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)										
(10)	B.R.C. Staff Training for gender sensitization (5 days)	30	12.60							12.60	
(11)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)	120	50.40							50.40	
(12)	Honarium Of Resource Person										
(13)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P.R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)										
	Total Q1		**356.30**							**356.30**	
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.										
(2)	Teacher's. Grant U.P.S./H.S./Inter.	5041	2520.50							2520.50	
(3)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.	41000	6150.00							6150.00	
(4)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	21543	3231.45							3231.45	
(5)	School award for Best School										
	Total Q2		**11901.95**							**11901.95**	
	Sub Total Q1+Q2		**12258.25**							**12258.25**	
	Grand Total		**32850.10**							**32850.10**	

Table-B Spill Over Work Plan For Coming(Next)Year (2001-02)

Access:-

In Thousand

S.No.	Head/Sub Head Activity	Approximate		Balance Continue (SpillOver) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Contiue Spill Over	Implementation Agency &Time Period	Remark
		Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount					
	A	B	C	D	E	F	G	H
A1(1)	Opening of new Primary School							Spill Over
(2)	Building for building less P.S.	3	825.00	3	275.00	825.00	V.E.C.	
(3)	New Upper Primary School							
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (12 Months)							
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (12 Months)							
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (12 Months)							
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools							
(7)	Furniture & Equipment in U.P. S.							
	TOTAL (A1)		**825.00**			825.00		
A2	**Intervention for out of school children**							
(1)	A.I.E. Primary including all models							
(2)	E.G.S.(12 Months)							
(3)	Back To School Campaign							
	Total (A2)							
	Sub Total A1+A2		**825.00**			825.00		

	A	B	C	D	E	F	G	H
R(1)	**Retention**							
(1)	Additional Class Room P.S.							
(2)	Additional Class Room U.P.S.							
	Total R(1)							
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	2	550.00	2	275.00	550.00	V.E.C.	July to dec.2002 Spill Over
(2)	Re Construction of old U.P.S	2	800.00	2	400.00	800.00	V.E.C.	do
	Total R(2)		**1350.00**			**1350.00**		
R(3)(1)	Toilet in P.S.&U.P.S.	15	225.00	15	15.00	225.00	V.E.C.	July -2002 Spill Over
(2)	Drinking Water P.S.+U.P.S.							
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	26	130.00	26	5.00	130.00	V.E.C.	Sep.2002 Spill Over
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	20	100.00	20	5.00	100.00	V.E.C.	do
	Total (R3)		**455.00**			**455.00**		
R(4)(1)	Boundary Walls for P.S.	10	400.00	10	40.00	400.00	V.E.C.	Spil
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	12	600.00	12	50.00	600.00	V.E.C.	do
	Total (R4)		**1000.00**			**1000.00**		
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.	2065	4130.00		2.0	4130.00		
(2)	School Improvement Grant U.P.S.							
	Total (R5)		**4130.00**			**4130.00**		
R6	**Innovation Programme**							
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education							
(2)	Summer Camp							
	Total (R6)							
R7	M.C.D.A. Including Gender Sensitization							

	A	B	C	D	E	F	G	H
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education							
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block							
R(10)(1)	Strengthen of I.C.D.S. Center							
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material							
(3)	T.L.M.							
(4)	Additional Honoriam (12 Months)							
(5)	Contingence Grant							
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days							
(7)	Recurring (Per Center)							
	Total R(10)							
R(11)	**Community Mobilization**							
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days							
(2)	Kala Jatha at Block & District level							
(3)	Development awareness Material							
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization							
(5)	Award of V.E.C.							
(6)	Award of Best Siksha Mitra							
(7)	Ramadial Teaching of ST/SC							
(8)	Provision for Disabled Children							
(9)	Computer Education for U.P.S.							
(10)	School Health Checkup P.S./U.P.S.							
(11)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.							
	Total (R11)							
	SUBTOTAL OFR(RI-RII)		6935.00			6935.00	V.E.C.	
C1	**D.I.E.T.**							
(1)	Additional Room							
(2)	Furniture							
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)							
(4)	P.O.L.							
(5)	Drinking Water Facility							

	A	B	C	D	E	F	G	H
(6)	Educational Support and Monitoring	300	150.00					
(7)	Research & Action Research							
(8)	Faculty Development							
(9)	Exposure Visit							
(10)	Library							
(11)	Fax & Telephone							
(12)	Computer							
(13)	Consumable Computer Stationary							
(14)	Women Hostel							
	Total C1		**150.00**					
C2	**B.R.C.**							
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (12 Months)							
(2)	Salary of Assist. coordinator 12 mo.							
(3)	Traveling Allowances							
(4)	Maintenance of Equipment							
(5)	Mantanance of Building							
(6)	Books & Library							
(7)	Monitoring & Supervision							
(8)	Consumable Material							
(9)	Contingence							
(10)	Monthly Review of N.P.R.C.							
(11)	Computer							
(12)	Repair & Mantance of B.R.C.							
(13)	Fax And Phone							
(14)	Furniture Grant	15	750.00	15	50.00	750.00	B.R.C.	July2002 Spill Ov.
	Total C2		**750.00**				**B.R.C.**	
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
C3	**N.P.R.C./C.R.C.**							
(1)	Construction of new C.R.C.	2	400.00	2	200.00	400.00	V.E.C.	July To Sep.02 Spill Over
(2)	Salary of coordinator (12 Months)							
(3)	Equipment & Furniture							
(4)	Contingency							
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.							
(6)	Monitoring and Supervision	1659	57.10					
(7)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.							
(8)	Fax and Phone							
	Total(C3)		**457.10**			**400.00**	**V.E.C.**	

	A	B	C	D	E	F	G	H
C4	**D.P.O.**							
(1)	Salary Coordinator (3 months)							
(2)	Salary of Assit.Account Officer (3 months)							
(3)	Salary of Accountant (3 months)							
(4)	Salary of clerk (3 months)							
(5)	Salary of Computer Operator (3 months)							
(6)	Salary of Peon (3 months)							
(7)	Books and Library							
(8)	Preparation of A.W.P.B.	1	15.00	1	15.00	15.00	D.P.O.	April 02 Spill Over
(9)	Traveling Allowance							
(10)	Consumable							
(11)	Telephone and Fax	1	30.00	1	30.00	30.00	D.P.O.	Spill Over
(12)	Vehicle ment. and Petrol							
(13)	Honarium of A.E./J.E.							
(14)	Ment. of Equipment							
(15)	Contingence							
(16)	Research and Evaluation							
(17)	Monitoring and supervison	500	200.00					
(18)	Furniture And Fixture	1	50.00			50.00	D.P.O.	July 2002
(19)	Consultant Honarium							
	Total C4		**295.00**			**95.00**		
C5	**M.I.S.**							
(1)	Cell Furnising	1	50.00	1	50.00	50.00		
(2)	Printing and Distribution of Data Formats							
(3)	Mantanace of Equipment							
(4)	Computer Consumable							
(5)	M.I.S. Equipment	1	363.00			363.00		
	Total C5		**413.00**			**413.00**		
	Sub Total C(C1-C5)		**2065.10**			**1658.00**		

	A	B	C	D	E	F	G	H
Q1	**Quality Improvement**							
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)							
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)							
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)							
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)							
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)							
(6)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	75	52.50	75	.07	52.50	D.I.E.T.	July -Aug.02
(7)	Staff Development Traing of D.I.E.T. (5 days)							
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	18	6.30	18	.07	6.30	D.I.E.T.	
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)							
(10)	B.R.C. Staff Training for gender sensitization (5 days)	30	12.60	30	.07	12.60	D.I.E.T.	July -Aug.02
(11)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)	120	50.40	120	.07	50.40	D.I.E.T.	July -Aug.02
(12)	Honarium Of Resource Person							
(13)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P. R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)							
	Total Q1		121.80			121.80		
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.							
(2)	Teacher's. Grant U.P.S./H.S./Inter.	5041	2520.50			2520.50		
(3)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.	41000	3256.05			3256.05		
(4)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	21543						
(5)	School award for Best School							
	Total Q2		5776.55			5776.55		
	Grand Total Q1+Q2		5898.35			5898.35		
	Grand Total (A+R+C+Q)=		15723.45			15316.35		

Table-C: Plan For The Next Year (2002-03)

Access (Rs. In Thousand)

S.No.	Head/Sub Head Activity	Phy. Target	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remark
	A	B	C	D	E	F
A1(1)	Opening of new Primary School	05	275.00	1375.00	Up to 31 Dec.	
(2)	Building for building less P.S.	03	275.00	825.00	Do	
(3)	New Upper Primary School	05	400.00	2000.00	Do	
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (12 Months)	96	7.00	8064.00	Do	
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (12 Months)	96	2.25	2592.00	Do	
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (12 Months)	153+15=168	8.50	17136.00		
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools	05	15.00	70.00		
(7)	Furniture & Equipment in U.P. S.	05	50.0	250.00		
	TOTAL (A1)			**32317.00**		
A2	**Intervention for out of school children**					
(1)	A.I.E. Primary including all models	1178	.85 per child per year	1001.30		
(2)	E.G.S.(12 Months)	05	1.0	60.00		
(3)	Back To School Campaign	1474	1.50 per child per year	2211.00		
	Total (A2)			**3272.30**		
	Sub Total A1+A2			**35589.30**		

	A	B	C	D	E	F
R(1)	Retention					
(1)	Additional Class Room P.S.	75	70.00	5250.00	30 Sep. 2002	
(2)	Additional Class Room U.P.S.	15	70.00	1050.00	Do	
	Total R(1)			**6300.00**		
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	37	275.00	10175.00	31 Dec. 2002	
(2)	Re Construction of old U.P.S	7	400.00	2800.00	Do	
	Total R(2)			**12975.00**		
R(3)(1)	**Toilet in P.S.&U.P.S.**	150	15.00	2250.00	30 Sep. 2002	
(2)	Drinking Water P.S.+U.P.S.	150	20.00	3000.00	Do	
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	4+146=150	5.00	750.00	Do	
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	30	5.00	150.00	Do	
	Total (R3)			**6150.00**		
R(4)(1)	Boundary Walls for P.S.	5+375=380	40.00	15200.00	30Sep, 2002	
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	3+100=103	50.00	5150.00	Do	
	Total (R4)			**20350.00**		
R5 (1)	**School Improvement Grant P.S.**				Do	
(2)	**School Improvement Grant U.P.S.**	2072	2.00	4144.00	Do	
	Total (R5)			**4144.00**		
R6	**Innovation Programme**					
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education	15+100=115	25.00	2875.00	31 Dec. 2002	
(2)	Summer Camp	60	10.00	600.00	Do	
	Total (R6)			**3475.00**	Do	
R(7)	M.C.D.A. Including Gender Sensitization	100	75.00	**7500.00**	Do	

	A	B	C	D	E	F
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education	30	170.00	5100.00	Do	
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block	500	18.00	9000.00	Do	
R(10)(1)	Strengthen of I.C.D.S. Center					
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material	1	100.00	100.00	Do	
(3)	T.L.M.	682	5.00	3410.00	Do	
(4)	Additional Honoriam (12 Months)	682	.250+.125=.375 per center	255.75	Do	
(5)	Contingence Grant	682	1.50	1023.00	Do	
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days	682	.07	238.70	Do	
(7)	Recurring (Per Center)	682	1.2	818.40	Do	
	Total R(10)			**5845.85**		
	A	B	C	D	E	F
R(11)	**Community Mobilization**					
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days	560+440=1000	.01	160.00	Do	
(2)	Kala Jatha at Block & District level	120	8.00	960.00	Do	
(3)	Development awareness Material	15	5.00	75.00	Do	
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization	1	5000.00	5000.00	Do	
(5)	Award of V.E.C. (25.0 First+15.0Second=40.00)	15	40.00	600.00	Do	
(6)	Award of Best Siksha Mitra	15	.50	7.50	Do	
(7)	Ramadial Teaching of ST/SC	1000	.705 per child	705.00	Do	
(8)	Provision for Disabled Children	30+207=237	1.20	284.40	Do	
(9)	Computer Education for U.P.S.	30	100.00	3000.00	Do	
(10)	Training of V.E.C.member's(8 Member,2day's)	1150	.03	552.00	Do	
(11)	School Health Checkup P.S./U.P.S.	2075	.50	1037.50	Do	
(12)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.	1500	.50	750.00	Do	
	Total (R11)			**13131.40**		
	SUBTOTAL OFR(R1-R11)			93971.25		
C1	**D.I.E.T.**					
(1)	Additional Room	02	70.00	140.00	30 Sep.2002	
(2)	Furniture	01	50.00	50.00		
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)	12	5.00	60.00		
(4)	P.O.L.	1	30.00	30.00		
(5)	Travling Allowence	1	20.00	20.00		

	A	B	C	D	E	F
(6)	Drinking Water Facility	1	150.00	150.00	Do	
(7)	Educational Support and Monitoring	2072	0.5 per School	1036.00	31 Dec.2002	
(8)	Research & Action Research	1	50.00	50.00	Do	
(9)	Faculty Development	1	30.0	30.00	30 Sep.2002	
(10)	Exposure Visit	1	50.00	50.00	Do	
(11)	Library	1	25.00	25.00	Do	
(12)	Fax & Telephone	1	30.00	30.00	Do	
(13)	Computer	2	100.00	200.00	Do	
(14)	Consumable Computer Stationary	1	10.00	10.00	Do	
(15)	Women Hostel	1	1000.00	1000.00	31 Dec. 2002	
(16)	Audio vidio Equipments	1	200.00	200.00		
	Total C1			**3081.00**		
C2	**B.R.C.**					
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (12 Months)	15	12.00	2160.00		
(2)	Salary of Assist. coordinator (12 months)	30	8.5	3060.00		
(3)	Traveling Allowances	15	5.00	75.00		
(4)	Maintenance of Equipment	15	1.00	15.00		
(5)	Mantanance of Building	15	6.00	90.00		
(6)	Books & Library	15	10.00	150.00		
(7)	Monitoring & Supervision	2072	.3 per School	621.60	Dec 2002	
(8)	Consumable Material	15	5.00	75.00		
(9)	Contingence	15	12.00	180.00		
(10)	Monthly Review of N.P.R.C.	180	.30	54.00		
(11)	Computer	15	100.00	1500.00		
(12)	Repair & Mantance of B.R.C.	15	5.00	75.00		
(13)	Fax And Phone	15	30.00	450.00		
(14)	Furniture Grant (for beding Accomo.)	15	50.00	750.00		
	Total C2			**9255.60**		
C3	**N.P.R.C./C.R.C.**					
(1)	Construction of new C.R.C. (for new U.R.C. in Urban Area Srinagar,Dugadda)	02	200.00	400.00	Dec. 2002	
(2)	Salary of coordinator (12 Months)	122	8.50	12444.00		
(3)	Equipment & Furniture	122	10.00	1220.00		
(4)	Contingency	122	2.50	305.00		
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.	120	.020	288.00		
(6)	Monitoring and Supervision	2072	0.20 per School	414.40	Dec. 2002	
(7)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.	118	5.00	590.00		
(8)	Fax and Phone					
	Total(C3)			15661.40		

	A	B	C	D	E	F
C4	D.P.O.					
(1)	Salary Coordinator (12 months)	4	12.00	576.00		
(2)	Salary of Assit.Account Officer (12 months)	1	12.00	144.00		
(3)	Salary of Accountant (12 months)	1	8.00	96.00		
(4)	Salary of clerk (12 months)	1	7.00	84.00		
(5)	Salary of Computer Operator (12 months)	1	8.00	96.00		
(6)	Salary of Peon (12 months)	2	5.00	120.00		
(7)	Books and Library	1	10.00	10.00		
(8)	Preparation of A.W.P.B.	1	20.00	20.00		
(9)	Traveling Allowance	1	20.00	20.00		
(10)	Consumable	1	30.00	30.00		
(11)	Telephone and Fax	1	30.00	30.00		
(12)	Vehicle mentainance	1	50.00	50.00		
(13)	P.O.L.	1	20.00	20.00		
(14)	Honarium of A.E./J.E.	30	6.00	180.00		
(15)	Ment. of Equipment	1	10.00	10.00		
(16)	Contingence	1	25.00	25.00		
(17)	Research and Evaluation	1	50.00	50.00		
(18)	Monitoring and supervison	2072	.40 per School	828.80		
(19)	Furniture And Fixture	1	50.00	50.00		
(20)	Consultant Honarium	2	.30	7.20		
	Total C4			2447.00		
C5	M.I.S.					
(1)	Cell Furnising	1	50.00	50.00		
(2)	Printing and Distribution of Data Formats	1	20.00	20.00		
(3)	Mantanace of Equipment	1	20.00	20.00		
(4)	Computer Consumable	1	25.00	25.00		
(5)	M.I.S. Equipment Audio-visual	1	200.00	200.00		
	Total C5			315.00		
	Sub Total C(C1-C5)			30760.00		

	A	B	C	D	E	F
Q1	Quality Improvement					
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)	150	.07	315.00		
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)	4532	.07	3172.00		
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)	335	.07	234.50		
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)	100	.07	70.00		
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)	115	.07	80.50		
(6)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	75	.07	26.25		
(7)	Staff Development Traing of D.I.E.T. (5 days)	24	.30	36.00		
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	18	.07	6.30		
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)	47	1.5	14.10		
(10)	B.R.C.Coordinator's Training in D.I.E.T.(5 days)	45	.07	15.75		
(11)	B.R.C. Staff Training for gender sensitization (5 days)					
(12)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)D.I.E.T.	120	.07	16.80		
(13)	Honarium Of Resource Person(10 days)	75	.10	75.00		
(14)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P.R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)	1500	.07	210.00		
	Total Q1			**4272.20**		
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.					
(2)	Teacher's. Grant U.P.S./H.S./Inter.	5684	.50	2842.00		
(3)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.				30 Jun. 2002	
(4)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	65799	.15	9869.85	Do	
(5)	School award for Best School N.P.R.C.	120	25.00	3000.00		
(6)	Printing And Distribution of Training Modules	1	160.00	160.00		
(7)	Printing And Distribution of Training Guide	1	160.00	160.00		
	Total Q2			**16031.85**		
	Total Q1+Q2			**20304.05**		
Grand Total (A+R+C+Q)				**180624.60**		

Table-D: According To Main Activities Expenses

S.No.	Head/Sub Head Activity ACCESS	A.W.P. B. Last Year	Re-appropriation	Revised Sanctioned Amount	Ex-pressed of the last year till 31March	Approximate Balance Amount	Approximate Saving Amount	Spill Over for Next Year	Fresh Plan for 2002-03	Total H+I	Remark
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1(1)	Opening of new Primary School								1375.00	1375.00	
(2)	Building for building less P.S.	3	825.00				825.00	825.00	825.00	1650.00	
(3)	New Upper Primary School								2000.00	2000.00	
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (12 Months)	91	1638.00				1638.00		8064.00	8064.00	
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (12 Months)	9	614.35				614.35		2592.00	2592.00	
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (12 Months)	153	3442.50				3442.50		17136.00	17136.00	
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools								75.00	75.00	
(7)	Furniture & Equipment in U.P. S.								250.00	250.00	
	TOTAL (A1)		**6519.85**				**6519.85**	**825.00**	**32317.00**	**33142.00**	
A2	**Intervention for out of school children**										
(1)	A.I.E. Primary including all models								1001.30	1001.30	
(2)	E.G.S.(12 Months)								60.00	60.00	
(3)	Back To School Campaign								2211.00	2211.00	
	Total (A2)								**3272.30**	**3272.30**	
	Sub Total A1+A2		6519.85				6519.85	825.00	35589.00	**36414.30**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
R(1)	**Retention**										
(1)	Additional Class Room P.S.								5250.00	5250.00	
(2)	Additional Class Room U.P.S.								1050.00	1050.00	
	Total R(1)								6300.00	6300.00	
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	9	2475.00				2475.00	550.00	10175.00	10725.00	
(2)	Re Construction of old U.P.S	2	800.00				800.00	800.00	2800.00	3600.00	
	Total R(2)		**3275.00**					**1350.00**	**12975.00**	**14325.00**	
R(3)(1)	Toilet in P.S.&U.P.S.	15	225.00				225.00	225.00	2250.00	2475.00	
(2)	Drinking Water P.S.+U.P.S.								3000.00	3000.00	
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	30	150.00				150.00	130.00	750.00	880.00	
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	20	100.00				100.00	100.00	150.00	250.00	
	Total (R3)		**475.00**				**475.00**	**455.00**	**6150.00**	**6605.00**	
R4(1)	Boundary Walls for P.S.	15	600.00				600.00	400.00	15200.00	15600.00	
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	15	750.00				750.00	600.00	5150.00	5750.00	
	Total (R4)		**1350.00**				**1350.00**	**1000.00**	**20350.00**	**21350.00**	
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.										
(2)	School Improvement Grant U.P.S.	2065	4130.00				4130.00	4130.00	4144.00	8274.00	
	Total (R5)		4130.00				**4130.00**	**4130.00**	**4144.00**	**8274.00**	
R6	**Innovation Programme**										
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education	15	375				375		2875.00	2875.00	
(2)	Summer Camp								600.00	600.00	
	Total (R6)		375.00				**375.00**		**3475.00**	**3475.00**	
R7	M.C.D.A. Including Gender Sensitization								7500.00	7500.00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C4	D.P.O.										
(1)	Salary Coordinator (12 months)	4	132				132		576.00	576.00	
(2)	Salary of Assit.Account Officer (12 months)								144.00	144.00	
(3)	Salary of Accountant (12 months)								96.00	96.00	
(4)	Salary of clerk (12 months)								84.00	84.00	
(5)	Salary of Computer Operator (12 months)	1	21.00				21.00		96.00	96.00	
(6)	Salary of Peon (12 months)								120.00	120.00	
(7)	Books and Library								10.00	10.00	
(8)	Preparation of A.W.P.B.	1	15.00				15.00	15.00	20.00	35.00	
(9)	Traveling Allowance	1	20.00				20.00		20.00	20.00	
(10)	Consumable								30.00	30.00	
(11)	Telephone and Fax	1	30.00				30.00	30.00	30.00	60.00	
(12)	Vehicle ment. and Petrol	1	50.00				50.00		50.00	50.00	
(13)	Honarium of A.E./J.E.	15	180.00				180.00		180.00	180.00	
(14)	Ment. of Equipment	1	10.00				10.00		10.00	10.00	
(15)	Contingence								25.00	25.00	
(16)	Research and Evaluation	1	25.00				25.00		50.00	50.00	
(17)	Monitoring and supervison	50	200.00				200.00		828.80	828.80	
(18)	Furniture And Fixture	1	50.00				50.00	50.00	50.00	100.00	
(19)	Consultant Honarium								7.20	7.20	
(20)	P.O.L.								20.00	20.00	
	Total C4		**733.00**				**733.00**	**95.00**	**2447.00**	**2542.00**	
C5	**M.I.S.**										
(1)	Cell Furnising	1	50.00				50.00	50.00	50.00	100.00	
(2)	Printing and Distribution of Data Formats	1	20.00				20.00		20.00	20.00	
(3)	Mantanace of Equipment	1	20.00				20.00		20.00	20.00	
(4)	Computer Consumable	1	25.00				25.00		25.00	25.00	
(5)	M.I.S. Equipment Audio-Visual	1	460.00				460.00	363.00	200.00	563.00	
	Total C5		**575.00**				**575.00**	**413.00**	**315.00**	**728.00**	
	Sub Total C(C1-C5)		**4344.80**				**4344.80**	**1658.00**	**30760.00**	**32418.00**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Q	**Quality Improvement**										
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)								315.00	315.00	
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)								3172.00	3172.00	
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)	335	234.50				234.50		234.50	234.50	
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)								70.00	70.00	
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)								80.50	80.50	
(6)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	75	52.50				52.50	52.50	26.25	78.75	
(7)	Staff Development Traing of D.I.E.T. (5 days)								36.00	36.00	
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	18	6.30				6.30	6.30	6.30	12.60	
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)								14.10	14.10	
(10)	B.R.C. Coordinator Training in D.I.E.T. (5 days)	30	12.60				12.60	12.60	15.75	28.35	
(11)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)	120	50.40				50.40	50.40	16.80	67.20	
(12)	Honarium Of Resource Person								75.00	75.00	
(13)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P.R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)								210.00	210.60	
	Total Q1		**356.30**				**356.30**	**121.80**	**4272.20**	**4394.00**	
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.+U.P.S.	5041	2520.50				2520.50	2520.50	2842.00	5362.50	
(2)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.+U.P.S.	62543	9381.45				9381.45	3256.05	9869.85	13125.90	
(3)	School award for Best School in N.P.R.C. Lavel								3000.00	3000.00	
(4)	Printing & Distribution of Training Module								160.00	160.00	
(5)	Printing & Distribution of Training Guide								160.00	160.00	
	Total Q2		**11901.95**				**11901.95**	**5776.55**	**16031.85**	**21808.40**	
	Sub Total Q1+Q2		**12258.25**				**12258.25**	**5898.35**	**20304.05**	**26202.40**	
	Grand Total (A+R+C+Q)		**32850.10**				**32850.10**	**15316.35**	**180624.60**	**195940.95**	

वर्ष २००१-२००२ की वार्षिक कार्य योजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

Table F (Rs. In Thousand)

S.No.	Head/Sub Head Activity	Approved Amount Last Year	Actual Released	Spill Over	Saving against Actual Released	Remark
	A	B	C	D	E	F
A1(1) (2)	Opening of new Primary School Building for building less P.S.	825.00	825.00	825.00	0.00	
(3)	New Upper Primary School					
(4)	Salary of P.S. Assist. Teachers (12 Months)	1638.00			0.00	
(5)	Salary of Para teacher in P.S. (12 Months)	614.35			0.00	
(6)	Salary of Assist. teacher in U. P.S. (12 Months)	3442.50			0.00	
(7)	Furniture & Equipment in Primary Schools					
(7)	Furniture & Equipment in U.P. S.					
	TOTAL (A1)	**6519.85**	**825.00**	**825.00**	**0.00**	
A2	**Intervention for out of school children**					
(1)	A.I.E. Primary including all models					
(2)	E.G.S.(12 Months)					
(3)	Back To School Campaign					
	Total (A2)					
	Sub Total A1+A2	**6519.85**	**825.00**	**825.00**	**0.00**	

	A	B	C	D	E	F
R(1)	**Retention**					
(1)	Additional Class Room P.S.					
(2)	Additional Class Room U.P.S.					
	Total R(1)					
R(2)(1)	Re Construction of old P.S.	2475.00	550.00	550.00	0.00	
(2)	Re Construction of old U.P.S	800.00	800.00	800.00	0 00	
	Total R(2)	**3275.00**	**1350.00**	**1350.00**	**0.00**	
R(3)(1)	Toilet in P.S.&U.P.S.	225.00	225.00	225.00	0.00	
(2)	Drinking Water P.S.+U.P.S.					
(3)	Repair & Maintenance of P.S.	150.00	130.00	130.00	0.00	
(4)	Repair & Maintenance of U.P.S.	100.00	100.00	100.00	0.00	
	Total (R3)	**475.00**	**455.00**	**455.00**	**0.00**	
R(4)(1)	Boundary Walls for P.S.	600.00	400.00	400.00	0.00	
(2)	Boundary Walls for U.P.S.	750.00	600.00	600.00	0.00	
	Total (R4)	**1350.00**	**1000.00**	**1000.00**	**0.00**	
R5 (1)	School Improvement Grant P.S.					
(2)	School Improvement Grant U.P.S.	4130.00	4130.00	4130.00	0.00	
	Total (R5)	**4130.00**	**4130.00**	**4130.00**	0.00	
R6	**Innovation Programme**					
(1)	S. U.P. W. for Promoting Girls Education	375.00				
(2)	Summer Camp					
	Total (R6)	**375.00**				
R7	M.C.D.A. Including Gender Sensitization					

	A	B	C	D	E	F
R(8)	S.U.P.W. for Girls Computer Education					
R(9)	Opening of I.C.C. Center in Non I.C.D.S.Block					
R(10)(1)	Strengthen of I.C.D.S. Center					
(2)	Development and distribution of I.C.C. Material					
(3)	T.L.M.					
(4)	Additional Honoriam (12 Months)					
(5)	Contingence Grant					
(6)	Training of E.C.C. Instructor at B.R.C. 5 days					
(7)	Recurring (Per Center)					
	Total R(10)					
R(11)	**Community Mobilization**					
(1)	M.T.A. / P.T.A. Training (8 Member per Association)2days	11.20				
(2)	Kala Jatha at Block & District level					
(3)	Development awareness Material	75.00				
(4)	Assistance to N.G.O's for Community Mobilization					
(5)	Award of V.E.C.					
(6)	Award of Best Siksha Mitra					
(7)	Ramadial Teaching of ST/SC					
(8)	Provision for Disabled Children	36.00				
(9)	Computer Education for U.P.S.					
(10)	School Health Checkup P.S./U.P.S.					
(11)	Book Bank & School Library P.S./U.P.S.					
	Total (R11)	**122.20**				
	SUBTOTAL OF R(R1-R11)	**9727.20**	**6935.00**	**6935.00**	**0.00**	
C1	**D.I.E.T.**					
(1)	Additional Room					
(2)	Furniture					
(3)	Hiring Vehicle (12 Months)					
(4)	P.O.L.					
(5)	Drinking Water Facility					

	A	B	C	D	E	F
(6)	Educational Support and Monitoring	150.00	150.00		150.00	
(7)	Research & Action Research					
(8)	Faculty Development					
(9)	Exposure Visit					
(10)	Library					
(11)	Fax & Telephone					
(12)	Computer					
(13)	Consumable Computer Stationary					
(14)	Women Hostel					
	Total C1	**150.00**	**150.00**		**150.00**	
C2	**B.R.C.**					
(1)	Salary of B.R.C. Coordinator (12 Months)	45.00				
(2)	Salary of Assist. coordinator (12 month)					
(3)	Traveling Allowances					
(4)	Maintenance of Equipment					
(5)	Mantanance of Building					
(6)	Books & Library					
(7)	Monitoring & Supervision	225.00				
(8)	Consumable Material					
(9)	Contingence	90.00				
(10)	Monthly Review of N.P.R.C.					
(11)	Computer					
(12)	Repair & Mantance of B.R.C.					
(13)	Fax And Phone					
(14)	Furniture Grant	1500.00	750.00	750.00	0.00	
	Total C2	**1860.00**	**750.00**	**750.00**	**0.00**	
C3	**N.P.R.C./C,R.C.**					
(1)	Construction of new C.R.C.	400.00	400.00	400.00		
(2)	Salary of coordinator (12 Months)					
(3)	Equipment & Furniture					
(4)	Contingency	295.00				
(5)	Monthly Review Meeting at N.P.R.C.					
(6)	Monitoring and Supervision	331.80	57.10		57.10	
(7)	Repair & Maintenance of N.P.R.C.					
(8)	Fax and Phone					
	Total(C3)	**1026.80**	**457.10**	**400.00**	**57.10**	

	A	B	C	D	E	F
C4	D.P.O.					
(1)	Salary Coordinator (12 months)	132.00				
(2)	Salary of Assit.Account Officer (12 months)					
(3)	Salary of Accountant (12 months)					
(4)	Salary of clerk (12 months)					
(5)	Salary of Computer Operator (12 months)	21.00				
(6)	Salary of Peon (12 months)					
(7)	Books and Library					
(8)	Preparation of A.W.P.B.	15.00	15.00	15.00	0.00	
(9)	Traveling Allowance	20.00				
(10)	Consumable					
(11)	Telephone and Fax	30.00	30.00	30.00	0.00	
(12)	Vehicle ment. and Petrol	50.00				
(13)	Honarium of A.E./J.E.	180.00				
(14)	Ment. of Equipment	10.00				
(15)	Contingence	25.00				
(16)	Research and Evaluation					
(17)	Monitoring and supervison	200.00	200.00		200.00	
(18)	Furniture And Fixture	50.00	50.00	50.00	0.00	
(19)	Consultant Honarium					
	Total C4	**733.00**	**295.00**	**95.00**	**200.00**	
C5	**M.I.S.**					
(1)	Cell Furnising	50.00	50.00	50.00	0.00	
(2)	Printing and Distribution of Data Formats	20.00				
(3)	Mantanace of Equipment	20.00				
(4)	Computer Consumable	25.00				
(5)	M.I.S. Equipment	460.00	363.00	363.00	0.00	
	Total C5	**575.00**	**413.00**	**413.00**	**0.00**	
	Sub Total C(C1-C5)	**4344.80**	**2065.10**	**1658.00**	**407.10**	

	A	B	C	D	E	F
Q1	**Quality Improvement**					
(1)	Induction Training for Siksha Mitra (30 day)					
(2)	In-service Training for all Teacher P.S.&U.P.S. (10 days.)					
(3)	Refresher Course for Untrained Teacher (10 days)	234.50				
(4)	Orientation Training for Fresh New appointed Teacher (10 days)					
(5)	Training for E.G.S. and A.I.E. workers (10 days)					
(6)	Training for Resource Person at D.I.E.T. (5 days)	52.50	52.50	52.50	0.00	
(7)	Staff Development Traing of D.I.E.T. (5 days)					
(8)	A.B.S.A./S.D.I. Training (5 days)	6.30	6.30	6.30	0.00	
(9)	Computer Training of Teacher U.P.S. (20 days)					
(10)	B.R.C. Staff Training for gender sensitization (5 days)	12.60	12.60	12.60	0.00	
(11)	N.P.R.C. Staff Training (5 days)	50.40	50.40	50.40	0.00	
(12)	Honarium Of Resource Person					
(13)	Teacher/A.B.S.A./S.D.I./B.R.C./N.P.R.C. and D.I.E.T/D.P.O.gendor sansilization (2 days)					
	Total Q1	**356.30**	**121.80**	**121.80**		
Q2 (1)	Teacher's Grant P.S.					
(2)	Teacher's. Grant U.P.S./H.S./Inter.	2520.50	2520.50	2520.50	0.00	
(3)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls P.S.	6150.00	3256.05	3256.05	0.00	
(4)	Free Text Book for SC/ST Children & Girls U.P.S.	3231,45				
(5)	School award for Best School					
	Total Q2	**11901.95**	**5776.55**	**5776.55**	**0.00**	
	Sub Total Q1+Q2	**12258.25**	**5898.35**	**5898.35**	**0.00**	
	Grand Total (A+R+C+Q)=	**32850.10**	**15723.45**	**15316.35**	**407.10**	

NIEPA DC
D11909

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11909
DOC, No. ... Date 01-06-2003